वार्षिक अंक
अक्तूबर 1984

कुरुक्षेत्र

मूल्य : 1.50

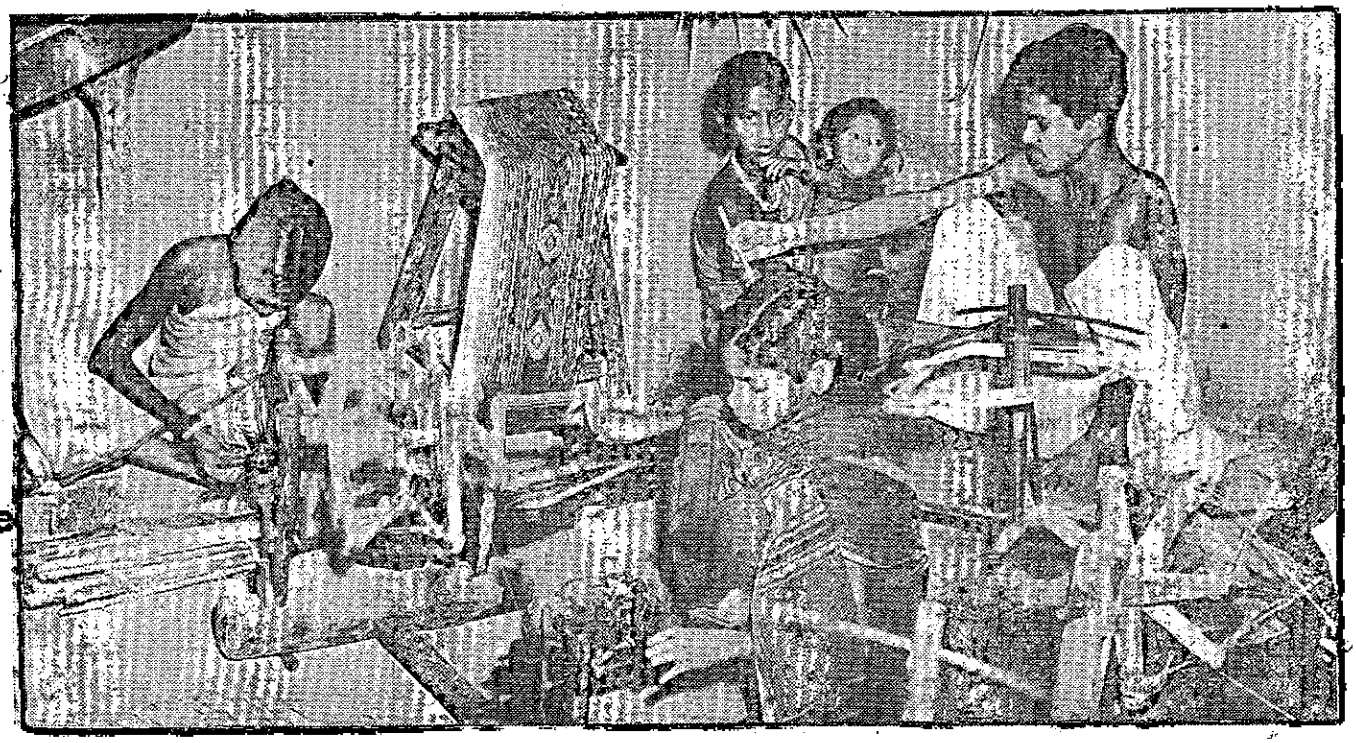

ग्रामीण लघु उद्योग

संपादकीय

गांवों का त्वरित औद्योगीकरण

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 1975 से 20 सूत्री कार्यक्रम लागू कराने के बाद गांवों में बसे लोगों के जीवन में एक नया उल्लास आया है। गांवों के समग्र विकास में खास तेजी आई है और गांव के हर तबके की रोजी रोटी प्राप्ति तथा उनके सम्मान पूर्ण जीवन जीने को बढ़ावा मिला है। किसानों के वास्ते कृषि आगतों के लिए और बेरोजगारों द्वारा खुद के रोजगारी उद्यम शुरु करने के लिए ऋण में बेहद वृद्धि हुई है। बड़ी संख्या में रोजगार सृजक कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं।

14 जनवरी 1982 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू किए जाने के बाद से गांवों के पूर्ण रूपेण विकास में एक नई मजबूती और तेजी आई है। आज देश की कृषि बहुत अच्छी स्थिति में है। लगभग 11 करोड़ हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा और अधिक तेजी से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार जारी है। आज हमारे खाद्यानों का उत्पादन 15 करोड़ टन से बढ़ गया है और वह समय दूर नहीं जब 20 करोड़ टन से भी ज्यादा हो जाएगा। आज किसान, सम्मान और सन्तोष का जीवन जी रहा है और एक अच्छा भविष्य उसके सामने है।

गांवों में मजदूरों, कारीगरों, भूमिहीन किसानों, लघु किसानों, सीमांत किसानों आदि का एक बहुत बड़ा अंश अभी ऐसा है जिनका जीवन, सम्मान और संतोष पूर्णता से अभी दूर है। ग्रामों में इनकी संख्या 1980 में लगभग 51 प्रतिशत थी जो छठी योजना के अंत तक 41 प्रतिशत रह जाने की आशा है। इनमें से अधिकांश गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं। समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम के तहत, जो निर्धनतम हैं, उनमें से प्रति ब्लाक प्रति वर्ष 600 परिवार के हिसाब से चयनित कर प्रति परिवार एक व्यक्ति को समन्वित ग्रामीण कार्यक्रमों के अधीन रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। गरीबी निवारण के ये कार्यक्रम वित्तीय कारणों से सरकार को सीमित रखने पड़ते हैं। सहायता के वितरण में और सहायित व्यक्तियों के चयन में खामियों के कारण भी कई बार इनकी कारगरता पर आंच आ जाती है। समन्वित ग्रामीण कार्यक्रमों के जरिए अब तक 3 करोड़ से अधिक निर्धनों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा चुका है। सातवीं योजना में ढाई करोड़ और ऐसे लोगों की सहायता समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम के अधीन की जाएगी। सम्भवतया प्रतिब्लाक सहायित परिवारों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। जोत की अधिकतम सीमा से अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन ग्रामीणों में वितरित करने का कार्य भी 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन है और इसका उद्देश्य भी ग्रामीण भूमि-हीनों को दीन, हीन, और विवशता की दशा से निकालना है। इस कार्यक्रम की भी कुछ सीमाएं हैं। 1980 के आकलन के अनुसार कुल 3660 लाख एकड़ कृषि भूमि में से कुल 54 लाख एकड़ भूमि अतिरिक्त भूमि है जिसे भूमिहीनों में बांटा जा सकता है। छठी योजना तक 40 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि का पता लगा लिया गया था जिसमें से 17 लाख एकड़ का वितरण हुआ। 1982-83 तक बाकी 23 लाख एकड़ का भी वितरण करके पूरे 40 लाख का वितरण करने का लक्ष्य था, किन्तु वितरण हुआ इस दौरान कुल 3.2 लाख एकड़ का अर्थात 40 लाख में से केवल बीस लाख एकड़ का ही वितरण हुआ जिससे 14 लाख परिवारों को लाभ पहुंचा। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 21 लाख परिवारों की भूमि वितरण द्वारा मौजूदा हालत में और मदद की जा सकती है। लेकिन इसका भी एक दूसरा पक्ष ये है कि वितरण में प्राप्त भूमि पर एक नहीं अनेक बार खेती करने नहीं दी गई। कई बार प्राप्त जमीन अच्छी नहीं होती है। जिसमें आगतों की लागत भी नहीं मिलती और उसके सुधार के लिए लाभार्थियों को साधन प्राप्त नहीं हो पाते। अनेक ऐसे मामले हैं जहां वितरण में मिली जमीन को बड़े भू-स्वामी, डरा धमका कर या रुपये पैसों में फंसा कर लाभार्थियों से वापिस ले लेते हैं। इस प्रकार अतिरिक्त भूमि के वितरण का मंशा पूरी तरह सफल नहीं होता।

इसके बाद ग्रामीण उद्यम और व्यवसाय का एक ऐसा क्षेत्र रह जाता है जिस को व्यवस्थित ढंग से व्यापक पैमाने पर विकसित करके और निर्मित वस्तुओं के विपणन की सही व्यवस्था करके अनेक ग्रामीण जनों को लाभकारी और देश हितकारी धंधों में लगाया जा सकता है। यदि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से ग्रामीण औद्योगीकरण को आगे बढ़ाया जाए तो निश्चय पूर्वक इससे ग्रामीण निर्धनता मिटाने में बेहद इमदाद मिलेगी।

(शेष आवरण पृष्ठ 3 पर)

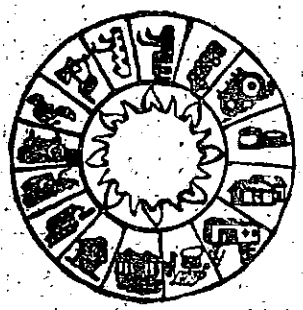

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 29 आश्विन-कार्तिक 1906 अंक 12

इस अंक में पृष्ठ संख्या

निर्धनता से संघर्ष **जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी** 2

गांवों ने करवट बदली तो **डॉ० राकेश कुमार अग्रवाल** 5

जोत सीमावन्दी से प्राप्त भूमि का वितरण एक नजर में **अपर्णा उपाध्याय** 6

ग्रामीण औद्योगीकरण में समन्वित ग्रामीण विकास का योग **जे० टी० सिंह** 8

आर्थिक प्रगति को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा जाए **श्याम सुन्दर अग्रवाल** 12

भारत में पशुओं और मुर्गियों की बीमा योजना 16

बेरोजगार युवाओं का अवलम्ब और निर्धन महिलाओं का संतापहारी **श्रीमती व्ही० सैलट** 19

सफलता का एक ही जादू--कड़ी मेहनत और सच्ची लगन **अशोक कुमार यादव** 21

मध्य प्रदेश में आदिवासियों के उन्नयन पर एक नजर **जगमोहनलाल माथुर** 22

नई सुबह के लिए (रूपक) **कौशल पांडेय** 26

एक गांव प्यारा सा **किशन रतनानी** 29

विकलांगता को चुनौती **ऋषि मोहन श्रीवास्तव** 29

मधुमक्खी पालन का दोहरा लाभ - अमृत-तुल्य शहद की प्राप्ति और कृषि उपज की बढ़ोतरी **कृष्ण शंकर भटनागर** 30

आदर्श गांव बमोरी, जिला कोटा (राजस्थान) **प्रभात कुमार सिंघल** 34

सिनसिनी गांव का प्रगति पथ उत्साह-वर्द्धक है **डॉ० कन्हैयालाल भ्रमर** 35

दलहनी फसलों को राईजोवियम कल्चर का टीका देकर उपज बढ़ाएं **अभय कुमार जैन** 37

विकसित प्रौद्योगिकी और समुन्नत जानकारी के लाभ **हरि विश्नोई** 38

मिर्च मसाले और स्वास्थ्य **डॉ० प्रकाश चन्द्र गंगराड़े** 40

ग्रामीण औद्योगीकरण-गांवों में व्याप्त गरीबी का समाधान **देवेन्द्र कुमार** 42

केन्द्र के समाचार 43

कृषक हमारे (कविता) **डा० एस० भानुमति 'भानु'** 44

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार: सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु०
वार्षिक चन्दा : 15 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा
सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एडवर्ड बेक
सहायक निदेशक (उत्पादन) :
आर० एस० मुंजाल

सम्पादक : जयन्त जहांगीर सिंह
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : अलका

निर्धनता से संघर्ष

जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी

जिस देश में आधी जनता गरीबी की रेखा से नीचे रहती हो, उस देश के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम गरीबी को दूर करना ही हो सकता है। परन्तु गरीबी का दूर करना, खास तौर पर उस समाज में जहां के नागरिक अपने जीवन को जिस तरह से जीना चाहें, जीने के लिए स्वतन्त्र हैं और जहां पर धन का आवागमन अनेक आर्थिक परिस्थितियों के ऊपर निर्भर रहता हो, वहां पर ऐसी समस्याओं को हल करना बहुत आसान नहीं। भारत में जब पंचवर्षीय योजनाएं प्रारम्भ की गईं तो उसका उद्देश्य साधारण जन के जीवन-स्तर को उठाना ही था। चाहे बड़े-बड़े बांध बनाए गए हों या बड़े-बड़े कारखाने लगाए गए हों, चाहे पुलों और सड़कों का निर्माण किया गया हो, जिन क्षेत्रों में रेल नहीं थीं वहां रेल लाईन डाली गई हो और जहां रेल अथवा सड़क दोनों की ही सुविधा न हो, वहां पर आवागमन के लिए जल मार्ग या वायु मार्ग का प्रयोग किया गया हो, उद्देश्य यही था कि साधारण जन को इस प्रकार का अवसर मिले जिससे वे अधिक रोजगार के अवसर पा सकें, अपनी उपज बढ़ा सकें, अपने श्रम की उचित मजदूरी प्राप्त कर सकें, अपना माल उपयोगी मूल्यों पर दूर-दूर तक भेज सकें और इस प्रकार अपनी आय बढ़ा सकें, अपने रहन-सहन के स्तर में उन्नति कर सकें। उनको यह अवसर देने के लिए शिक्षा का भी विस्तार किया गया। उनको स्वस्थ और सबल बनाने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि की गई और उसी का परिणाम है कि मृत्यु-दर घटी और भारतीय मनुष्य की औसत आयु में बहुत वृद्धि हुई। निरक्षरता का निवारण तो नहीं हुआ परन्तु उसमें कमी हुई और रोजगार के अवसर बढ़े।

इतना सब होने के बाद भी यह अनुभव किया गया कि योजनाबद्ध काम करने से जहां राष्ट्रीय आय बढ़ी है, वहां भी सब वृद्धि का पूरा लाभ सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ। कुछ लोगों की आय में बहुत वृद्धि हुई—वे चाहे बड़े उद्योगपति हों या बड़े किसान हों या मात्र बिचौलिए, ठेकेदार अथवा सेवा क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले हों। दूसरी तरफ मंहगाई के कारण बहुत से लोगों को जीवनयापन के लिए अब भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वह जो कुछ कमाते हैं, वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं होता। जब कभी संकट आते हैं जैसे कि सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है तो मुख्यतया देहातों में रहने वाले इस प्रकार के लोगों को जिन्हें साधारण समय में भी गुजारा करना मुश्किल होता है, असाधारण संकट का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखकर यह प्रयास किया गया कि समाज के ऐसे लोगों की पहचान की जाए और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रयास किया जाए। आजकल हमारे देहातों में इन कार्यक्रमों को ग्रामीण विकास के नाम से बोला जाता है और इस कार्य के लिए एक पृथक मंत्रालय ही एक मंत्री के अधीन बनाया गया है। वैसे तो इस मंत्रालय के अन्तर्गत कई काम हैं जैसे भूमि-सुधार, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, कृषि विपणन, ग्रामीण सड़कें आदि, परन्तु इसके अन्तर्गत तीन-चार ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्होंने हाल के दिनों में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रभाव डाला है। ये हैं :—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

यह कार्यक्रम पिछले वर्ष 15 अगस्त को प्रधान मंत्री ने घोषित किया था जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार में एक व्यक्ति को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक का रोजगार दिया जा सके। इसका उद्देश्य यह भी है कि इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जाए और ऐसी सम्पत्तियां निर्मित हों जो ग्रामीण व्यवस्था का विकास कर सकें। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इस कार्यक्रम पर जो खर्च आएगा, वह सारा का सारा केन्द्र सरकार देगी। वर्ष 1983–84 में इस कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे और वर्तमान वर्ष यानी 1984–85 के लिए 400 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। आशा यह की गई कि 1983–84 में 6 करोड़ अतिरिक्त दिहाड़ियां या रोजगार के दिन उपलब्ध हों और वर्तमान वर्ष में यह संख्या बढ़कर 30 करोड़ हो जाए। ये कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित होते हैं और इनके द्वारा गांवों में सड़कें, सिंचाई के लिए नालियां, बंजर भूमि का विकास, भूमि सुधार, सामाजिक वानिकी और भूमि तथा

जल संरक्षण की योजनाएं कार्यान्वित होती हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और साथ ही इस बात की भी व्यवस्था है कि इन परियोजनाओं पर जो भी खर्च होगा, उसका कम से कम आधा, मजदूरी पर होगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इस प्रकार की परियोजनाएं ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में चलाई जाएं जहां पर बेकार भूमिहीन मजदूरों की संख्या काफी है, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की, और उन क्षेत्रों में जहां यह शिकायत की जाती है कि लोगों को बन्धुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है या जहां पर महिलाओं को लाभ हो सकता है। इस योजना में मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है वह उन्हें कुछ तो अनाज के रूप में और कुछ नकद दी जाती है। उन्हें जो अनाज दिया जाता है, उसका मूल्य 16 जनवरी, 1984 से रियायती दर पर दिया जाता है यानी गेहूं 1.50 रु० प्रति किलो के भाव से और चावल 1.85 रु० प्रति किलो के भाव से। उद्देश्य यह है कि मजदूरों को जो दिहाड़ी मिले, उसका आधा भाग उनके और उनके परिवार की खाद्यान्न को आवश्यकता को पूरा करने में लगे जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इस कार्यक्रम के लिए 186 परियोजनाएं स्वीकृत की गई ह जिन पर 546 करोड़ रुपये व्यय होंगे और इस प्रकार वर्तमान वर्ष में 30 करोड़ दिहाड़ियों के बराबर भूमिहीन मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा। यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिले जैसा कि इसका लक्ष्य है तो इससे इस वर्ष 30 लाख भूमिहीन मजदूर लाभान्वित होंगे।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

जहां तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, यह छठी पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख कार्यक्रम है और यह आशा की जाती है कि पांच वर्षों में इस कार्यक्रम से एक करोड़ 50 लाख परिवारों को लाभ होगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च 1984 तक 11 अरब 89 करोड़ रुपये की सहायता के रूप में और 22 अरब 44 करोड़ रु० ऋणों के रूप में विभिन्न ग्रामीण परिवारों को दिए जा चुके हैं। यह योजना 1978-79 में कुछ विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत देश के 2300 विकास खण्डों में प्रारम्भ की गई थी, परन्तु अक्तूबर 1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से इसे देश के सभी विकास खण्डों में लागू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में यह व्यवस्था भी है कि जो भी सहायता दी जाए उसका 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लोगों को मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिवारों को ऐसी सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके। इस व्यय के लिए छोटे किसानों को 25 प्रतिशत की और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को तीन हजार रुपये तक की सहायता प्राप्त हो सकती है। आदिवासी लाभभोगी पांच हजार रु० तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें इस बात की भी सुविधा है कि उनकी योजना पर जितनी लागत आए, उस पूंजी का पचास प्रतिशत तक वह सहायता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें बैंकिंग संस्थाओं द्वारा ऋण भी प्राप्त होते हैं। इस ऋण की रकम पंचवर्षीय योजना में 30 अरब रखी गई है और जैसा कि हम लिख चुके हैं, मार्च 1984 तक 22 अरब 44 करोड़ रु० की सहायता प्राप्त हो चुकी है। यह सहायता किस प्रकार से बरती जा रही है, उसका अन्दाज इस बात से लग सकता है कि 1980-81 में जिन परिवारों को सहायता मिली, उस सहायता की रकम औसतन प्रति परिवार 1,642 रु० होती थी। लेकिन 1983-84 में यह औसत बढ़कर 3,201 रु० हो गई। 20 सूत्री कार्यक्रम में निर्दिष्ट कर दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम कितने परिवारों को इस प्रकार की सहायता प्राप्त हो जानी चाहिए।

वर्ष 1983-84 के लिए यह लक्ष्य रखा गया कि 30,53,850 परिवारों को इससे लाभ मिलना चाहिए और इनकी संख्या इस प्रकार थी—आंध्र प्रदेश 1,98,000 असम 80,400, बिहार 3,52,200, गुजरात 1,30,800, हरियाणा 55,800 हिमाचल प्रदेश 41,400, जम्मू-कश्मीर 67,800, कर्नाटक 1,35,000, मध्य प्रदेश 2,75,400, केरल 90,600, महाराष्ट्र 1,77,600, मणिपुर 11,700, मेघालय 18,000, नगालैन्ड 12,600, उड़ीसा 1,88,400, पंजाब 70,800, राजस्थान 1,41,600, सिक्किम 2,400, तमिलनाडु 2,25,600, त्रिपुरा 10,200, उत्तर प्रदेश 5,32,200, और पश्चिम बंगाल 2,01,000। जून महीने में उत्तर प्रदेश में ही 29,000 परिवारों को लाभ मिला और कुल लाभार्थियों की संख्या 51,000 हो गई। मध्य प्रदेश में इसी मास में 14,932 को, महाराष्ट्र में 12,296 को, राजस्थान में 4,468 को व बिहार में 21,422 परिवारों को लाभ मिला। इस कार्यक्रम से सम्बद्ध परियोजनाओं पर खर्च आधा केन्द्र देता है और आधा राज्य। साधारणतया उद्देश्य यह है कि प्रत्येक वर्ष में एक विकास खण्ड में कम से कम 600 परिवारों को यह सहायता प्रदान की जाए और इस पर साधारणतया एक विकास खण्ड पर परियोजना काल में 35 लाख रुपये का व्यय होता है। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रत्येक जिले में एक ग्रामीण विकास अभिकरण होता है और कार्यक्रमों को चलाते वक्त जन प्रतिनिधियों, पंचायत समितियों और ग्राम सभाओं से सलाह ली जाती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

इसी कार्यक्रम से एक मिलता-जुलता दूसरा कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कहते हैं। यह कार्यक्रम अक्तूबर 1980 से प्रारम्भ किया गया और पहला अप्रैल, 1981 से इसे पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया। इस कार्यक्रम का भी व्यय आधा केन्द्र और आधा राज्य वहन करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जिस समय किसान खाली होते हैं या रोजगार का कमी होता है, उस समय रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मजदूर को मजदूरी के रूप में एक किलो-ग्राम अन्न भी दिया जाता है। इस बात का ख्याल रखा गया है कि जब राज्यों

को इस कार्यक्रम के लिए धन दिया जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनके यहां कृषि मजदूरों की संख्या कितनी है और उन राज्यों में गरीबी कितनी व्यापक है और यदि राज्यों की गरीबी के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी जिले में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की संख्या कितनी है । इस कार्यक्रम में भी यह व्यवस्था रखी गई है कि एक जिले में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जो धन दिया जाए उसका आधा मजदूरी के रूप में दिया जाना चाहिए और प्रशासकीय खर्चों पर जिनमें प्रशिक्षण भी शामिल है, पांच प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए । यह भी व्यवस्था है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्यक्रम किए जाएं उनमें दस प्रतिशत धन ऐसे क्षेत्रों में लगना चाहिए जिसका अनसूचित जातियों और जनजातियों को सीधा फायदा हो । इसी तरह 10 प्रतिशत धन सामाजिक वानिकी और वनरोपण के कार्यक्रम में लगना चाहिए । पिछले तीन वर्षों में इस मद पर होने वाले व्यय में बराबर वृद्धि हुई है । 1980–81 में 3 अरब 16 करोड़ रु० आबंटित किए गए जिनमें 2 अरब 17 करोड़ रु० का लाभ उठाया जा सका। 1981–82 में 3 अरब 33 करोड़ रु० आवंटित किए गए जिनमें से लगभग 318 करोड़ रु० का लाभ उठाया गया, 1982–83 में 399 करोड़ रु० आबंटित किए गए जिनमें से 3 अरब 87 करोड़ रु० का लाभ उठाया गया । 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 1983–84 में यह लक्ष्य रखा गया कि 32 करोड़ रोजगार के दिन या दिहाड़ियों की व्यवस्था हो । यह कार्यक्रम भी योजनानुसार चल रहा है । जून मास में उत्तर प्रदेश में 19,76,000 दिहाडियों की व्यवस्था हुई । मध्य प्रदेश में यह संख्या 16,95,000 थी । बिहार में 49,90,000 दिहाड़ियां बढ़ीं । महाराष्ट्र में 18,75,000 और राजस्थान में 61,10,400 । केन्द्र ने इस वर्ष अपनी ओर से दो अरब रुपये का आबंटन किया है और इतना ही राज्यों को भी लगाना पड़ेगा । छठी पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि इस कार्य पर 16 अरब 20 करोड़ रु० व्यय किया जाए जिससे प्रतिवर्ष 30 करोड़ दिनों का रोजगार उपलब्ध हो सके। मार्च 1984 तक इस मद में 14 अरब 26 करोड़ 68 लाख रु० व्यय हो चुके थे और इन चार वर्षों में 142 करोड़ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका था ।

स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम

उपरोक्त तीन योजनाओं के साथ-साथ एक और भी योजना है जो रोजगार तो नहीं दिलाती पर दिलाने में सहायता करती है । उसे ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण या ट्राइसेम के नाम से जाना जाता है । इस योजना का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण युवकों को इस तरह प्रशिक्षित किया जा सके कि वे अपने रोजगार या व्यवसाय को स्वयं शुरू कर सकें। लक्ष्य यह है कि प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम 40 ग्रामीण युवकों को प्रतिवर्ष यह प्रशिक्षण दिया जा सके जिससे कि सारे देश में दो लाख ग्रामीण युवक प्रशिक्षित हो सकें । 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के युवकों को जो अपना स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, इस प्रशिक्षण हेतु छांटा जाता है । जिस परिवार की आय 3,500 रु० प्रति वर्ष है, उनमें से प्रशिक्षार्थी लिए जाते हैं और इनमें सबसे गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है । एक परिवार से केवल एक लाभभोगी चुना जाता है और इसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और उन लोगों को जिन्होंने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नौ माह के पाठ्यक्रम में भाग लिया हो, प्राथमिकता दी जाती है । यह लक्ष्य भी रखा जाता है कि प्रशिक्षण पाने वालों में एक तिहाई महिलाएं हों । यदि प्रशिक्षण गांव में हो तो उन्हें 75 रु० प्रतिमास की छात्रवृत्ति दी जाती है और यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी के गांव से बाहर हो और आवास की व्यवस्था हो तो 150 रु० प्रतिमास और यदि आवास न हो तो 200 रु० प्रतिमास की वृत्ति दी जाती है । प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं या कुशल कारीगरों को 50 रु० मासिक प्रति प्रशिक्षार्थी दिए जाते हैं । कच्चे माल के लिए 200 रु० प्रतिमास प्रति प्रशिक्षण संस्था या प्रशिक्षक को दिया जाता है और प्रशिक्षार्थियों को औजारों के लिए 500 रु० दिए जाते हैं । प्रशिक्षण लेने के बाद उन्हें बैंकों से ऋण और सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । प्रशिक्षण संस्थाओं को इस कार्य में सहायता देने के लिए कर्मशाला या होस्टल आदि बनाने के लिए केन्द्र सरकार पांच करोड़ रु० अलग से देती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1979–80 में 40,184 व्यक्ति शिक्षित हुए थे । इस प्रकार वर्ष 1983–84 की अवधि समाप्त होने तक आठ लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है । इनमें से चार लाख अठतीस हजार युवा किसी न किसी धंधे में लग भी गए हैं । आदिवासी और अनुसूचित जाति से सम्बन्धित युवकों की संख्या वर्ष 1982–83 और 1983–84 में क्रमशः 25,762 और 80,969 थी ।

इस प्रकार इन योजनाओं से गरीबी दूर करने और रोजगार बढ़ाने के लिए काफी काम हुआ है । साथ ही साथ देहात में ऐसे निर्माण कार्य भी हुए हैं जिनसे ग्रामीण विकास को बल मिला है ।

इस कार्यक्रम में स्थानीय कारणों से कभी बढ़ोत्तरी भी हुई है, कभी कुछ कमी भी आई है । अनेक कार्यक्रमों पर राज्य सरकारों को बराबर का व्यय करना पड़ता है और यदि उनके पास साधन उपलब्ध नहीं होते तो वे केन्द्र से भी सहायता नहीं ले पाते । न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ गई हैं और पहले जिस रकम में ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, उतना अब संभव नहीं है । दूसरे इस दृष्टि से कि गांवों में जो सम्पत्ति स्थापित हो, वह दीर्घकालीन हो, सामग्री पर भी कुछ खर्च अधिक होने लगा है, फिर भी छठी पंचवर्षीय योजना में दिहाड़ी के जो लक्ष्य रखे गये थे, वे पूरे हो रहे हैं । इन कार्यक्रमों के साथ-साथ कुछ और भी कार्यक्रम हैं जो ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए हैं । राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा गया है कि वे ऋणों में कुछ लोगों को प्राथमिकता दें । इनमें छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, शिकमी काश्तकार और बटाई–

दार, कारीगर तथा ग्रामीण लघु उद्योग व अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और समेकित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लाभ-भोगी हैं । समझा यह जाता है कि मार्च 1985 तक बैंक जो भी प्राथमिकता वाले ऋण देंगे, उनका एक चौथाई ऐसे लोगों को प्राप्त होगा । सितम्बर 1983 तक 99 लाख 40 हजार लोगों को 24 अरब 75 करोड़ रु० के ऋण मिले थे और ये सब कमजोर वर्ग के लोग थे इन लोगों से दस से लेकर साढ़े बारह प्रतिशत तक का ब्याज लिया जाता है ।

गरीबी की रेखा

छठी पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य यह भी रखा गया है कि अनुसूचित जातियों के परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाए । अनुसूचित जातियों के 96 लाख 44 हजार 763 परिवार निर्दिष्ट किए गए हैं जिनमें से 15 लाख उत्तर प्रदेश में, 11,12,000 पश्चिम बंगाल में, 10,48,000 बिहार में, 9,17,000 तमिलनाडु में और 8,54,000 महाराष्ट्र में हैं । मध्य प्रदेश में इन की संख्या सात लाख और आंध्र प्रदेश में साढ़े सात लाख होगी । इसी तरह 23 लाख जनजातीय परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें 6,18,000 मध्य प्रदेश में, 5,50,000 उड़ीसा में, 3,50,000 गुजरात में, तीन लाख बिहार में और 1,08,275 पश्चिम बंगाल में हैं । अभी तक यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1980-81 में अनुसूचित जाति के 50,988 परिवारों को और जनजाति के 57,295 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई । 1981-82 में यह सहायता 80,265 और 83,700 परिवारों को क्रमशः दी गई । 1982-83 में अनुसूचित जाति के 1,01,624 और जनजाति के 92,942 परिवारों को सहायता दी गई । 1983-84 में फरवरी 1984 तक अनुसूचित जातियों के 83,001 और जनजातियों के 76,262 यानी कुल मिला कर अनुसूचित जातियों के 3,15,878 और जनजातियों के 3,10,189 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में सहायता दी गई ।

गांवों ने करवट बदली तो

गांवों ने करवट बदली तो
देश सुखी बन जाएगा
पेट भरेगा हर मानव का
हर मानव मुस्काएगा ।
काम काज की कमी न होगी
कोई न खाली होगा
घर, खेतों, खलिहानों में
खुशियों का आलम होगा ।

ऋण से मुक्ति होगी सबकी
सबका अपना घर होगा
दो बच्चों के प्यार का पौधा
जीवन का संबल होगा ।

शिक्षा होगी, दीक्षा होगी
अंधविश्वास नहीं होंगे
सड़कें होंगी, नहरें होंगी
और सभी साधन होंगे ।

खेती से उद्योग बढ़ेंगे
आय बढ़ेगी जन-जन की
श्रम का पूरा प्रतिफल होगा
साध सजेगी हर मन की ।

डा० राकेश कुमार अग्रवाल
पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स
एस० एस० वी० (पी० जी०) कालेज,
हापुड़ (उ० प्र०)

इन कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को सहायता देकर उन्हें रोजगार प्रदान कर या उसके लिए प्रशिक्षित कर उनकी गरीबी कम करना है । लेकिन और भी ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में सहायता मिलती है । 1983-84 के 20-सूत्री कार्यक्रम में यह लक्ष्य रखा गया है कि भूमिहीन किसानों को 2 करोड़ 84 लाख हैक्टेयर भूमि का वितरण किया जाए या 28,804 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया जाए । यह कार्यक्रम भी निर्धनता से संघर्ष के आवश्यक अंग हैं । इनके साथ कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो निर्धनता से उत्पन्न कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं । एक कार्यक्रम यह है कि इस वर्ष 8,74,000 मकानों के प्लाट दिए जाएं और 5,56,000 मकान बनाने में सहायता दी जाए । 21,20,000 गंदी बस्तियों के निवासियों को अच्छे आवास प्रदान किए जाएं और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 4,05,000 मकान बनाए जाएं । 48,846 गांवों में पेय जल की व्यवस्था की जाए । ये सारे कार्यक्रम हमारे देश की ग्रामीण और शहरों में रहने वाली अत्यन्त गरीबी से ग्रस्त जनसंख्या को राहत देंगे और उनके जीवन-स्तर को सुधारने में सहायक होंगे । □

जोत सीमाबन्दी से प्राप्त भूमि का वितरण एक नजर में

अपर्णा उपाध्याय

गांवों में रहने वालों की हालत सुधारने की दृष्टि से बहुत पहले ही यह समझ लिया गया था कि व्यापक रूप से भूमि सुधार लागू करने होंगे। इन्हीं के माध्यम से ग्राम किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा खेती से सम्बन्धित कार्य करने वाले अन्य लोगों की हालत बेहतर हो सकती है। भूमि-सुधार के इस विराट कार्य में सर्वप्रथम फालतू भूमि के वितरण का सवाल सामने आया। यह कार्यक्रम पिछले 3 दशकों से निरन्तर चलता रहा है, मगर 1 जनवरी 1982 से अर्थात् नए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के बाद इसने उल्लेखनीय प्रगति की है।

कृषि एवं राजस्व के विशेषज्ञों की सलाह से भारत के सभी गांवों और कस्बों में 42 लाख एकड़ से भी अधिक (42,35,025 एकड़) भूमि को "फालतू भूमि" घोषित किया गया। यह ऐसी भूमि थी जो जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कारण बच रही थी और इसे उन लोगों में वितरित किया जाना था जिनके पास खेती के लिए अपनी जमीन नहीं थी। वस्तुतः जोत की अधिकतम सीमा बनाने का उद्देश्य भी यही था। कुछ परिवारों के पास असीम भूमि एकत्रित हो जाए और दूसरों के पास एक बीघा जमीन भी न हो, यह बात सामाजिक न्याय के विरुद्ध और बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं थी। अतः यह तय किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक भूमि जिस किसी परिवार के पास हो उसे कानूनन ले लिया जाए और उसे भूमिहीन लोगों में वितरित कर दिया जाए। ऐसा करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का खास तौर से ध्यान रखा जाए।

अब तक इस "घोषित फालतू भूमि" में से लगभग 30 लाख एकड़ भूमि पर बाकायदा कब्जा ले लिया गया और इसे भूमिहीन लोगों को दिया जा रहा है। कर्यक्रम के प्रारम्भ होने से अब तक 20 लाख एकड़ से भी अधिक ऐसी भूमि का वितरण किया जा चुका है। इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या 15 लाख से भी अधिक है। इनमें से लगभग पौने सात लाख व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं जिन्हें कुल मिला कर 7.72 हजार एकड़ जमीन खेती करने के लिए दी जा चुकी है। अनुसूचित जन जाति के 2 लाख लोगों को भी इससे लाभ पहुंचा है और उन्हें अब तक 3 लाख एकड़ भूमि दी गई है।

स्मरणीय है कि नया आर्थिक कार्यक्रम लागू होने के वर्षों में इस कार्य में काफी तेजी आई। इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होते समय लगभग 5 लाख एकड़ (5,47,388 एकड़) भूमि को फालतू घोषित किया गया था। इसमें से 4.61 हजार एकड़ भूमि का कब्जा सरकार को मिल चुका है जिसमें से लगभग तीन-चौथाई भाग (3,14,984 एकड़) भूमि का वितरण किया जा सका है। इससे पिछले दो सालों में 3.18 हजार परिवारों को लाभ पहुंचा है। लगभग डेढ़ लाख परिवार अनुसूचित जातियों के हैं और 55 हजार अनुसूचित जन जातियों के, जिन्हें क्रमशः 1.22 हजार एकड़ और 55 हजार 541 एकड़ कृषि भूमि खेती के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क दी गई है।

कहना न होगा कि हमारे इतिहास में इतना क्रान्तिकारी कार्य इससे पहले कभी नहीं हुआ, जहां इतनी न्यून अवधि में लगभग 16 लाख भूमिहीन परिवारों को निःशुल्क भूमि सरकार की ओर से दे दी गई हो।

भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए जमीन देने के इस कार्यक्रम पर योजना आयोग के विशेषज्ञ भी निरन्तर कड़ी नजर रखते हैं कि हर साल कितना कार्य सम्पन्न हुआ है। उदाहरण के लिए योजना आयोग ने अप्रैल 1983 से मार्च 1984 तक के वर्ष का जायजा हाल ही में लिया था। उस समय जो आंकड़े एकत्रित किए गए थे उनसे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इस अवधि में लगभग 1 लाख (90,996) एकड़ फालतू जमीन का वितरण हुआ।

संशोधित जोत सीमा कानून के अन्तर्गत भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है। यह कानून 1972 से लागू है। इसके माध्यम से पिछले दो-ढाई दशकों में 42 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की जा सकी है। 4,77,000 एकड़ भूमि पिछले दो वर्षों में फालतू घोषित की गई है।

ऐसा लगता है कि लगभग सभी फाल[तू] भूमि का पता लगा लिया गया है। किन[्तु] अब नई फालतू भूमि ढूंढने का प्रयत्न काफ[ी]

मन्दा हो गया है। यह भी हो सकता है कि जिन लोगों के पास बड़ी-बड़ी जोते हैं उन्होंने चालाकी से रिकार्ड बदलवाकर अपनी जोतों को निर्धारित जमीन तक रखने में सफलता प्राप्त कर ली हो। येन-केन प्रकारेण वह अपनी कृषि भूमि को फालतू घोषित होने से बचाने में सफल हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी मात्रा में फालतू भूमि घोषित की जाती है उसका वितरण भी काफी मन्दी गति से होता है। अतः इस दिशा में नए सिरे से सोचना होगा कि फालतू भूमि के वितरण में किस तरह तेजी लाई जाए और यह देखा जाएं कि जिन लोगों को फालतू भूमि में से खेती करने के लिए दी जाती है, क्या वे उसे वास्तव में काम में भी ला रहे हैं अथवा नहीं ? कई स्थानों से इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि कुछ बलशाली लोग ऐसी भूमि पर किसी अन्य को कब्जा नहीं करने देते और उनके द्वारा खेती करने को प्रायः असम्भव बना देते हैं। भूमि-सुधारों को सही ढंग से लागू किया जाएं। यह परम् आवश्यक है कि फालतू भूमि पर यथार्थ रूप से वे लोग काबिज हो सकें जिन्हें वह मिली है और उस पर निर्बाध रूप में खेती कर सकें, फसलें उगा सकें और समृद्धि की ओर आगे बढ़ सकें तभी सामजवादी समाज रचना का स्वप्न साकार हो सकेगा।

अब राज्यों पर दृष्टिपात करें। देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में प्रति वर्ष फालतू भूमि के वितरण के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक राज्य के लिए लक्ष्य निश्चित किया जाता है। तदनुसार राज्य को कार्य करना होता है। निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य सम्पन्न कर सकें तो बहुत ही सराहनीय होगा। उन्हें इस बात की छूट है कि अपने साधनों में रहते हुए अपना काम बढ़ा सकते हैं।

पिछले साल अर्थात् 1983-84 में सम्पूर्ण देश में लगभग 3 लाख (2,84,182) एकड़ भूमि वितरण करने का लक्ष्य रखा गया था। इसका 67 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। तदनुसार पिछले वर्ष लगभग 2 लाख (1,90,596) एकड़ जमीन भूमिहीन लोगों को दी जा चुकी है। यह तो रही समूचे देश की बात। किन्तु कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लक्ष्य से दुगुना-तिगुना अधिक कार्य कर दिखाया है। सर्वप्रथम नाम आता है—गुजरात का। जिसने निर्धारित लक्ष्य का 290 प्रतिशत कार्य सम्पन्न किया और इस प्रकार देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पिछले वर्ष गुजरात में 10 लाख एकड़ जमीन का वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था मगर इस साल के अन्दर 29 हजार एकड़ भूमि, भूमिहीन लोगों में बांटी। दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा। यहां 12,000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया था जब कि वितरण हुई जमीन 24 हजार (24,608) एकड़ से भी अधिक रही। निर्धारित लक्ष्य के समकक्ष अथवा उससे कुछ अधिक कार्य करने वाले राज्य उड़ीसा, मणिपुर, असम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश रहे। असम में 11 हजार एकड़ निर्धारित लक्ष्य के पीछे 20 हजार एकड़, उत्तर प्रदेश में 5 हजार एकड़ के लक्ष्य के मुकाबले 6,910 एकड़, उड़ीसा में 8,750 एकड़ के लक्ष्य के मुकाबले 10,857 एकड़ जमीन भूमिहीन लोगों को दी गई।

यह तो रही सफलता के आंकड़े गिनाने की बात। इसका एक दूसरा पहलू भी है। भूमि-सुधार जैसे पुनीत कार्य में कुछ राज्य असाधारण रूप से पिछड़े रहे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दो राज्यों के कार्य निष्पादन के बारे में यही स्थिति है। यह काफी दुःखद है कि कर्नाटक में अपने निर्धारित लक्ष्य का केवल 11 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में केवल 18 प्रतिशत कार्य सम्पन्न किया गया। अर्थात् पूरे 12 महीनों में कर्नाटक ने 55 हजार एकड़ भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था किन्तु उसकी उपलब्धि रही 6,322 एकड़ भूमि। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में इस वर्ष के दौरान 71,821 एकड़ भूमि को वितरित करने का कार्य किया जाना था जबकि उसकी उपलब्धि केवल 13 हजार एकड़ भूमि रही। कुल मिला कर यह स्थिति बहुत सन्तोषजनक नहीं है। अगर इस गति से फालतू जमीन के वितरण का कार्य किया जाएगा तो भूमि-सुधारों के पूर्ण होने में वर्ष नहीं युग लगेंगे। इसलिए इस पहलू पर सभी सम्भावित विभागों को ध्यान देना होगा। तभी फालतू भूमि वितरण का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जा सकेगा। □

407, कल्पना नगर,
पटेल मार्ग, गाजियाबाद (उ० प्र०)

भूमि सुधारों से 15.5 लाख लोग लाभान्वित

योजना आयोग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1983-84 को अंतिम तिमाही के दौरान 4271 व्यक्तियों को 8400 एकड़ भूमि वितरित की गई।

इसी अवधि में भूमि सीमा नियमों के अन्तर्गत 10,300 एकड़ भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई और सरकार ने भूमि का वितरण करने के लिए 16,300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। इस तिमाही के लिए दस राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश से अभी रिपोर्ट आनी शेष थी। कुछ अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने भूमि सुधारों संबंधी अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1984 तक की अवधि तक की ही भेजी हैं।

भूमि के पुनर्वितरण से लाभान्वित होने वाले 4271 लोगों में से 2081 लोग अनुसूचित जाति और 758 लोग अनुसूचित जनजाति के हैं।

वर्ष 1972 के बाद 42.35 लाख एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की जा चुकी है। नए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरूआत के बाद 4.77 लाख हैक्टेयर भूमि को अतिरिक्त घोषित किया जा चुका है। अब तक 21.62 लाख एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है।

न्यायालय में विचाराधीन मामलों के कारण घोषित अतिरिक्त भूमि तथा अधिग्रहण की गई भूमि के वितरण में काफी बड़ा अन्तर है।

वर्ष 1972 से भूमि के पुनर्वितरण से 15.5 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। इनमें 6.7 लाख लोग अनुसूचित जाति और दो लाख लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। □

ग्रामीण औद्योगीकरण में

समन्वित ग्रामीण विकास का योग

जे० टी० सिंह

ग्रामीण औद्योगीकरण के माध्यम से गांवों के गरीब बेरोजगार लोगों को विपन्नता से सम्पन्नता की ओर तेजी से अग्रसर करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक अनोखा तजुर्बा है। इसकी सफलता से देश की स्वतंत्रता की सुदृढ़ता, राष्ट्रीय एकता की मजबूती और अभावग्रस्त कोटि-कोटि ग्रामीणजनों की आर्थिक स्वतन्त्रता और उनके जीवनोल्लास का इतिहास अंकित होना है। अतः इससे सम्बद्ध हर व्यक्ति को, सफलता की कुंजी मन, वचन और कर्म से कार्य करने की प्राचीन भारतीय पद्धति का वरण करना ही होगा।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम का एक भाग है। इसका एकमुख्य उद्देश्य ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प तथा कारीगरी को इस प्रकार सहायता करना है कि इसका अधिकाधिक लाभ गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों को मिले, जिससे इन की गरीबी दूर हो और उनके जीवनस्तर में सुधार आए। इसके लिए गरीब परिवारों को उत्पादक परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं। सहायता लघु कृषकों को परिसम्पत्तियों की पूंजी लागत की 25 प्रतिशत, सीमांत कृषकों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण करीगरों को साढ़े तैंतीस प्रतिशत तक दी जाती है। एक परिवार को 3000 रु० तक उपदान मिल सकता है। आदिवासी परिवार को 5000 रु० तक का उपदान प्राप्त हो सकता है और वह योजना की पूंजी लागत के 50 प्रतिशत तक के उपदान का हकदार है।

परिवार को उपलब्ध की जाने वाली परिसम्पत्तियों के लिए वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपदानों और बैंकिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों से प्राप्त होती है।

20 सूत्री कार्यक्रम के तहत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं के लिए छठी योजना में आवंटन के लिए 1500 करोड़ रु० की व्यवस्था है जिसमें से राज्य तथा केन्द्र बराबर-बराबर राशि वहन करते हैं। इसके अलावा छठी योजना अवधि में 3000 करोड़ रु० तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं के लिए लगभग 4500 करोड़ रु० के निवेश की व्यवस्था है।

छठी योजना का निष्पादन लक्ष्य

छठी योजना के दौरान 150 लाख (डेढ़ करोड़) परिवारों को सहायता दी जाएगी। उद्देश्य ये है कि देश के प्रत्येक विकास खण्ड के लगभग 3000 परिवारों की सहायता हो जाए और प्रतिवर्ष प्रति विकास खण्ड 600 परिवारों को सहायता मिल जाए। इसके लिए छठी योजना में हर विकास खण्ड के लिए 35 लाख रु० की धनराशि रखी गई है। जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति परिवारों को सहायता का 30 प्रतिशत मिलना चाहिए।

गरीबों की संख्या अधिक होने के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को सहायता राशि (उपदानों और ऋणों दोनों) का 30 प्रतिशत भाग अवश्य मिलना चाहिए और जिन परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई जाए उनमें 30 प्रतिशत परिवार इन जातियों के अवश्य हों।

छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 1983–84 के लिए नवम्बर 1983 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों का ब्यौरा आगे तालिका में दिया गया है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा विकास खण्ड, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हैं। हर राज्य में एक समन्वय समिति गठित है, राज्य का मुख्य सचिव जिसका अध्यक्ष होता है।

यह समिति समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम के कार्यान्वयन सम्बन्धी सभी पहलुओं का निरीक्षण और संबोधन करती है। हर जिले में विकास एजेंसी होती है जिसका अध्यक्ष कार्यक्रम के कार्यान्वयन व समन्वय सम्बन्धी प्रमुख भूमिका निभाता है।

क्षेत्र विशेष से सम्बद्ध जन प्रतिनिधि—संसद सदस्य, राज्य विधान सभाओं के सदस्य, जिला परिषदों और पंचायत समितियों से प्रतिनिधि ग्रामीण समन्वित विकास कार्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन में शामिल होते हैं और सहायता के पात्रों के चयन में ग्राम सभाओं से परामर्श किया जाता है।

समन्वित ग्रामीण विकास का लाखों गरीब गांव वासियों को लघु उद्यमी बनाने का तथा उन्हें सामाजिक न्याय तथा आर्थिक स्वतन्त्रता दिलाने का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब विभिन्न संस्थाएं तथा एजेंसियां, विशेषकर कच्चे माल, गुणवत्ता (क्वालिटी) नियंत्रण तथा विपणन आदि की व्यवस्था से सम्बद्ध संस्थाएं तथा एजेंसियां, इन उद्यमियों के लिए अपनी सेवाएं उत्साहपूर्वक सुलभ करने में रुचि लें। अनेक जगह आधारभूत ढांचा भी कम है जिसके लिए राज्य सरकारों को तत्परता से काम करने की जरूरत है।

उद्योग, सेवा तथा व्यापार घटक

फरवरी 1979 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में उद्योग सेवा तथा व्यापार घटक शामिल किया गया। इसका उद्देश्य गैर-फार्म क्षेत्र में लोगों को रोजगार देना है। इस घटक के अन्तर्गत चुने गए व्यक्ति समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की भांति ही आर्थिक सहायता पाएंगे जिसकी अधिकतम सीमा 3000 रु० है। समन्वित ग्रामीण विकास का 2 अक्तूबर 1980 से देश के सभी विकास खण्डों में विस्तार कर दिया गया। निर्धनता की रेखा से नीचे बसर करने वाले छोटे और सीमांत किसान तथा कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के 600 परिवार प्रति विकास खण्ड इसके अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है। इनमें से 200 परिवार उद्योग, सेवा तथा व्यापार घटक के अन्तर्गत लिए जाने का कार्यक्रम है। अनुमानतः इस क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कुल लगभग 10 लाख व्यक्ति आते जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति विभिन्न मंत्रालयों के बीच उद्योग, सेवा तथा व्यापार घटक के कार्यों का समन्वय करेगी जो ग्रामीण औद्योगीकरण से सम्बद्ध है। यह समिति विकेन्द्रीकृत औद्योगिक क्षेत्र का कार्य देखने वाले सभी मंत्रालयों तथा सम्बद्ध अखिल भारतीय निकायों के बीच समन्वय रखेगी।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उद्योग, सेवा तथा व्यापार घटक के अन्तर्गत सारे देश में 1979–80 से 1983–84 (सितम्बर 1983 तक) के दौरान 18,91,522 लक्षित परिवारों की सहायता की गई। इनमें से 1979–80 में 1,11,877, 1980–81 में 1,78,865, 1981–82 में 5,31,673, 1982–83 में 7,21,953 तथा 1983–84 में 2,57,156 परिवारों की सहायता हुई। ये आंकड़े भी पूरे नहीं हैं क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिनसे किसी-किसी वर्ष के आंकड़े प्राप्त ही नहीं हुए। जैसे आंध्र प्रदेश से वर्ष 1982–83 तथा 1983–84 के, बिहार, गुजरात और हिमाचल प्रदेश से 1981–82 के, हरियाणा से 1983–84 के, जम्मू तथा कश्मीर से 1981–82, 1982–83 और 1983–84 के, केरल से 1981–82 तथा 1982–83 के, महाराष्ट्र और मणिपुर से 1983–84 के, मेघालय से 1981–82, 1982–83 तथा 1983–84 के, नगालैण्ड से 1982–83 के, पश्चिम बंगाल से 1981–82, 1982–83 और 1983–84 के तथा दिल्ली से 1979–80 के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

ग्रामीण युवकों के उद्योग धन्धे

रोजगार के उद्योग धंधे शुरू करने में समर्थ बनाने के लिए ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम) कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण युवकों को आवश्यक कुशलताओं तथा औद्योगिकी से लैस

तालिका

समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्र० सं०	मद	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84 [नवम्बर 83]
1.	केन्द्रीय आबंटन (करोड़ रु०)	127.80	153.36	204.48	204.48
2.	केन्द्रीय बंटन (करोड रुपये)	82.58	128.45	176.18	93.34
3.	राज्य अंश सहित कुल व्यय (करोड रु०)	158.64	264.64	359.59	156.91
4.	जुटाए गए आवधिक ऋण "	289.05	467.59	713.98	287.23
5.	सहाय्यित परिवारों की संख्या (लाखों में)	27.27	27.13	34.55	14.26
6.	सहाय्यित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या (लाखों में)	7.81	10.01	14.05	5.66
7.	कुल योग में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	28.6	36.9	40.7	39.7
8.	प्रति व्यक्ति निवेश (रुपये में)	1642	2698	3107	3114

करने पर विशेष बल दिया जाता है। इस योजना का लक्ष्य प्रति विकास खण्ड कम से कम 40 ग्रामीण युवकों की दर से 5,000 और कुल प्रतिवर्ष 2,00,000 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का यह वह प्रमुख अंग है जो 18 से 35 वर्ष की आयु के बेरोज़गार ग्रामीण युवकों को दिशा देता है। 3,500 रु० तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्यों को इसमें प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। निर्देश यह है कि निर्धनतम परिवारों के सदस्यों को पहले लिया जाए। एक परिवार से ऐसा एक ही व्यक्ति लिया जाए जिसका रुझान उद्यम शुरू करने में हो। चयन में प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार है :— 1. अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां, 2. भूतपूर्व सैनिक या राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में 9 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति। ट्राइसेम के प्रशिक्षणार्थियों में महिलाओं की एक तिहाई संख्या का सुझाव है।

उद्यम शुरू करने के लिए ट्राइसेम का प्रशिक्षण

चयनित उद्यमी रुझान वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण तकनीकी संस्थानों, मास्टर प्रशिक्षकों, मास्टर शिल्पकारों, कुशल कारीगरों, औद्योगिक एककों, सेवाई इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और व्यापारिक यूनिटों के माध्यम से दिलाने की व्यवस्था है।

उद्यम-प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता

प्रशिक्षण के लिए आवर्ती और गैर-आवर्ती, दोनों प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाती है। आवर्ती सहायता प्रशिक्षार्थियों के वजीफों, प्रशिक्षण खर्चों, कच्चे माल, प्रशिक्षार्थियों के औजार किटों के लिए होती है। प्रशिक्षण, प्रशिक्षार्थी के गांव या पास के गांव में हो तो वजीफा 75 रु० मासिक तक, गांव से बाहर निःशुल्क आवास के साथ हो तो 150 रु० प्रतिमाह तक, एक महीने से कम का प्रशिक्षण हो तो 6 रु० प्रतिदिन तक और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 100 रु० तक और गांव से बाहर तथा स्वयं की व्यवस्था द्वारा सशुल्क आवास के साथ 200 रु० तक प्रतिमाह तथा एक माह से कम के प्रशिक्षण के लिए 7 रु० रोज, अधिकतम 100 रु० तक यह वित्तीय सहायता दी जाएगी।

ट्राइसेम के अधीन उद्यम का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं या मास्टर शिल्पियों को प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिमाह 50 रु० तक का प्रशिक्षण खर्च दिए जाने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण संस्थान या मास्टर प्रशिक्षक को प्रतिमाह प्रति शिक्षार्थी 25 रु० से 200 रु० (अधिकतम) तक उद्यम प्रशिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले माल के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा सफल प्रशिक्षकों के लिए इनाम की भी व्यवस्था है जो प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति पाठ्यक्रम 50 रु० है। प्रशिक्षण पाने वालों को 500 रु० तक का एक औजार किट निःशुल्क दिया जाता है।

परियोजना रिपोर्ट तथा अन्य सहायता

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को उद्यम शुरू करने सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहायता दी जाती है और उन्हें बैंक ऋण ग्राह्य योजनाओं के रूप में बदला जाता है। बैंक ऋणों और उपदानों सम्बन्धी आवेदनों के समय भी प्रशिक्षितों की सहायता की जाती है तथा उन्हें उद्यम यूनिटें स्थापित करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रतिमान पर उपदान दिया जाता है। जिसकी राशि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में अधिकतम 4,000 रु०, आदिवासी लाभार्थियों के लिए अधिकतम 5,000 रु० और अन्य सभी क्षेत्रों में अधिकतम 3,000 रु० है। सब प्रकार की आवर्ती सहायता समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की निधियों से मिलती है और केन्द्र तथा सम्बद्ध राज्य इसे बराबर-बराबर वहन करते हैं।

गैर आवर्ती सहायता

प्रशिक्षण के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए अलग से बजट प्रावधान है और निर्माण सहायता के रूप में यह शयनागारों, कक्षा-कमरों, कार्यशाला आवासों, प्रशिक्षण उपकरणों तथा अन्य सम्बद्ध वस्तुओं की खरीद के लिए दी जाती है। छठी योजना में इस मद के लिए 5 करोड़ रु० की व्यवस्था है।

ट्राइसेम की उपलब्धियां

इस योजना के अन्तर्गत 1979–80 में देश भर में विभिन्न राज्यों में 40,184 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें से 13,735 स्व-नियोजित उद्योग चलाने लगे थे। 1980–81 में 1,22,612 प्रशिक्षित हुए और 45,540 स्व-नियोजित हुए, 1981–82 में 2,02,417 प्रशिक्षित और 98,189 स्व-नियोजित, 1982–83 में 2,44,521 प्रशिक्षित और 1,30,749 स्व-नियोजित हुए और 1983–84 में अप्रैल से सितम्बर 1983 के बीच 56,965 प्रशिक्षित हो चुके थे और 52,551 की प्रशिक्षा चल रही थी और 25,724 स्वब नियोजित उद्योग में लग चुके थे। ये आंकड़े भी पूर्ण नहीं हैं क्योंकि कई राज्यों से किसी-किसी वर्ष के आंकड़े असूचित रहे हैं। पूरे आँकड़े उपलब्ध हों तो यह संख्या और अधिक हो जाएगी।

द्वारा श्री शिवलाल,
मकान संख्या–281,
रघुवीर नगर (80 गज),
ब्लाक–डी,
नई दिल्ली–110027

शिशु एक सुख अनेक

समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम मासिक रिपोर्ट

समीक्षाधीन अवधि में आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु की राज्य-स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें आयोजित की गई थीं। इन बैठकों मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 1984 हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की वार्षिक कार्य-योजनाएं मंजूर की गईं तथा कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई।

26 और 27 जुलाई, 1984 को नई दिल्ली में विशेष पशुधन संवर्द्धन कार्यक्रम के प्रभारी राज्य सचिवों और पशु-पालन के निदेशकों का एक सम्मेलन हुआ। विशेष पशुधन संवर्द्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की विभिन्न कठिनाइयों, बीमा की समस्याओं आदि पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

खण्ड-स्तरीय प्रशासन और मानिटरिंग सैलों को सुदृढ़ बनाने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 19 जुलाई, 1984 को सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में केन्द्रीय संस्वीकृति समिति की बैठक हुई थी। खण्ड स्तरीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए तीन तथा राज्य मुख्यालयों में स्थित मानिटरिंग सैलों को सुदृढ़ बनाने के लिए चार राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रस्ताव मंजूर किए गए।

ऋण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु ऋण सहायता सम्बन्धी उच्च-स्तरीय समिति की एक बैठक 17-7-84 को हुई। इस बैठक से पहले 16-7-84 को संस्थागत वित्त के प्रभारी राज्य-सचिवों की एक बैठक हुई थी। इसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण जुटाने की स्थिति और पिछली बैठकों के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा की गई।

इन बैठकों में अनेक दूरगामी निर्णय लिए गए जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आवेदन प्रपत्रों और ऋण की पास बुकें एक समान रूप से तैयार करना, राज्य के अधिकारियों के साथ बैंक कर्मचारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, खण्ड विकास अधिकारियों (बी० डी० ओ०) द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक संख्या में प्रेषित किए जाने वाले आवेदन-पत्रों की संख्या को कम करना तथा वाणिज्यिक बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वित ग्रामीण विकास कक्षों का खोलना।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति ने 9-7-1984 को हुई अपनी बैठक में 33 परियोजनाओं को मंजूर किया जिन पर लगभग 5,982 लाख रुपये की लागत आएगी।

प्रशिक्षण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम सम्बन्धी अनुसंधान प्रशिक्षण और मूल्यांकन और तदर्थ अध्ययनों पर सलाहकार समिति की सातवीं बैठक सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में 23 जुलाई, 1984 को हुई थी। इस समिति ने अनुसंधान अध्ययनों को मंजूर किया जिन पर 3,56,130 रुपये व्यय होगा।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :—

1. ग्रामीण विकास की परियोजना तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी तथा मूल्यांकन पाठ्यक्रम।
2. ग्रामीण विकास तथा जिला प्रशासन में प्रबन्ध।
3. ऋण द्वारा विकास।
4. ग्रामीण विकास का आयोजन तथा प्रबन्ध।
5. ग्रामीण ऊर्जा स्रोतों के प्रबन्ध पर कार्यशाला।
6. स्थानीय स्तर पर योजना के मार्गदर्शक नियमों का मौके पर परीक्षण।
7. ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक संगठन की भूमिका पर संगोष्ठी

कृषि विपणन

ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु केन्द्रीय आर्थिक सहायता देने हेतु परियोजना निधि समिति की एक बैठक 21-7-84 को हुई थी। इस समिति ने 1,30,900 मीटरी टन की भंडारण क्षमता तथा 180.62 लाख रुपये की लागत से बनने वाले 332 गोदामों के निर्माण हेतु 7 राज्य सरकारों के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है।

विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय ने 23-7-84 से 28-7-84 तक आजादपुर मण्डी, दिल्ली में फलों तथा सब्जियों से सम्बन्धित बाजार सूचनाओं के एकत्रीकरण विश्लेषण तथा प्रसार के बारे में एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था।

जन-सहयोग

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष (एन० एफ० आर० डी०) के अन्तर्गत 55.31 लाख रुपये की राशि दान के रूप में प्राप्त हुई।

अन्तर-राष्ट्रीय सहयोग

इस मंत्रालय की निदेशक (वित्त) श्रीमती ए० एल० गणपति को जुलाई, 1984 से एक वर्ष के लिए हारवर्ड विश्वविद्यालय में विकासशील देशों में सार्वजनिक नीति तथा प्रबन्ध में एडवर्ड एस० मैसन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु भेजा गया था। □

आर्थिक प्रगति को

सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा जाए

श्याम सुन्दर अग्रवाल

आजकल वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। औद्योगीकरण की इस प्रक्रिया ने जहां राष्ट्रीय उत्पादन, आय विनीयोग एवं रोजगार में वृद्धि की है वहीं पर एक ऐसी निर्मम सामाजिक—आर्थिक व्यवस्था को भी जन्म दिया है, जिसमें एक ओर बड़े-बड़े पूंजीपति हैं तथा दूसरी ओर बहुसंख्यक गरीब। विकास के लाभ चंद पूंजीपति वर्ग को ही मिले हैं। आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक विषमता में भी निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।

विभिन्न देशों के सामाजिक ढांचे में निरन्तर बढ़ती आर्थिक विषमता के कारण ही सामाजिक न्याय का प्रश्न उदय हुआ। यह मांग की जाने लगी है कि आर्थिक प्रगति को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा जाना चाहिए। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है—"समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं तथा भोजन, वस्त्र, एवं मकान की पूर्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को विकास का उचित अवसर मिले। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोका जाए और आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो।"

विश्वस्तर पर सामाजिक न्याय का प्रश्न तब उदित हुआ जब द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् ऐशिया और अफ्रीका के अनेक नव स्वाधीन राष्ट्रों ने पश्चिम के विकसित देशों की सहायता से अपना आर्थिक विकास शुरू किया। गुन्नार मिर्डल ने अपने विश्व विख्यात ग्रन्थ "ऐशियन ड्रामा" में इन देशों के आर्थिक विकास की गति का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि इन देशों ने छठे तथा सातवें दशक से तेजी से आर्थिक प्रगति की है, परन्तु इसका अधिक लाभ चंद लोगों को ही मिला है।

अर्थशास्त्रियों में मतभेद

पश्चिम के परम्परागत अर्थशास्त्रियों का मत है कि आर्थिक विकास तथा समतावादी सुधारों में संघर्ष है। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि हमें सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु उद्योगपतियों पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर उनकी सम्पत्ति का भी सामाजिक हित हेतु अधिग्रहण करना पड़ सकता है। इससे उद्योगपति उद्योगों में पूंजी लगाने से हिचकिचाएंगे और आर्थिक विकास की गति मंद पड़ जाएगी।

दूसरी तरफ, कुछ अर्थशास्त्री विशेष रूप से राजनीतिज्ञ, सामाजिक-न्याय पर बल देते हैं। उनका मानना है कि यदि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को रोजी-रोटी नहीं मिलती तो ऐसे लोगों के लिए राजनैतिक स्वतन्त्रता और जनतन्त्र का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। वस्तुतः आर्थिक-विषमता से ग्रस्त समाज में प्रजातन्त्र धनिक-तन्त्र में बदल जाता है और धनिकों का राज्य-सत्ता पर प्रभाव बढ़ जाता है।

भारतीय संविधान की धारा-38

हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही यह घोषित किया गया है कि—हमारा उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय दिलाना है। एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की बात संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में व्याख्यांकित है कि राज्य अपनी नीति निम्नलिखित प्रकार से निर्देशित करेगा जिससे:—

(1) समस्त नागरिकों को समान रूप से जीवन-यापन के साधन प्राप्त हो सकें।

(2) देश के भौतिक साधनों का वितरण इस प्रकार हो जिससे अधिक से अधिक लोक कल्याण हो सके।

(3) सार्वजनिक हित के विरुद्ध धन के केन्द्रीयकरण को रोका जाए।

(4) स्त्री एवं पुरुष को समान वेतन प्राप्त हो; और

(5) बच्चों और नवयुवकों का आर्थिक शोषण तथा नैतिक पतन से रक्षण हो।

आजादी के बाद आर्थिक प्रगति

आजादी के पश्चात् देश के तेज गति से आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हमने नियोजन का मार्ग चुना। योजनाओं के जनक श्री नेहरू ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि हमारा उद्देश्य विकास के साथ न्याय भी है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु ही नेहरूजी ने "समाजवादी समाज" की स्थापना का लक्ष्य बनाया। वे यह जानते थे कि समाजवादी ढांचे में ही प्रत्येक व्यक्ति को विकास का अवसर मिल सकता है।

आर्थिक प्रगति बढ़ी सामाजिक न्याय घटा

वस्तुतः तमाम कठिनाइयों के बावजूद योजनाओं ने देश की प्रगति के द्वार खोले हैं। अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जो सारणी से स्पष्ट है :—

योजनाकाल	राष्ट्रीय आय (प्रतिशत)	कृषि उत्पादन (प्रतिशत)	औद्योगिक उत्पादन (प्रतिशत)	प्रति व्यक्ति खपत (प्रतिशत)	कुल स्थायी विनियोग (प्रतिशत)
प्रथम योजना (1951–52 से 1955–56)	3.6	4.1	7.3	1.7	3.0
द्वितीय योजना (1956–57 से 1960–61)	4.0	4.0	5.6	1.8	5.8
तृतीय योजना (1961–62 से 1965–66)	2.2	1.4	2.0	0.1	8.7
वार्षिक योजनाएं (1966–67 से 1968–69)	4.0	6.2	2.0	2.0	1.5
चतुर्थ योजना (1969–70 से 1973–74)	3.3	2.0	4.7	0.4	3.1
पांचवीं योजना (1975–76 से 1978–79)	5.4	4.2	5.8	2.3	6.6
प्रथम योजना से पांचवीं योजना (1951–52 से 1978–79 तक)	3.5	2.7	6.1	1.1	5.5

आजादी के पश्चात् देश ने अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति की है यथा—खाद्यान्नों का उत्पादन 1950–51 में मात्र 5 करोड़ मीट्रिक टन था, बढ़कर 1983 में 14 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन हो गया। अनुमान है कि, इस सदी के अन्त तक 25 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। यह दीगर बात है कि वर्तमान में मात्र 25 प्रतिशत भू-भाग को ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं और शेष 75 प्रतिशत आज भी भगवान भरोसे निर्भर है। जिस देश में भूमिहीन कृषि-मजदूरों ने "हरित क्रांति" को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया वही आज सर्वाधिक गरीब और अल्प-पोषित हैं। देश के अनेक भागों में उन्हें पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कुछ क्षेत्रों में तो दैनिक मजदूरी 3 या 4 रुपये से अधिक नहीं है। बन्धुआ मजदूरी-प्रथा आज भी विद्यमान है। हरितक्रान्ति का लाभ भी देश के कुछ ही भागों यथा—केरल, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ ही फसलों यथा—चावल, दालें, गेहूं, और कुछ ही सम्पन्न कृषकों जिनके पास 20 से 24 एकड़ भूमि एवं ट्रैक्टर, पम्पिंग सेट आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं, तक सीमित रहा है। देश में हरित क्रांति में 'निर्धनता के सागर में सम्पन्नता के द्वीप' ही खड़े किए हैं।

औद्योगीकरण की धीमी प्रगति

पहले भारत की गणना विश्व के दस अग्रणी औद्योगिक देशों में की जाती थी (दसवां स्थान 1960 में ही अर्जित कर लिया गया था। (विश्व के अन्य राष्ट्रों की तुलना में धीमी गति से वृद्धि के कारण, विश्व बैंक के ताजा अध्ययन के अनुसार) वर्तमान में, 10वें स्थान की जगह 17वां हो गया है। दसवें स्थान पर अब मैक्सिको है। सन् 1948 में विश्व निर्यात व्यापार में भारत का हिस्सा 2.6 प्रतिशत था जो 1981 में घटकर मात्र 0.4 प्रतिशत रह गया है।

विश्व प्रगति रिपोर्ट के अनुसार—वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 260 अमरीकी डालर है जब कि पाकिस्तान का 350 डालर है। विश्व में भारत की औसत वार्षिक विकास दर मात्र 1.4 प्रतिशत ही दर्ज है और पाकिस्तान की 2:8 प्रतिशत। निर्धनता की दृष्टि से भारत का विश्व में छठवां स्थान आता है। 1980 में भारत पर उसकी कुल निर्यात योग्य आय का 13.6 प्रतिशत भाग विदेशी ऋण भुगतान का बोझ था जो 1982 में बढ़कर 20.7 प्रतिशत हो गया।

राष्ट्रीय आय—उत्पादन पहलू

1950–51 में भारत का सम्पूर्ण राष्ट्रीय उत्पादन (बाजार कीमतों पर) 9,503 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 1980–81 में 1,25,744 करोड़ रुपये हो गया अर्थात् इसमें 9 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई। जबकि इसी अवधि में हमारी जनसंख्या 1950–51 में 35.8 करोड़ से मार्च 1981 में बढ़कर 68.4 करोड़ हो गई अर्थात् इसमें 2.2 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई। इस प्रकार 1951 से 1981 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि की संचयी दर 84.37 प्रतिशत रही। इसकी तुलना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की संचयी दर मात्र 26 प्रतिशत रही। यद्यपि यह दोनों एक समान नहीं होते परन्तु राष्ट्रीय उत्पादन में अधिक तीव्रता से वृद्धि जरूरी थी।

प्रति व्यक्ति आय जो 1950–51 में 265 रुपये थी, बढ़कर 1980–81 में 1855 रुपये हो गई अर्थात् इसमें 6.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई। परन्तु ये समस्त अनुमान बाजार कीमतों पर लगाए गए हैं न कि मूल्यों की स्थिरता के आधार पर हैं। यदि 1970–71 के मूल्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाए तो सम्पूर्ण वास्तविक राष्ट्रीय आय में मात्र 3.5 प्रतिशत वार्षिक और प्रति व्यक्ति आय में मात्र 1.4 प्रतिशत वार्षिक औसत से कभी भी अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

राष्ट्रीय आय--वितरण पहलू

समस्त राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति औसत आय से यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि लोग सचमुच कैसे अपना जीवन-यापन करते हैं। यह तो व्यक्ति या परिवार की अपनी स्वायत्त आय से ही जाना जा सकता है। यह बात हमें राष्ट्रीय आय के वितरण पक्ष की ओर ले जाती है। हमारी कुल जनसंख्या का मात्र 10 प्रतिशत भाग ही ऐसा है जिसे हम सर्वाधिक सम्पन्न वर्ग मान सकते हैं। इसको स्वायत्त आय का लगभग 37 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। जनसंख्या का 10 प्रतिशत निर्धनतम वर्ग ऐसा भी है जिसको स्वायत्त आय का मात्र 1.8 प्रतिशत भाग ही प्राप्त होता है जो कि 70 प्रतिशत जनसंख्या के अन्य वर्ग में लगभग समस्त स्वायत्त आय का 35 प्रतिशत भाग होता है।

सम्पत्ति का केंद्रीयकरण

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश की कुल सम्पत्ति का 33 प्रतिशत भाग सबसे ऊपर के 5 प्रतिशत परिवारों के हाथों में केन्द्रित है, इनमें से आधी सम्पत्ति तो मात्र 01 प्रतिशत परिवारों के पास है। निम्नतम 5 प्रतिशत परिवारों के हिस्से में देश की सम्पत्ति का मात्र 0.01 प्रतिशत भाग ही आता है। इस प्रकार इन दोनों 5 प्रतिशत परिवारों की सम्पत्ति में असमानता का अनुपात 1:3300 का है। यदि सर्वाधिक नीचे के 01 प्रतिशत और सर्वाधिक ऊपर के 01 प्रतिशत परिवारों की सम्पत्ति में विषमता का मापन किया जाए तो यह असमानता का अनुपात 1:20000 होगा। ग्रामीण जनसंख्या के 10 प्रतिशत का कुल ग्रामीण सम्पत्ति में मात्र 0.1 प्रतिशत भाग है।

जब देश में योजनाबद्ध आर्थिक विकास का क्रम शुरू हुआ, तब देश की सबसे ऊपर की 10 प्रतिशत आबादी का सम्पूर्ण देश के उपभोग में मात्र 20 प्रतिशत हिस्सा था, 25 वर्ष बाद आर्थिक विकास के समस्त समाजवादी लक्ष्यों के बावजूद, 1975 में उसी 10 प्रतिशत शीर्षस्थ जनसंख्या का उपभोग में हिस्सा बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया।

रुपये के टूटने की प्रक्रिया जारी

यदि 1949 को आधार वर्ष मानकर चला जाए तो रुपये की क्रयशक्ति में निरन्तर गिरावट आई है। 1969 में यह 46.9 प्रतिशत थी जो 1973, 1978, 1980 और दिसम्बर 1983 में क्रमशः 39, 26, 22 और 12.89 प्रतिशत रह गयी। अर्थात् कल तक जो मुद्रा अधिक सामग्री क्रय करने की क्षमता रखती थी आज वही मुद्रा उस सामग्री का मात्र 12.89 प्रतिशत भाग ही क्रय कर सकती है।

गरीबी का फैलता घेरा

1962 में योजना आयोग ने देश में गरीबों की संख्या का अनुमान लगाने हेतु एक उच्चस्तरीय कार्यकारी दल का गठन किया था, जिसने सन् 1958 में गठित "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद" की पोषाहार सलाहकार समिति द्वारा संतुलित भोजन हेतु की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि 1960-61 की कीमतों के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम पोषक आहार व्यवस्था (2,400 कैलोरीज) हेतु पांच व्यक्तियों के एक परिवार का राष्ट्रीय न्यूनतम उपभोग खर्च 100 रुपये प्रतिमास से कम नहीं होना चाहिए। इस सीमा से नीचे रहने वाले समस्त लोग गरीब कहे जा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में रहन-सहन के स्तर पर अधिक खर्च होने पर न्यूनतम उपभोग खर्च की इस राशि को बढ़ाकर 125 रुपये प्रति परिवार मासिक कर दिया जाना चाहिए। योजनाकाल में मूल्य-स्तर में वृद्धि के साथ ही गरीबी की रेखा ऊपर की ओर खिसकती चली गई है।

गरीबी का चित्र (आंकड़ों की भाषा में)

(अ) गरीबी की रेखा

(1) 1960-61 20 रु० ग्रामीण क्षेत्रों में (प्रति व्यक्ति मासिक)
25 रु० शहरी क्षेत्रों में " " "

(2) 1979-80 76 रु० ग्रामीण क्षेत्रों में " " "
88 रु० शहरी क्षेत्रों में " " "

(ब) गरीबी की रेखा के नीचे (संख्या)

(1) 1973-74 17.3 करोड़ व्यक्ति (30 प्रतिशत)

(2) 1977-78 30.46 करोड़ व्यक्ति (48.3 प्रतिशत)

परस्पर विरोधी दावे

छठी योजना की मध्यावधि समीक्षा में योजना आयोग का यह दावा था कि 1981-82 में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या वर्तमान में घटकर 28 करोड़ 20 लाख हो गई है। परन्तु इस दावे पर देश के अर्थशास्त्रियों में गहरा मतभेद है। यदि हम यह मान लें कि एकीकृत ग्रामीण-विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले समस्त घरों में साधनों का प्रवाह एक-सा बना रहा है तो भी मार्च 1981 की जनगणना के तहत हुई अल्पगणना का हिसाब लगा लेने मात्र से ही यह संख्या 34 करोड़ पहुंचती है। यदि इसमें से उन 1 करोड़ 10 लाख लोगों को घटा दें, जो इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से ऊपर उठे होंगे, तब भी गरीबी-रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 32 करोड़ 90 लाख, अर्थात् हमारी कुल आबादी का 46.50 प्रतिशत होती है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार-प्रति वर्ष 66 लाख 70 हजार अतिरिक्त लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों में जुड़ जाते हैं। इस हिसाब से इस सदी के अन्त तक गरीबों की संख्या 1980 में आंकी गई 32 करोड़ 90 लाख से बढ़कर 47 करोड़ 20 लाख हो जाएगी जो आजादी से पहले भारत की कुल जनसंख्या थी। गुणात्मक दृष्टि से देश की मानव सम्पदा की इससे भारी क्षति और क्या हो सकती है ?

राजनैतिक दासता से तो हमें मुक्ति मिल गई परन्तु आर्थिक-दासता से कब मुक्ति मिलेगी ? कोई नहीं जानता ? गरीबी की यह समस्या सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही प्रकार की है। कम आय और

निम्न जीवन स्तर के कारण ही गरीबी का कोढ़ व्याप्त है और आर्थिक विषमता ने इस कोढ़ में "खुजली" की भांति कष्ट पहुंचाया है।

योजना आयोग ने गरीबी के दो प्रमुख कारण बताए हैं :—

(अ) अपूर्ण आर्थिक विकास एवं आर्थिक विषमता और

(ब) न्यून उत्पादन एवं अल्प प्रति व्यक्ति आय के साथ न्याय-पूर्ण वितरण की समुचित व्यवस्था का अभाव।

योजनाओं में अरबों-खरबों रुपयों के पूंजी विनियोजन के बावजूद विकास-दर औसत 3.5 प्रतिशत वार्षिक के आस-पास स्थिर है। जब तक विनियोजित पूंजी के मुताबिक उत्पादन वृद्धि नहीं होगी तब तक विकास दर में वांछित प्रगति की आशा निरर्थक है।

योजनाकाल में विकास दर (प्रतिशत में)

	लक्ष्य	वास्तविक
प्रथम योजना	2.1	3.6
द्वितीय योजना	4.5	4.0
तृतीय योजना	5.6	2.2
वार्षिक योजनाएं	—	4.0
चतुर्थ योजना	5.7	3.3
पंचम योजना	4.4	5.2
छठी योजना	5.2 (लक्ष्य)	—

नियोजन की कमजोरियां

1971 से देश में "गरीबी हटाओ" के विचार ने अधिक जोर पकड़ा है। यद्यपि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनेक कार्यक्रम जारी है परन्तु गरीबी कितनी कम हो रही है और कितनी आर्थिक-विषमता घट रही है कौन बताए ?

एक अनुमान के अनुसार—देश में 270 लाख लोग पूर्ण बेरोजगार हैं। उत्पत्ति के साधनों के न्यायपूर्ण वितरण में भारी गतिरोध है। बड़े उद्योग वांछित रोजगार-वृद्धि नहीं कर पाए हैं और सरकारी उद्योग अपनी पूर्ण कार्य-क्षमता भर कार्य नहीं करते। वे अपव्यय और भ्रष्टाचार के माध्यम बन गए हैं। उत्तरदायित्व की भावना बलवती नहीं हो पाई है। धन एवं आय के संकेन्द्रण के कारण आर्थिक विषमता बढ़ रही है। एक ओर भ्रष्ट एवं बेईमान धनी लोगों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर, ईमानदार धनी वर्ग की संख्या घट रही है। चूंकि बेईमान धनी सही ढंग से धन कमाने में विश्वास नहीं रखता और ईमानदार धनी, धन कमाने में रुचि नहीं रखता, क्योंकि उसके धन के जबरदस्ती हड़प जाने का भय रहता है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादकता कम हो रही है और काले-बाजार का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अर्थ-शास्त्रियों की राय में—भारत में कम से कम 200 करोड़ रुपये और अधिक से अधिक 25,000 करोड़ रुपये का काला धन विद्यमान है। यह हमारे कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत है।

ऐसा लगता है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों में परस्पर टकराव है। हमारे नियोजन की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी रही है कि विकास के लाभ अपने आप धनी वर्ग समूहों की ओर बहे चले जाते हैं और ग्रामीण गरीब इन लाभों से अछूते और वंचित रह जाते हैं। छठी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि चाहे कृषि उत्पादन हो या औद्योगिक उत्पादन, दोनों ही क्षेत्रों में उन वस्तुओं का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा जो उच्च वर्ग के काम आती हैं। यथा—कृषि उत्पादन में गेहूं, चावल गन्ना का उत्पादन बढ़ा परन्तु ज्वार, बाजरा, दलहन, और मूंगफली जैसी गरीबों के अधिक काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन में विशेष अधिक वृद्धि नहीं हुई। इसी प्रकार, पेट्रोलियम, कागज, मशीनें, औजार, टी० वी० सैटों, कारों, मोपेडों, पांच-सितारा होटलों में वृद्धि शानदार रही जब कि गरीबों की खपत का मोटा कपड़ा, उर्वरक, रेल डिब्बों आदि में वांछित वृद्धि नहीं रही। विकास के साधनों का एक बड़ा भाग ऐसी वस्तुओं के उत्पादन पर ही खर्च किया जाता है। जो एक विशिष्ट वर्ग के जीवन स्तर को उन्नत से उन्नतोत्तर बनाने हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं।

देश की आर्थिक प्रगति को सामान्य आदमी की जिन्दगी से अलग हटकर नहीं देखा जा सकता है। यदि देश की अधिकांश आबादी की जिंदगी बेहतर होती है तो यह विकास सही दिशा में हो रहा है, नहीं तो फिर उसमें कहीं कोई दोष अवश्य विद्यमान है।

सवाल साधनों की कमी का नहीं प्राथमिकताओं के चयन का है

आज हम विरोधाभास-जनक स्थिति में जी रहे हैं। एक तरफ हम देश के सम्पन्न वर्ग को योरोपीय अमेरिकी ढंग का जीवन स्तर उपलब्ध कराना चाहते हैं तो दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक विषमताओं को मिटाने का लक्ष्य भी साथ लेना चाहते हैं। यह स्वाभाविक ही है कि ताकतवर और कमजोर की रस्साकशी में ताकतवर ही बाजी मार लेता है और कमजोर लाचार मुंह ताकता रह जाता है।

तर्क दिया जाता है कि बढ़ती आबादी के महाचक्र के चलते इससे अधिक और क्या किया जा सकता है ? अर्थात्, बढ़ती आबादी विकास के लोप का प्रमुख कारण है। परन्तु जनसंख्या वृद्धि की इस दलील के आगे धन एवं साधनों की बरबादी को नहीं छिपाया जाना चाहिए। आज हमारे देश में 5 वर्ष से कम आयु के मात्र 15 प्रतिशत बच्चों को ही सामान्य पोषण मिल पाता है। शेष 85 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी प्रकार के अल्प-पोषण से ग्रस्त हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रति-वर्ष 30,000 बच्चे विटामिन "ए" की कमी से अंधे हो जाते हैं। देश की कुल 15 प्रतिशत आबादी ही अस्पतालों की चार-दीवारी में आ पाती है।

आज भी ढाई लाख गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और उतने ही गांवों तक जाने के लिए सडकें नहीं हैं।

निष्कर्ष

'विशिष्ट वर्ग' के जीवन-स्तर को उन्नत करने की कृत्रिम संस्कृति हम पर छाई हुई है। कल को अगर यही संस्कृति देश की गरीब जनता पर भी पूरी तरह से हावी हो जाती है तो उससे सामाजिक-असन्तोष का कितना बड़ा ज्वालामुखी फूटेगा उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। अब समय आ गया है कि स्वतन्त्रता और समानता

(शेष पृष्ठ 17 पर)

भारत में पशुओं और मुर्गियों की बीमा योजना

बीमा सहायता योजनाओं के अंतर्गत मुर्गियों पर बीमा किश्त दर में विशेष छूट

मनुष्य के लिए लाभदायक अधिकांश पशुओं में हाथी से लेकर रेशम के कीड़े, ऊंट से लेकर सूअर तक का अब बीमा होता है। इन पशुओं को पालने वालों को बीमारी या दुर्घटना के कारण होने वाली पशुओं की मौत के कारण हुए क्षति से चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। साधारण बीमा निगम (जी० आई० सी०) द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पशुपालकों को अब संरक्षण प्राप्त है।

पशु बीमा

पशु बीमा योजना दो प्रकार की है। पहली, निजी पशुओं, बैंकों द्वारा दिए गए धन से खरीदे गए पशुओं और संस्थानों के पशुओं के बारे में है और दूसरी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अन्तर्गत प्राप्त सहायता से खरीदे गए पशुओं के बारे में है।

पहली श्रेणी के अन्तर्गत, दो साल से लेकर आठ साल तक की आयु की दूध देने वाली गायों, तीन साल से आठ साल तक की आयु की दूध देने वाली भैंसें और दो से आठ वर्ष के सांड और भैंसे शामिल हैं।

दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, दंगों और अंतरवंस जैसी बीमारियों के कारण होने वाली मौत पर पूरी बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

परन्तु चोरी या गुप्त बिक्री तथा आंशिक या पूरी विकलांगता के मामले में बीमे का भुगतान नहीं किया जाता है।

बीमे की किश्त की दर चार से लेकर 2.75 प्रतिशत तक होती है जो पशुओं की देखरेख के स्तर और संख्या पर निर्भर करती है।

अतिरिक्त किश्त के भुगतान से अधिकतम आयु में और छूट मिल सकती है। एक वर्ष की छूट के मामले में आधा प्रतिशत अधिक और दो वर्ष की छूट के मामले में एक प्रतिशत राशि अतिरिक्त देनी पड़ती है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन प्रकार के पशु आते हैं। बीमे की राशि पशु की खरीद हेतु लिए गए बैंक ऋण या छोटे किसानों के लिए पशु के बाजार मूल्य का अधिक से अधिक 75 प्रतिशत और सीमान्त किसानों के लिए बाजार मूल्य का 66.66 प्रतिशत होता है। कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैलों और सूखे की आशंका वाले क्षेत्र कार्यक्रम या लघु कृषक विकास एजेंसी जैसी केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत खरीदे गए बैलों का बीमा भी किया जाता है। इसके लिए शर्तें और धनराशि वही हैं जो दुधारू गायों पर लागू होती हैं।

विभिन्न सरकारी विकास परियोजनाओं की सहायता से खरीदी गई संकर जाति की बछियों और कलोर का बीमा 150 रु० से दो हजार दो सौ रु० तक का किया जाता है जो उनकी आयु पर निर्भर करता है।

दुधारू गायों, बैलों और बछड़ों तथा कलोरों के बीमें की किश्त की दर, बीमा राशि का 2.25 प्रतिशत है।

बीमे का दावा करने के लिए बीमा कराने वाले को कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं जो उसे पालिसी जारी करते समय बता दी जाती हैं।

भेड़ों का बीमा

इसी प्रकार चार माह से लेकर 7 वर्ष की भेड़ों और छह माह से लेकर पांच वर्ष तक की बकरियों का भी बीमा कराया जा सकता है। इनका बीमा बैंक द्वारा दिए गए ऋण के बराबर या उनके बाजार मूल्य के अधिक से अधिक 80 प्रतिशत तक किया जा सकता है।

निजी रूप से खरीदी गई भेड़ और बकरियों तथा बैंकों की सहायता या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई भेड़-बकरियों के लिए बीमा किश्त की दर भिन्न है।

घाटे के मामले में क्षतिपूर्ति की राशि, उत्पादन लागत और मृत्यु के समय बीमा किए हुए पशु की आयु के आधार पर निश्चित की जाती है।

सूअरों का बीमा

सूअर बीमा योजना के अन्तर्गत, कम से कम दस जानवरों का बीमा कराया जाना चाहिए। क्षतिपूर्ति का भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब सूअरों को सूअर ज्वर का टीका लगवाया गया हो।

सूअरों को मोटा बनाने की योजना के अन्तर्गत एक माह से लेकर पांच वर्ष की आयु वाले सूअरों का लगभग 360 रुपये प्रति सूअर की दर से बीमा किया जाता है।

सूअर पालन योजना पशु चिकित्सा संसाधन वाले संगठित सूअर पालन फार्मों को बाज़ार मूल्य का 100 प्रतिशत बीमा

उपलब्ध कराती है। अन्य मामलों में बीमे की अधिकतम सीमा बाजार मूल्य का 80 प्रतिशत है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत बीमे की देय किश्त 3.5 प्रतिशत वार्षिक है। बैंकों के धन से खरीदे गए सूअरों पर भी यही दर लागू होती है और अन्य मामलों में यह 6 प्रतिशत है।

हाथियों का बीमा

मंदिर, सर्कस कंपनियां और अन्य व्यक्ति भी अब अपने हाथियों का बीमा करा सकते हैं। 60 वर्ष तक की आयु के हाथियों को उनके बाजार मूल्य का अधिक से अधिक 80 प्रतिशत का बीमा किया जा सकता है। हाथी के 61 वर्ष की आयु से अधिक परन्तु 65 वर्ष से कम होने पर आधा प्रतिशत की अतिरिक्त किश्त देने पर बीमा कराया जा सकता है। प्रजनन के समय के खतरे के लिए आधा प्रतिशत की अतिरिक्त किश्त देनी होती है। सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त किश्त का भुगतान करना पड़ता है।

ऊंटों का बीमा

3 से 14 वर्ष तक के ऊंटों और 4 से 12 वर्ष की आयु की ऊंटनियों का बीमा उनके बाजार मूल्य का अधिक से अधिक 100 प्रतिशत कराया जा सकता है। गैर-समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना के ऊंटों के लिए चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से किश्त ली जाती है। जबकि सहायता योजनाओं के अन्तर्गत 2.25 प्रतिशत की किश्त देनी होती है। ऊंटों को "सुर्रा" बीमारी का टीका लगे होने पर यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो बीमा पालिसी के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की जाती है।

मुर्गियों का बीमा

एक सौ या उससे अधिक वाले शुद्ध या वर्ण संकर नस्ल के चूजों और 72 सप्ताह तक मुर्गे, मुर्गियों का बीमा किया जाता है। बीमा अवधि के दौरान दुर्घटना या बीमारी से मौत होने पर मुआवजा दिया जाता है। बीमा मूल्य कम ज्यादा होना उनकी आयु पर निर्भर करता है। सहायता योजनाओं के अन्तर्गत किश्त की दर प्रति पक्षी 90 पैसे और अन्य मामलों में 1.20 पैसे प्रति पक्षी है। मुर्गे का मूल्य 25 रु० से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त पांच रु० पर 10 पैसे अतिरिक्त लिए जाते हैं।

मछलियों का बीमा

मछली बीमा योजना के अन्तर्गत किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण होने वाली मौत से होने वाले पूरे घाटे की क्षतिपूर्ति की जाती है। यह योजना, तालाबों, झीलों और ताजा जल परियोजनाओं तक ही सीमित है। गलत प्रबन्ध, लापरवाही या प्राकृतिक कारणों से होने वाली मौत पर बीमा नहीं दिया जाता। किसी प्रकार का आंशिक घाटा भी पालिसी के अन्तर्गत नहीं आता।

बीमा की राशि का निर्धारण मत्स्य संवर्धन अधिकारी या राज्य सरकार के मत्स्य विभागों द्वारा किया जाता है। किश्त की दर प्रति पालिसी पर न्यूनतम 10 रु० के साथ मछली के औसत मूल्य पर 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष होती है। घाटे की स्थिति में बीमा कराने वाले को मछली के मूल्य की 80 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति दी जाती है।

रेशम के कीड़ों का बीमा

बीमा कम्पनी ने कुटीर उद्योग श्रमिकों के लिए दो योजनाएं लागू की हैं। पहली रेशम कीड़ा बीमा और दूसरी मधुमक्खी बीमा है। पहली योजना के अन्तर्गत किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण रेशम के कीड़ों को नुकसान पहुंचने पर पालिसीधारक को क्षतिपूर्ति की जाती है। परन्तु लापरवाही या गलती से होने वाली हानि पर मुआवजा नहीं दिया जाता। किश्त की दर कुल बीमा राशि का पांच प्रतिशत है।

मधुमक्खी बस्तियों का बीमा

मधुमक्खी बीमा योजना के अन्तर्गत होने वाले आकस्मिक घाटों का बीमा किया जाता है। बीमे की दर प्रति पालिसी न्यूनतम किश्त 10 रुपये के साथ कुल बीमा मूल्य का तीन प्रतिशत है। भारतीय मानक संस्थान के मधुमक्खी छत्तों के खांचों के लिए बीमा मूल्य 190 रुपये से लेकर 70 रुपये तक है। मधुमक्खी बस्ती का बीमा मूल्य 50 रुपये पर स्थिर रहता है जबकि छत्तों का लागत मूल्य 140 रुपये से लेकर 20 रुपये तक घटता बढ़ता रहता है।

इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन में कमी के कारण होने वाले घाटे की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती। लापरवाही आदि के कारण होने वाली हानि भी पालिसी के अन्तर्गत नहीं आती। □

आर्थिक प्रगति को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा जाए

(पृष्ठ 15 का शेषांश)

पर आधारित इस जनतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक प्रगति के नाम पर चंद लोगों को समाज के अधिकांश लोगों का शोषण करने और उनके जीवन को नारकीय बनाने की अनुमति हर्गिज नहीं दी जानी चाहिए।

सामाजिक-आर्थिक प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु शीघ्र ही देश के संसदीय लोकतंत्र और पार्टी-व्यवस्था की कार्य प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करना चाहिए। जब तक देश की राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था में सुधार नहीं किए जाते तब तक गरीबी हटाने एवं सामाजिक-न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए गए संकल्प सिर्फ कागजी बने रहेंगे। □

व्याख्याता
आर्थिक प्रशासन एवं वित्त प्रबन्ध विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
दौसा—(राज०)—303303

मरु भूमि का निराला डाकघर

द्रुतगति के संचार साधनों के इस युग में ऊंट डाकघर की बात अटपटी-सी जरूर लगती है, पर मरुभूमि का यह अनूठा डाकघर थार रेगिस्तान में दूर-दराज की ढाणियों और झोंपड़ियों तक अपनी डाक सेवा पहुंचा रहा है ।

राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जहां तक निगाह दौड़ाइए रेगिस्तान फैला हुआ है और जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। दूर तक चले जाने पर कोई ढाणी या इक्का-दुक्का घर मिलता है । यहां विभिन्न कारणों से नियमित डाक-घर नहीं खोला जा सकता था। इसलिए भारतीय डाक व तार विभाग के राजस्थान मण्डल ने वहां ऊंट डाक-घर चलाने की बात सोची ।

हुसंगसर गांव तथा उसके आस-पास की ढाणियों के कोई 700 लोगों के लिए यह ऊंट डाकघर ही ऐसा माध्यम है जिससे वे अन्य भागों में रहने वाले अपने प्रियजनों से सम्पर्क बनाए रख सकते हैं । यह चल डाकघर बीकानेर जिले में गैरसर से संचालित होता है ।

जयनारायण जो इस डाक-घर का डाक-पाल और ऊंटवान दोनों ही है रोज हुसंगसर एवं उसके आस-पास की ढाणियों में जाता है । वह ऊंट पर एक तो डाक को सुपरिचित लाल पेटी तथा दूसरी वह पेटी जिसमें डाक टिकट, लिफाफे, मनीआर्डर फार्म आदि होते हैं, लगाकर जब इन लोगों के पास पहुंचता है तो वे पहले से ही उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करते मिलते हैं ।

देश के दूसरे छोर पर फौज में भर्ती किसी के सम्बन्धी को चिट्ठी आती है तो किसी को बेसब्री से मनी आर्डर का इन्तजार रहता है, किसी को लिफाफा चाहिए तो किसी को पोस्टकार्ड, किसी को चिट्ठी लिखवानी है तो किसी को मिली चिट्ठी को पढ़कर सुनानी है । वह प्रतिदिन लगभग 12 किलोमीटर का चक्कर लगाता है और मरुस्थल के एकाकी लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरता, धैर्य-धीरज बंधाता है ।

राजस्थान के डाक महाध्यक्ष श्री बी० टी० मेधानी के अनुसार यह ऊंट डाकघर घाटे का ही सौदा है पर रेगिस्तान में बसे लोगों की जो महत्वपूर्ण सेवा यह कर रहा है उसे पैसों से नहीं आंका जा सकता । इस समय डाकपाल ऊंटवान को 165 रु० प्रतिमाह वेतन के साथ ऊंट की देख-रेख के लिए 80 रु० प्रतिमाह दिए जाते हैं ।

इस एक अनोखे डाकघर जैसे और ऊंट डाकघर खोलने तथा उन्हें दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाने के प्रस्ताव भी विभाग के विचाराधीन है । □

पशु पालन

क्या आप जानते हैं ?

— वर्ष 1983–84 में देश में 360 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ । 1984–85 में इसका उत्पादन 380 लाख टन होने की आशा है ।

— सातवीं योजना में दूध के उत्पादन को 520 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है ।

— वर्ष 1982–83 में 368 लाख किलोग्राम और 1983–84 में 379 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन हुआ । 1984–85 में 390 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन होने की आशा है ।

— वर्ष 1982–83 और 1983–84 में देश में क्रमश: 1200 करोड़ और 1248 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ और 1984–85 में 1300 करोड़ अंडों का उत्पादन होने की आशा है ।

— छठी पंचवर्षीय योजना में पशु-पालन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित राशि का 85 से 99 प्रतिशत का उपयोग किया जा चुका है । □

जिला सिहोर (मध्य प्रदेश) से एक रिपोर्ट

बेरोजगार युवाओं का अवलम्ब और निर्धन महिलाओं का संतापहारी

श्रीमती व्ही० सेलट

आजकल ट्राइसेम शब्द ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा प्रचलित हो गया है। और ग्रामीण इसका लाभ लेने हेतु काफी उत्सुक हैं। इसका अर्थ है, ग्रामीण युवा वर्ग को स्वयं के रोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, जिससे युवा अपना धंधा प्रारंभ कर सकें और रोजगार के लिए मारे-मारे न फिरें।

अनेक बार देखा गया है, कि ग्रामीण युवा वर्ग नौकरी की चाह में दर-दर भटकता है, और गांव से भटक कर शहर, और शहर से भटककर पुनः गांव में पहुंच जाता है। वास्तव में आजकल नौकरी पाना टेढ़ी खीर है, अतः युवा वर्ग को आत्म निर्भर बनाने के लिए बेरोजगारी एवं अर्द्धबेरोजगारी से बचाने के लिए सिर्फ एक ही योजना है, जिसका नाम है ट्राइसेम (ट्रेनिंग आफ रूरल यूथ फार सेल्फ एम्पलायमेंट)

ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी विधवा महिलाएं हैं, परित्यकता हैं और कुछ महिलाएं ऐसी है, जिनके पति हैं, पर आय इतनी कम है, कि घर का खर्च नहीं चल पाता। परिवार को दो समय भर पेट भोजन नहीं मिल पाता। इन महिलाओं के लिए तो यह योजना एक देन है, जो उन्हें उनके पैर पर खड़ा करती है। आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाती है। कई महिलाएं ऐसी हैं जो मजदूरी करती हैं, पर मजदूरी भी हमेशा नहीं मिल पाती, ऐसी हालत में घर का गुजारा मुशकिल हो जाता है, खर्च पूरा न होने से पति-पत्नि दोनों परेशान रहते हैं, और परेशानी की हालत में गुस्सा उतरता है, एक दूसरे पर, घर जिसे कि स्वर्ग कहा जाता है, नरक बन जाता है, पति बाहर बैठकर बीड़ी फूंकता है, और पत्नि अपने नन्हें मुन्नों को चिपकाए दर्द के आंसू बहाती है, इन सब समस्याओं का हल है! ट्राइसेम।

ट्राइसेम के अंतर्गत विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। सीहोर जिले की महिलाओं ने सबसे ज्यादा रुचि अम्बर चरखे और हथकरघे में दिखाई है। सिलाई में भी कुछ महिलाएं प्रशिक्षित की गई हैं। अम्बर चरखा एवं हथकरघा के प्रशिक्षण में तीन से छः माह की अवधि लगती है। शासन प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक को प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह पचास रुपये देती है, और प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति को प्रतिमाह पचास रूपये एवं दूसरे गांव से आने वाले प्रशिक्षणार्थी को 100 रु० प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करती है। प्रशिक्षण के समय कच्चा माल खरीदने के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिमाह पच्चीस रुपये दिया जाता है। एक प्रशिक्षक तीन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करता है।

प्रशिक्षण दो प्रकार से आयोजित किया जाता है प्रथम एक प्रशिक्षण द्वारा तीन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करना, दूसरा किसी संस्था द्वारा बीस से पच्चीस प्रशिक्षणार्थियों को एक साथ प्रशिक्षण देना।

ये धंधे ऐसे है, जिन्हें महिलाएं घर बैठकर कर सकती हैं, इन्हें कच्चा माल भी इन्हीं संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। और तैयार माल भी इन्हीं संस्थाओं के द्वारा क्रय कर लिया जाता है। कच्चा माल प्राप्त करने, पक्का माल बेचने के लिए उन्हें यहां वहां भटकना नहीं पड़ता।

प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पहले यह देखना अतिआवश्यक है कि किस गांव में किस धंधे का स्कोप है, कभी-कभी गलत धंधे का चुनाव हो जाने से प्रशिक्षणार्थी को लाभ की जगह नुकसान हाथ लगता है। यदि किसी गांव में पर्याप्त मात्रा में दर्जी, बढ़ई आदि हैं तो इस धंधे में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए यदि हम किसी गांव में 2–3 महिलाओं को ऊन का स्वेटर बुनने का प्रशिक्षण देते हैं तो यह देखना आवश्यक है कि उस गांव में ऊन मिलता है या नहीं? क्या वहां कोई ऐसी बड़ी दुकान है जो महिलाओं से बने हुए स्वेटर क्रय कर सके। यदि उपरोक्त सुविधाएं नहीं है, तो प्रशिक्षण देना बेकार जाएगा, क्योंकि महिलाओं को आशा के अनुरूप कार्य नहीं मिल पाएगा, कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा।

ट्राइसेम का उद्देश्य सिर्फ प्रशिक्षण

देना ही नहीं है, प्रशिक्षण के पश्चात् उनको स्वरोजगार में स्थापित कराना भी है। अतः चुनाव ऐसे प्रशिक्षण का होना चाहिए, जिसकी वहां आवश्कता हो, और जिस कार्य के लिए कच्चा माल उपलब्ध हो, यदि किसी गांव में जरूरत से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर देते हैं, तो अन्य लोगों का रोजगार भी ठप्प हो जाता है।

अतः ट्राइसेम प्रारंभ करने के पहले इन समस्त बातों का ध्यान रखना बहुत जरुरी है। ट्राइसेम द्वारा महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं का धंधा प्रारंभ कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीहोर जिले में महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया, और वे अपना स्वयं का धंधा कर रही हैं।

ग्राम गिल्लौर की रामजोत बाई ने चरखे का प्रशिक्षण लिया और 5–6 रु० रोज कमा रही है। उनका कहना है, मजदूरी मिले या नहीं मिले उन्हें चिंता नहीं है वे अपने बच्चों को पर्याप्त भोजन कपड़ा प्रदान कर सकती है। अम्बर चरखे ने रामजोतबाई के जीवन में जोत जला दी है।

इसी ग्राम की पतिया बाई पति के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर पिता के घर आ गई। सिलाई में ट्राइसेम का प्रशिक्षण लिया और रोज 8–10 रु० कमा लेती है। उसके चेहरे पर आत्म-विश्वास और संतोष की चमक है। अब वह अपने पिता पर भार नहीं है, वह घर के खर्चे में सहायता करती है। और भाई बहनों के कपड़े भी स्वयं सिलती है। इस तरह पतिया बाई के जीवन से पतझड़ ने विदा ले ली है।

नसीम बेगम की मजबूरी थी कि वे बिना बुरके के बाहर नहीं जा सकती थी, परन्तु अम्बर चरखा प्रशिक्षण के प्रश्चात् वह राहत महसूस करती है। उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। बच्चे पोनी ले आते हैं, और वह सूत कातकर बच्चे के हाथ भेज देती है। उनका कहना है कि "अब बच्चों ने भी चरखा कातना अपने आप सीख लिया है अब बच्चों को किसी भी दिन भूखे नहीं रहना पड़ता। कभी-कभी ऐसी स्थिति आती थी कि घर में एक दाना भी नहीं रहता था, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आज ऐसी स्थिति नहीं है वे मानती हैं कि उनके नसीब ने पलटा खाया है और आज उनकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अच्छी है।"

इस प्रकार ग्रामीण महिलाएं ट्राइसेम से लाभन्वित हो रही हैं और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। □

परियोजना अधिकारी
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
[सीहोर] म० प्र०

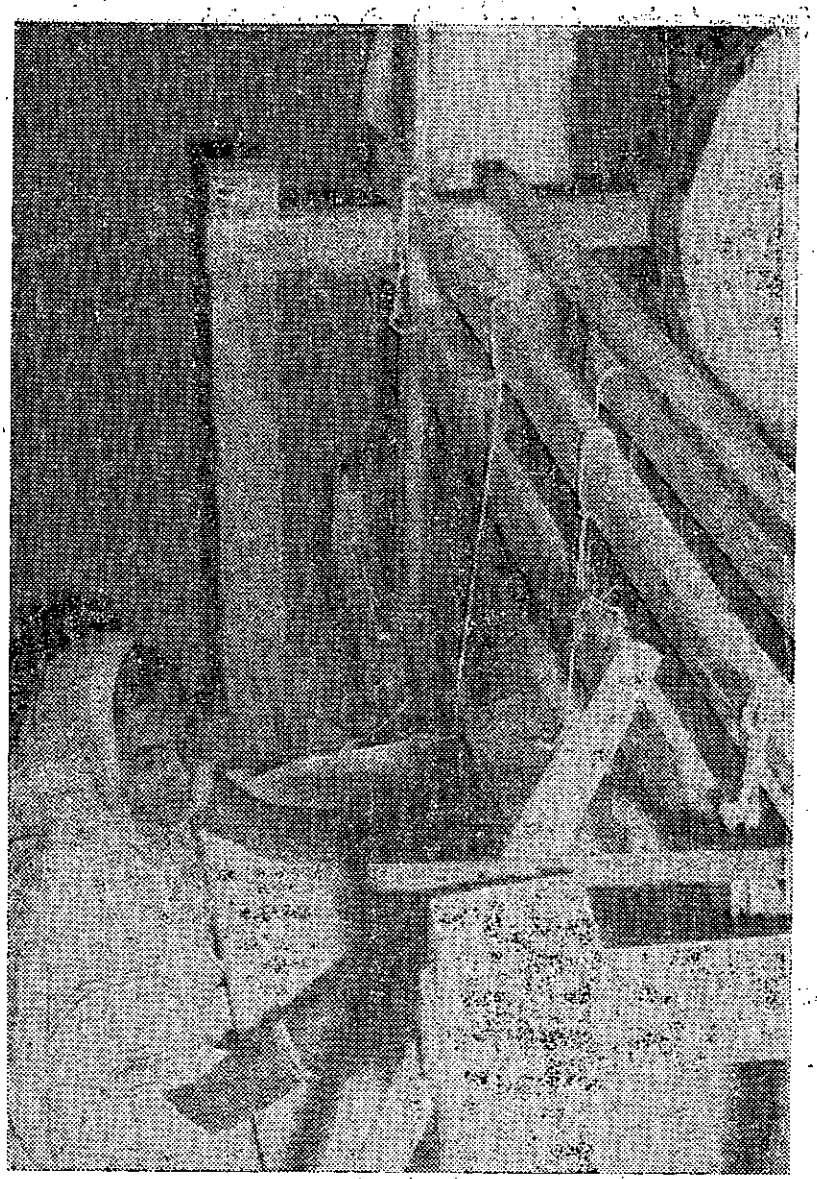

ट्राइसेम के अन्तर्गत हथकरघा प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए श्रीमती शोभा देवी।

सफलता का एक ही जादू
कड़ी मेहनत और सच्ची लगन
भिखारी कालूनाथ, कालू सेठ बना

—अशोक कुमार यादव

आखिर कालूनाथ की मेहनत एवं लगन रंग लायी। उसने सरकार की मदद से एक धंधा तो प्रारम्भ किया ही लेकिन जब उसे इसमें अधिक फायदा हुआ तो अपनी समृद्धि के लिए एक नया धंधा और शुरू कर लिया। कहां वह घर-घर भीख मांग कर पेट भरने वाला कालूनाथ और कहां आज वह दूसरों के लिए अनुकरणीय कालू सेठ। सचमुच ! नया 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम कालूनाथ के द्वार पर एक नया सवेरा बन कर पहुंचा है।

उदयपुर जिले की आदिवासी बाहुल्य गिर्वा पंचायत समिति के गुड़ली गांव के 22 वर्षीय कालूनाथ ने आज इतना धंधा जुटा लिया है कि वह आराम से अपने परिवार का पेट पाल रहा है, साथ ही 800 रु० प्रति माह बचा भी रहा है।

कालूनाथ ने बताया कि 12 वर्ष की उम्र तक वह भी अपना परम्परागत भीख मांगने का धंधा अपने बाप-दादा के साथ करता व पेट भरता था। स्वाभिमानी कालू को यह धंधा बुरा लगा। वह अहमदाबाद चला गया और 15 रु० माहवार पर एक होटल में नौकरी कर ली। जब उसे यह धंधा भी रास नहीं आया तो उसने अहमदाबाद में ही एक शरबत की लारी लगा ली और 6 से 7 रुपये प्रतिदिन कमाने लगा। इस दौरान वह साइकल मरम्मत कार्य सीख गया साथ ही ट्रक पर खलासी रहने के कारण वह ट्रक चलाना भी सीख गया। उसकी आगे बढ़ने की ललक काम आई और उसने तीन सौ पचास रुपये प्रति माह पर ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर ली। इसके मध्य में कालू के माता-पिता ने उसका ब्याह रचा दिया। इस प्रकार कालू की अपनी पत्नी को भी अपने साथ रखना पड़ा। वह अहमदाबाद में इतने कम पैसों में दोनों का पेट कैसे भरता, वह अपने गांव में वापस लौट आया।

बेकार बैठे कालूनाथ को पता लगा कि गांव में हाथ कर्घा पर बुनाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो वह भी ट्राइसेम योजना में सेवा मंदिर, उदयपुर द्वारा दिए जा रहे 6 माह के इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होने पहुंचा। प्रशिक्षण के पश्चात् गिर्वा पंचायत समिति के माध्यम से उसे हाथ-कर्घा खरीदवाने के लिए यूनियन बैंक, कुराबड़ ने 3500 रुपये का ऋण दिया। अब तो कालूनाथ ने गांव में एक दुकान किराये पर लेकर उसमें अपना लूम स्थापित कर लिया और श्रीगणेश कर दिया अपने धंधे का। लूम के कार्यों में सहयोग के लिए उसने अपनी पत्नी व दो गांव के लोगों को भी अपने साथ और लगा लिया।

6-7 माह के अथक परिश्रम एवं लगन से कालूनाथ के जीवन में सुनहरे भविष्य के गुल खिले। उसने मुस्कान भरी मुद्रा में बताया कि लूम पर वह कम्बल, दरी, शाल, चद्दर, तौलिया, मफलर व कपड़ा आदि बना लेता है और इन उत्पादनों से वह प्रति माह इतना कमा लेता है कि उसके परिवार का पेट पालन हो जाने के पश्चात् 500 रु० बच जाएं। कालूनाथ के लूम पर उत्पादित माल की मांग आस-पास तो है ही, साथ में वह सेवा मंदिर, उदयपुर के माध्यम से अपने माल का विक्रय दिल्ली तक करता है। कालू अपने गांव में ही जय झामेश्वर बुनकर सहकारी समिति का भी सदस्य बन गया है। समिति का कहना है कि उसके सदस्यों में सबसे अच्छा माल कालूनाथ के लूम पर ही उत्पादित होता है।

कालू की दूकान पर कुछ साइकलों को पड़ी देख उससे पूछा गया कि ये साइकलें किसकी हैं। वह खुशी से बोला, हुकम ! मैंने ये सात साइकलें लूम के धंधे से पैसा बचा कर एक महिने पहले ही खरीदी हैं। मैं साइकल मरम्मत का काम भी जानता हूं। लूम पर कार्य करने के साथ-साथ साइकल मरम्मत व साइकल किराये पर देने का धंधा भी कर लेता हूं। साइकल के धंधे से मुझे गत एक महिने में तीन सौ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है। कालू नाथ ने बताया कि उसने इन धंधों से एक हाथ घड़ी व एक टेप रिकार्डर भी खरीद लिया है। साथ ही उसने बैंक का दो हजार रुपये का कर्ज भी चुका दिया है।

अनपढ़ कालूनाथ अपनी एक मात्र संतान लड़के को पढ़ाने भेजता है और कहता है कि आज के जमाने में पढ़ाई ही सब कुछ है। वह अपने लड़के को बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। अपने सुनहरे भविष्य की कल्पनाओं में खोया कालू कह रहा था "बाबू जी ! मेरा जीवन ही बदल गया इस लूम से। मेहनत एवं परिश्रम ही इसका सबसे बड़ा राज है। मैं अपने कच्चे मकान को पक्का बनवाउंगा। खेती के लिए थोड़ी जमीन खरीदूंगा व अपने धंधे को और आगे बढ़ाउंगा।"

कालू की आंखों में आंसू थे। वह कह रहा था, "बाबू जी आज इस धंधे से गांव में मेरी इज्जत है ! वर्ना लोग मुझे "बाबा" कहते ! अब उस मांगने खाने से मैं कोसों दूर हो गया हूं। मुझे सरकार ने नई जिन्दगी दी है।" □

जन सम्पर्क अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सूरजपोल
उदयपुर—313001

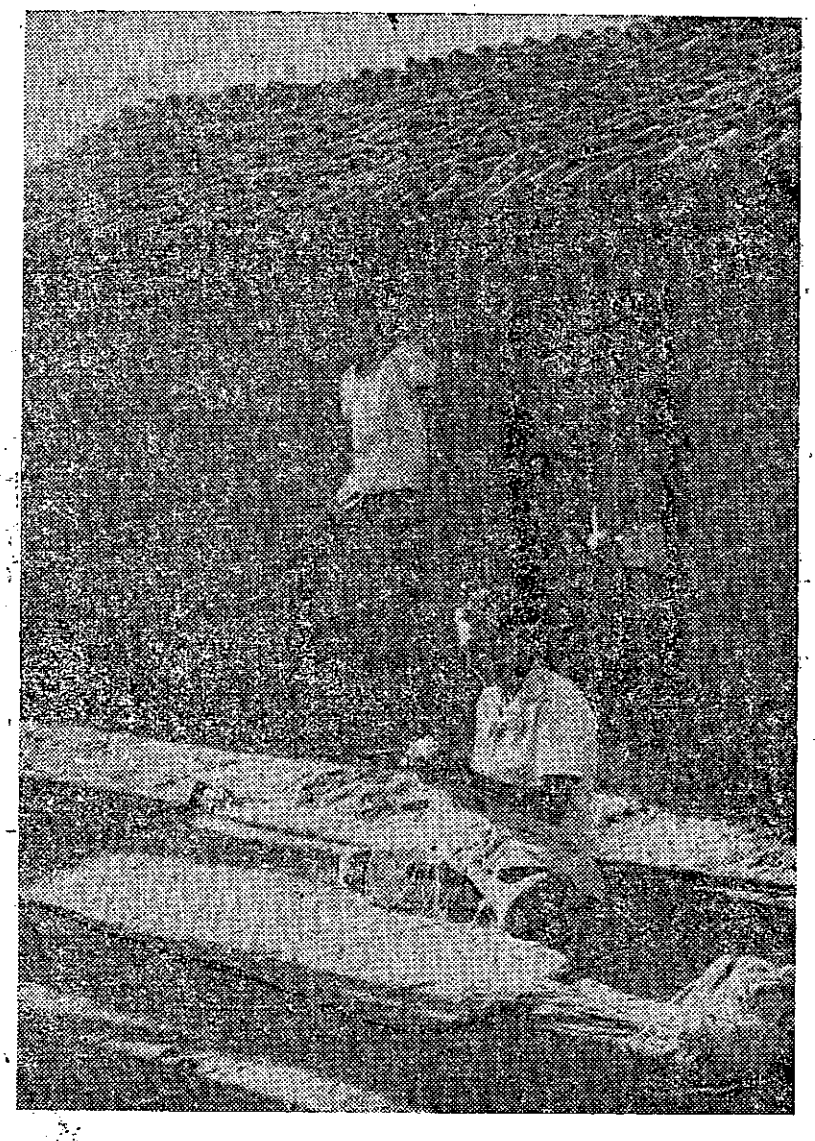

मध्य प्रदेश में आदिवासियों के उन्नयन पर एक नजर

जगमोहन लाल माथुर

कुछ समय पूर्व मध्यप्रदेश के बस्तर जिले में मैंने एक आदिवासी परिवार का घर भीतर से देखा उस कच्चे घर में प्रवेश किया तो मन व्यथा से भर गया—एक कोने में चूल्हे के पास हंडिया, पुरानी टीन का एक टूटा सा बक्सा, पत्तों से बने दोनें। घर में खाली जमीन पर लेटी एक अधसूखी वृद्धा जिसकी आंखों में असीम खालीपन था और जो मुझे घर में आया देख मुश्किल से बैठ पाई थी। अथाह गरीबी का नजारा जिसे देख मानो सैकड़ों शूल मन में चुभ गए हों।

ऐसी गरीबी के बाहुपाश में जकड़े आदिवासियों के लिए हमने संकल्प जो आजादी मिलने के तुरन्त बाद किया था, उस पर कारगर ढंग से सोच शुरू हुआ पांचवी योजनाकाल में ही। 1974–79 की अवधि से आदिवासियों के विकास के लिए उपयोजना प्रणाली शुरू हुई। इसके अंतर्गत मुख्य पंचवर्षीय योजना के साथ ही आदिवासी उपयोजना बनाई जाने लगी जिसका उद्देश्य राज्य व केन्द्र तथा वित्तीय संस्थाओं यानी सभी साधनों का हिसाब लगाकर आदिवासी विकास की योजना मूलतः उन क्षेत्रों के लिए बनाई गई जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासियों के लिए हो। पांचवीं योजना में 18 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में उप योजना प्रणाली शुरू हुई जिनमें मध्यप्रदेश भी एक है।

मध्य प्रदेश में जितने आदिवासी रहते हैं, भारत के किसी प्रदेश में नहीं रहते। 1981 की जनगणना के अनुसार यहां आदिवासियों की जनसंख्या 1 करोड़ 19 लाख 87 हजार है जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 23 प्रतिशत है। सम्पूर्ण देश की कुल आदिवासी जनसंख्या का एक चौथाई भाग मध्यप्रदेश में रहता है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44 प्रतिशत हिस्सा आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत आ जाता है। राज्य के 45 जिलों में से 4 पूरी तरह तथा 31 आंशिक रूप से उप योजना के अंतर्गत आते हैं। बस्तर, सरगूजा, झाबुआ, रायगढ़ और मण्डला प्रमुख आदिवासी जिले हैं। राज्य में लगभग 46 जनजातियां रहती हैं जिनमें गोण्ड, भील व कवारों की संख्या सर्वाधिक है। पांचवीं योजना अवधि में राज्यीय योजना, केन्द्रीय सहायता केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और संस्थागत वित्त के साधनों को मिलाकर

30 करोड़ 50 लाख रुपये आदिवासी विकास पर खर्च हुए और प्रारम्भिक दो वर्षों में लघु सिंचाई कृषि, पशुपालन, भूमि रिवार्ड, ऋण व विपणन पर जोर रहा जबकि छठी योजना काल के लिए दो मुख्य तत्व सामने रखे गए, वे हैं :—

(1) प्राथमिक शिक्षा का विस्तार

(2) परिवारों को सीधा लाभ पहुंचने वाली योजनाएं ।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय साधन जो निश्चित किए गए वे, इस प्रकार हैं :—

	लाख रु०
(i) राज्य योजना में आदिवासी उपयोजना का अंश	62,903.00
(ii) विशिष्ट केन्द्रीय सहायता	12,600.00
(iii) संस्थागत वित्त	10,000.00
(iv) केन्द्र प्रायोजित या केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	5,000.00
कुल	90,503.00

बस्तर में उचित दर की दुकान

इस कुल राशि में से करीब एक चौथाई हिस्सा सिंचाई के मद पर खर्च होगा । कृषि पर कोई 8%, स्कूली शिक्षा पर कोई 7% तथा पेयजल सुविधा पर 5% खर्च किया जाएगा ।

अक्सर होता क्या है बजट में प्रावधान तो कर लिया जाता है पर पूरा खर्च होता नहीं । पर पिछले 3 वर्षों में आंकड़े देखने से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में न केवल प्रावधान निरन्तर बढ़ता जा रहा है, बल्कि हर वर्ष खर्च प्रावधान से अधिक किया जा रहा है ।

लाख रु० में

वित्त वर्ष	प्रावधान	खर्च
1980–81	11,759.84	13,054.84
1981–82	14,251.45	15,131.49
1982–83	16,533.00	16,603.00
योग	42,544.29	44,789.33

1983–84 के लिए 171 करोड़ 76 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

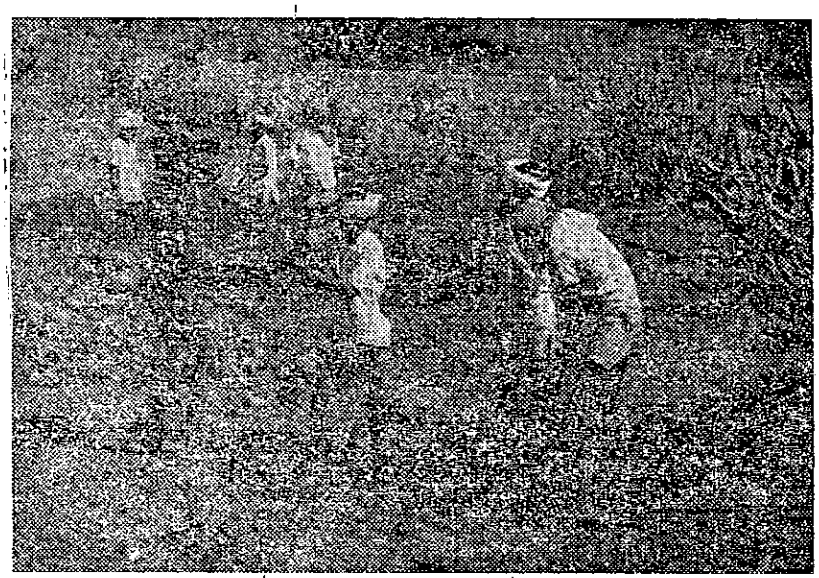

झाबुआ के लिए रोजगार योजनाएं

जैसा कि कहा जा चुका है कि छठी योजना में परिवार मूलक योजनाओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है । इस अवधि में कोई 6 लाख 18 हजार परिवारों को गरीबी की रेखा यानी बेहद गरीबी से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है । ये परिवारमूलक योजनाएं क्या हैं ? परिवार के लिए यह योजना एक भैंस या दूध देने वाला पशु भी हो सकता है, सिलाई की मशीन भी । सिंचाई पम्प हो सकता है या साईकिल मरम्मत की दुकान । इसका मकसद यह है कि कोई ऐसा काम-धंधा वह परिवार शुरु कर सके जो निरन्तर आमदनी का जरिया बने । झाबुआ जिले में मैंने कई

आदिवासी परिवारों को पुराने कुएं में डीजल पम्प लगाकर खेतो में कई गुना वृद्धि करते हुए देखा। बस्तर में कुछ आदिवासी महिलाओं को निवाड़ को बुनाई सीख कर प्रतिदिन 7–8 रुपये कमाते देखा। एक युवक को मैंने हाट के दिन सिलाई की मशीन लेकर गांव-गांव जाकर देखा जो 5–6 रुपये रोज कमाने लगा था। इन योजनाओं के लिए जरूरी यही है कि परिवार को अपनी रुचि का काम शुरू करने में मदद मिले और मदद जल्दी मिले। राज्य सरकार के अनुसार 1980–81 से 1982–83 तक की अवधि में 3 लाख 40 हजार आदिवासी परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में मदद दी गई। 1983–84 वर्ष में लगभग 1 लाख 50 हजार परिवारों को इस तरह का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

अत्यन्त पिछड़ी जातियां

राज्य में 13 जन जातियां ऐसी हैं, जिन्हें 'अत्यन्त पिछड़ी' कहा जा सकता है। ये हैं : भील, माडिया, बैगा, सहरिया कोरवा, भारिया, कमार, धांवर, बिंझावर, अगारिया, पण्डे, डोरला। इनके कुल मिलाकर लगभग एक लाख परिवार हैं। इनको कुएं, बिजली के पम्प, आयल इंजिन, उर्वरक, उन्नत बीज आदि के लिए 80% सबसिडी मिलती है जबकि अन्य आदिवासियों के लिए 50% सबसिडी मिलती है। राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि इन 13 जातियों में सौ फीसदी परिवार गरीबी की रेखा के नीचे हैं जबकि अन्य जन-जातियों में 75% परिवार ऐसी स्थिति में हैं। इन परिवारों की हालत सुधारने का काम बहुत ही चुनौती भरा है।

अक्सर देखा गया है कि अधिकारों के केन्द्रीयकरण के कारण निर्णय में देर लगती थी और लाभ गरीबों तक पहुंचने में बहुत विलम्ब हो जाता था। मध्य प्रदेश में 5 आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाकर उन्हें समुचित अधिकार दिए गए हैं। ये प्राधिकरण बस्तर, जबलपुर, बिलासपुर व रीवा में हैं। प्रदेश में कुल मिलाकर 62 समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों के जरिये विकास–कार्य चलाया जा रहा है। इन्हें सामान्य बजट प्रावधान के अतिरिक्त नाभिकीय राशि के रूप में हर साल 25 लाख रुपये हर प्राधिकरण को दिए जाते हैं ताकि स्थानीय विकास का काम अविलम्ब पूरा किया जा सके।

आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए राज्य में जो उल्लेखनीय कार्य हुआ है उनमें से एक है आदिवासियों की जमीन के हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध। साहूकारों ने पिछले 20–21 वर्षों में जमीन के बेनामी हस्तांतरण की आड़ में भोले-भाले आदिवासियों की जमीनें हड़प लो थीं। राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि 2 अक्तूबर 1959 के बाद आदिवासियों को जमीनों के हुए बेनामी हस्तांतरण तब तक अवैध घोषित रहेंगे जब तक कि उन पर काबिज गैर आदिवासी अपना कानूनी अधिकार सिद्ध न कर दें। राजस्व-न्यायालयों द्वारा इस तरह के बेनामी हस्तांतरणों की छानबीन की जा रही है। पिछले साल नवम्बर तक 6,820 आदिवासियों को इस तरह की कार्रवाई के फलस्वरूप वे पुरानी अपनी जमीनें वापस मिल गईं जिनको उन्होंने कल्पना भी न की थी। राज्य सरकार ने अन्य कमजोर वर्गों की भांति आदिवासियों को उन भूखण्डों का मालिक बना दिया है जिन पर वे लम्बे अरसे से झोंपड़ी या मकान बना कर रह रहे थे। आदिवासियों को पुराना कर्ज चुकाने के लिए या और कोई संकट के समय गुजारे के लिए या सामाजिक जरूरत पूरी करने के लिए 500 रु० तक का बिना ब्याज का ऋण दिलाने की भी व्यवस्था की गई है ताकि वे मजबूरी में साहूकार के पास न भागें। आदिवासियों को जरूरत की चीजें मुनासिब भाव पर देने और वन उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी समितियां 'लैम्पस' का भी गठन किया है।

शिक्षा–प्रसार

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार भी तेजी से किया गया है। गत वर्ष 100 प्राथमिक स्कूल, 50 मिडिल और 20 हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई। जो आदिवासी छात्र होस्टल में रहकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई 23 छात्रावास व आश्रम स्कूल खोले गए हैं। आश्रम स्कूलों में बच्चे निःशुल्क पढ़ते भी हैं और रहते भी हैं। छात्रों को वजीफा समय पर दिलाने के लिए बैंकों की मारफत भुगतान की व्यवस्था की गई है।

इस प्रकार आदिवासियों के सक्रिय रूप से राष्ट्रीय-जीवन धारा में शामिल करने का काम बराबर प्रगति पर है। □

सेक्टर-3 501, आर० के० पुरम,
नई दिल्ली-22

जगन्नाथ को पढ़ने की लगन

कोटा जिले के मंडाना क्षेत्र के उम्मेदपुरा गांव के प्रौढ़ शिक्षा-केन्द्र पर 75 वर्षीय जगन्नाथ को पढ़ने की लगन लगी है। वह, यहां पर, जब से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खुला है नियमित रूप से पढ़ने आ रहा है। अब तक वह अंगूठा लगाता था। अब अपने दस्तखत करना सीख गया है।

इसी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के राम लाल ने भी धूम्रपान न करने का संकल्प बड़ी उम्र में लिया है। □

कुमारी थान्कम्मा का टंकण संस्थान

कुमारी थान्कम्मा केरल राज्य के अलेप्पी जिले के कयालपुर स्थित टंकण संस्थान की प्रधानाचार्य एवं प्रशिक्षक हैं।

काफी दिन तक वह रोजगार की तलाश में थी पर उसे सफलता नहीं मिली थी। वह एक ऐसे कृषक परिवार की सबसे बड़ी पुत्री है जिसके पास 13.5 सेंट भूमि थी। बड़ी होने के कारण कुमारी थान्कम्मा पर अपने परिवार के छह सदस्यों के पालन-पोषण का भार था। वह टंकण एवं आशु-लिपि में दक्ष होने के साथ ही स्नातक शिक्षा प्राप्त थी लेकिन इस सबसे उसे साक्षात्कारों और परीक्षाओं में सफल होने में कोई सहायता नहीं मिली। आखिर में थान्कम्मा ने स्वरोजगार ढूंढने का निश्चय किया।

संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत चलायी जा रही स्वरोजगार योजना से उसे बहुत सहायता मिली। उसने अलेप्पी जिला उद्योग केंद्र को आवेदन पत्र दिया। इस केन्द्र की सिफारिश पर स्टेट बैंक ट्रावनकोर की पुलिनन्कुन्नु शाखा ने कुमारी थान्कम्मा को टंकण संस्थान की स्थापना के लिए 15 हजार रुपये का ऋण दिया। यह ऋण स्वयं की प्रतिभूति पर स्वीकृत किया गया था और इसका भुगतान आगामी दो वर्षों के दौरान मासिक किश्तों में करना था। इस पर ब्याज 10 प्रतिशत देना होगा। इस ऋण में से 3,750 रुपये की सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी।

तेईस वर्षीया कुमारी थानकम्मा अब अपने कयालपुर वाणिज्य संस्थान की प्रधानाचार्या एवं प्रशिक्षक हैं। यह संस्थान तीन कमरों वाले मकान के एक कमरे में है तथा यहां दो नई और दो पुरानी टंकण मशीनें हैं। थान्कम्मा के संस्थान में 18 प्रशिक्षार्थी पहले ही हैं। आशा है कुछ महीनों के अंदर जबकि उच्चतर स्कूल स्तरीय प्रमाणपत्र (सीनियर स्कूल लेवल सर्टिफिकेट) परीक्षाओं के परिणाम निकलेंगे तो शिक्षार्थियों की संख्या और बढ़ जाएगी। □

कुमारी थान्कम्मा अपने टंकण संस्थान में।

नई सुबह के लिए

कौशल पांडेय

दृश्य–एक

(गांव के एक साधारण किसान, राम लाल का घर)

पोस्ट मैन– राम लाल! राम लाल!! तुम्हारी चिट्ठी ।

(अपना नाम सुनकर राम लाल घर के बाहर निकल आता है । पोस्टमैन हाथ में चिट्ठी पकड़ाकर आगे बढ़ जाता है)

(घर के अन्दर पत्नी के पास पहुंचकर)

राम लाल– कहीं से चिट्ठी आई है ।

चम्पा— कहां से आई है ।

रामलाल— पढ़ना ही आता होता तो क्या मेरे लिए घास छोलने के आलावा और कोई काम नहीं था ?

चम्पा – जाओ जमुना पंडित से पढ़वा लो।

रामलाल— क्या हराम में पढ़ देगा ? मरने के बाद तक तो किसी को छोड़ता नहीं, पता है चिट्ठी पढ़ने के दस पैसे और लिखने को चवन्नी लेता है ?

चम्पा— अरे, जाओ भी तो, पैसे नहीं है तो दो बाल्टी पानी ही खींच देना ।

दृश्य–दो

(रामलाल हाथ में चिट्ठी पकड़ जमुना पंडित के दरवाजे पर पहुंचता है)

रामलाल— पालागीं पंडितजी ।

(जमुना पंडित हाथ में सुमिरनी लिए पूजा कर रहे हैं। बिना आशीर्वाद दिए ही जमीन पर बैठने का इशारा कर देते हैं ।

(अन्दर से पंडिताइन का आगमन)

पंडिताइन— (पंडित जी की ओर हाथ नचाकर) अरे तुम्हें कुछ फिकर है या नहीं, घर में लकड़ी का एक टुकड़ा तक नहीं है, चूल्हे में क्या अपना सिर लगा दूं ? रोटियां कैसे सिकेंगी ? भगवान जाने यह गिरस्थी कैसे चलेगी ।

(फिर रामलाल की ओर देखकर)

भइया रामलाल ! बैठे तो खाली हो हो । लकड़ी के ठिगर पर चार कुल्हाड़ियां ही मार दो ।

राम लाल— (पंडित जी की ओर देखकर) पंडित जी चिट्ठी पढ़ाने आया हूं ।

पंडित जी— चिट्ठी क्या सेंत में पढ़ दूं ? देख क्या रहा है दो लकड़ियां चीर दे ना ।

(रामलाल पंडित जी की चौपाल में पड़े लकड़ी के ठिगर को चीरने लगता है। पंडिताइन अंदर चली जाती है । पंडित जी बैठे-बैठे पूजा करते रहते हैं। (आधा घण्टा धूप में लकड़ी चीर लेने के बाद पंडित जी उसकी ओर रुख मिलाते हैं)

पंडित जी— जो है सो, लाओ देखूं, कहां से चिट्ठी आई है।

(वह पंडितजी की ओर चिट्ठी बढ़ा देता है)

पंडित जी— तो ध्यान से सुनो यह चिट्ठी तुम्हारी ससराल से आई है । लगत अगहन की दसमी को तुम्हारे साले रामेसुर की शादी है । तो क्या नाम, रामलाल तुम्हें तो खुश होना चाहिए ।

दृश्य–तीन

(रामलाल घर आकर पत्नी को चिट्ठी की लिखी बात बताता है)

रामलाल— रामेसुर की शादी लगत अगहन की दसवीं को है, उसी का न्योता आया है ।

चम्पा— मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरा भाई खुशी के ऐसे मौके पर मुझे भूल ही नहीं सकता है ।

रामलाल— तुम्हें नहीं भूला यह तो अच्छी बात है । लेकिन रुपये-पैसे का बन्दोबस्त कहां से होगा, यह भी तो सोचो, घर में तो कानी कौड़ी तक नहीं है । तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लत्ते चाहिए कि नहीं और यह बच्चों की फौज क्या नंगे ही जाएगी ?

चम्पा— और तुम्हारे पास भी तो कोई अच्छा कुरता नहीं है ।

रामलाल— अरे मेरी छोड़ो, मैं तो मंगल काका से मांगकर ही काम चला लूंगा ।

चम्पा— कम से कम दो सौ रुपये तो होने ही चाहिए ।

रामलाल— किस जमाने की बात कर रही हो धुनुआ की अम्मा, बाजार किधर जा रहा है, तुम्हें कुछ मालूम भी है ? दो सौ में तो, सही मानों, बच्चों के ही कपड़े आ पाएंगे ।

चम्पा— अरे हां, मैं तो भूल ही गई। रामेसुर को बहू के लिए भी तो मुंह दिखाई में कुछ तो देना होगा।

रामलाल— अरे छोड़ो फिर सोचेंगे अभी तो पूरे पंद्रह दिन बाकी हैं – ये सब बच्चे कहां निकल गए ?

चम्पा— गलियारे में खेल रहे होंगे सब के सब ।

दृश्य–चार

(फिर चार छः दिन बाद)

चम्पा— कुछ काम बना धुनुआ के बापू ?

रामलाल— काम क्या बना जिसके पास जाओ वही उल्टी सीधी सुनाने लगता है ।

चम्पा— तो क्या तुम समझते हो कि लोग गलत ताने मारते हैं । तुम्हीं सोचो इस बार अरहर कितनी अच्छी हुई थी लेकिन तुम तो और दूने के चक्कर में ऐसे पड़े कि घर में एक दाना तक नहीं बचा, कोई उधार भी दे तो क्या सोचकर ?

रामलाल— देखो घरैतिन, इन बातों से तो कोई काम बनना नहीं, कोई मतलब की बात करो तो मामला आगे बढ़े ।

चम्पा— छन्नू महाराज के पास क्यों नहीं चले जाते ।

रामलाल— उस कमीने के पास कौन जाएगा ? इकन्नी महीने ब्याज और एक बार कर्ज ले लिया तो समझो सारी जिन्दगी का झमेला फंस गया । देखती नहीं ?—छम्मी मंहगू, बसन्ता– सबके सब उसकी उंगलियों पर नाच रहें हैं, जानती हो इन सबने कब पैसा लिया ?– कभी नहीं : छन्नू महाराज की खानदानी बही में इनके पुरखों के निशान भर हैं, बस ।

चम्पा— जैसा ठीक समझो, भाई की शादी रोज तो होगी नहीं। लौटते ही किसी तरह छन्नू महाराज का हिसाब कर देना । देखने में तो भले आदमी लगते हैं।

रामलाल— तू जिन्दगी भर ना समझ रहेगी । आदमी की पहचान करना सीख नहीं मानती है तो जाना ही पड़ेगा । ऐसे आदमी से तो भगवान कोसों दूर रखे ।

दृश्य–पांच

(रामलाल कर्ज लेने के चक्कर में छन्नू महाराज के दरवाजे पर पहुंचता है)

रामलाल– पालागी महाराज ।

छन्नू महाराज–आज इधर कैसे आ निकले, रामलाल ? तुमने तो, लगता है इधर न आने की कसम खा रखी है ?

रामलाल— आपकी शरण में आया हूं महाराज हम गरीब आदमी कसम खा के कहां रहेंगे ? कुछ मदद चाहिए ।

छन्नू महाराज—मैंने कब ना की है, मैं भगवान तो हूं नहीं कि तुम्हारे मन की बात बिना बताए जान लूं, कुछ बोलोगे भी तो ?

(तभी घर के अंदर से छन्नू महाराज का बड़ा लड़का शंकर दीन बाहर निकलता है)

शंकर दीन—दादा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि इन जुआरियों को मुंह मत लगाया करो । यही सब करना है तो सम्हालो अपना घर, मैं इस तरह यहां नहीं रह पाऊंगा, घर में खाने पहनने को जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है, कर्ज देने के लिए पैसा आ जाता है ।

छन्नू महाराज–अरे बेटा, किसी गरीब की मदद करने से बड़ा पुन्य इस जग में और कुछ नहीं है । यही सब परलोक में काम आता है । बाकी तो सब चलता ही रहता है । कौन मैं इससे सूद लिए ले रहा हूं । मेरी थोडी मदद से इसकी इज्जत बनी जा रही है तो इसमें कौन बुराई है ।

शंकर दीन— हां, अब सारे गांव की इज्जत का ठेका तो तुमने ही लिया है ।

(फिर रामलाल की ओर देखकर)

सारे गांव का चक्कर लगा चुका, पर किसी ने पास नहीं फटकने दिया, कौन जाने साले को शादी है भी या नहीं जुआरियों के पास तो पैसा मांगने के पचास बहाने होते हैं

(छन्नू महाराज ने धीरे से रामलाल को आंख मारी राम लाल वहां से धीरे से खिसक गया)

दृश्य-छह :

(शाम के समय छन्नू महाराज खुद रामलाल के घर पहुंचते हैं)

छन्नू महाराज– लो रामलाल, ये दो सौ रुपये हैं चोरो से लाया हूं नए लौण्डों को तो देख ही लिया किसी का कोई लिहाज ही नहीं रहा चुपचाप इसी तरह हमें ही वापस करना, और हां मैंने अपने दरवाजे पर जो शंकर दीन के सामने सूद न लेने की बात कही थी, उसे दिल्लगी ही समझना, वो तो उस समय मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था कि लौण्डा बोलता बन्द हो जाए । सूद वही पक्का रहा, इसमें फरक नहीं आना चाहिए ।

(वह वही आगे कर देता है और जेब से कालेस की डिबिया निकाल कर रामलाल के आगे कर देता है)

हां, यह लो, अंगूठे में कारिख लगा कर यहां निशान तो लगा दो ।

(छन्नू महाराज चले जाते हैं और रामलाल रुपये लेकर चम्पा के पास पहुंचता है)

रामलाल— लो भई बड़ी मुश्किलों से जैसे-तैसे दो सौ रुपयों का इन्तजाम हो पाया है कल बाजार से कपड़े लादूंगा ।

चम्पा— इतने में क्या-क्या आ पाएगा ?

रामलाल— ऐसा करो, तुम छुटके को लेकर चली जाओ । मैं बाकी चारों को लेकर यहीं रह जाऊंगा । वहां पर मेरे लिए कह देना कि हरारत रहती है आठ दिन की हो तो बात है । मैं यहां सब सम्हाल लूंगा ।

चम्पा— जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन इन आठ दिनों में चार बच्चों को सम्हालते-सम्हालते तुम्हारे तो होश उड़ जाएंगे । मुझे भी वहां पर तुम्हारे बिना क्या अच्छा लगेगा । सभी पूछेंगे कि क्यों नहीं आए, चलो सो जाओ, काफी रात हो गई है । बच्चे भीतर एक एक नींद ले चुके होंगे ।

(दूसरे दिन चम्पा छुटके को लेकर मायके चली जाती है । रामलाल बाकी बच्चों के साथ घर पर ही रह जाता है)

दृश्य सात

(गांव में कुछ ही दिनों बाद समाज कल्याण विभाग के कार्यकर्ता प्रौढ़ पाठशाला चलाने व परिवार नियोजन की जानकारी देने आते हैं चौपाल में काफी ग्रामीण उपस्थित हैं)

एक कार्यकर्ता— देखो भाइयों, आपका गांव काफी पिछड़ा हुआ है । इसमें किसका दोष है, यह बताना बड़ा मुश्किल है । हां इतना सच है कि यदि आप सब लोग शिक्षित होते तो शायद इस गांव का स्वरूप कुछ दूसरा ही होता, आपके घरों में बीमारियां न होतीं, आप सबके ऊपर इतना कर्ज न होता । आपके बच्चे इतने कमजोर और अशिक्षित न होते । इन सब बुराइयों की जड़ है अशिक्षा, जिसके लिए सरकार ने इस गांव में एक पाठशाला चलाने की योजना बनाई है फिलहाल यह पाठशाला छन्नू महाराज के दालान में चलेगी । उनके लड़के शंकरदीन ने ही ऐसा प्रस्ताव सुबह हम लोगों के सामने रखा था । इस पाठशाला में दिन में आपके बच्चों को और रात में आप सबको पढ़ाया जाएगा । जो पढ़ना चाहे आज शाम को वहां पहुंचकर अपना नाम लिखा दे ।

(कई लोग एक साथ हाथ उठा देते हैं)

रामलाल— (उचककर) सरकार मेरा नाम रात के लिए और सभी बच्चों के नाम जरूर लिख लें मेरा नाम रामलाल—बड़े लड़के का नाम चुनुआं उससे छोटे का नाम....(बीच में ही)

दूसरा कार्यकर्ता— बस कीजिए रामलाल जी, मैं बाद में सबके नाम पूछकर लिख लूंगा । आप बहुत उतावले नजर आ रहे हैं ।

रामलाल— हां साहब, बहुत ठोकरें खा चुका हूं आप पहले क्यों नहीं आए, मेरी तो जिन्दगी ही बन जाती ।

पहला कार्यकर्ता— जिन्दगी अभी भी नहीं बिगड़ी है रामलाल अब सचेत हो जाओ, सुबह का भूला शाम तक वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है । हां मेरी एक और मानो, बिना परिवार सीमित किए तुम्हारी शिक्षा अधूरी ही रहेगी । तुम मेरे साथ कस्बे चल कर अपना आपरेशन करवा लो । अपनी घरवाली से भी सलाह कर लो ।

रामलाल— घरवाली से क्या पूछना सरकार, वह तो देवी है देवी । मेरे अत्याचारों को न जाने कब से सहती आ रही है बेचारी ।

दृश्य आठ

(घर आकर चम्पा से)

रामलाल— मैं सुबह कार्यकर्ता जी के साथ आपरेशन कराने कस्बे जा रहा हूं । आज चौपाल से आते हुए पंथा भैया के मंदिर में कसम भी खा आया हूं, जानती हो किस बात की—कभी भी जुआ न खेलने की ।

चम्पा— मैं भी तो जरा जानूं कि तुम्हारा दिमाग कैसे पलट गया ?

रामलाल— पिछले दिनों जब सारे गांव का चक्कर लगाने के बाद भी मुझे कर्ज नहीं मिल रहा था, तो सच मानो मेरी आंखें उसी समय खुल गयी थीं, रही-सही आज कार्यकर्ता जी ने खोल दीं । मैंने तो सभी बच्चों के नाम पाठशाला जाने के लिए लिखवा दिए हैं । रात्रि पाठशाला में मैं भी पढ़ा करूंगा, । चाहो तो तुम भी चलो ।

चम्पा— चलो बहुत वक्त हो गया है, खाना खा लो, रोटियां ठंडी हो रही हैं ।

(दोनों खापीकर जमीन पर लेट गए, बच्चे पहले से ही वहीं पर सो रहे थे । रात जैसे-जैसे कटी । सुबह लोगों ने रामलाल को कार्यकर्ता के साथ कस्बे जाते हुए देखा । आज उसके चेहरे पर एक नई सुबह की प्रतीक्षा कर रहे खुशियों के न जाने कितने चिन्ह नजर आ रहे थे । □

2ए/64, आजाद नगर,
कानपुर–208 007

एक गांव प्यारा सा

किशन रतनानी

मंदिर के चबूतरे और कुएं की मुंडेरों पर न्याय होता हो और पत्थर की मनमोहक छतरियां गुरुकुल बन जाएं इस युग में ऐसी कल्पना निश्चय ही रोमांचकारी होगी। मगर राजस्थान के एक गांव ने इस कल्पना को साकार कर दिया है।

झुन्झुनूं जिले की पंचायत समिति चिड़ावा का एक गांव है इस्माइलपुर। इस गांव से चिड़ावा की दूरी लगभग 11 किलो मीटर है।

इस गांव में पिछले 30 साल में एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी मामले को लेकर इस गांव का कोई व्यक्ति कोर्ट-कचहरी गया हो। इसका मतलब यह कदापि नहीं कि इस गांव में कभी लड़ाई-झगड़ा नहीं होता है लड़ाई झगड़े तो होते हैं मगर बहुत कम और बहुत मामूली से। जब भी कोई ऐसा झगड़ा होता है तो उसको हल करने के लिए गांव वालों ने एक तरीका इजाद कर रखा है। यह तरीका सभी गांव वालों को मान्य है।

गांव के 27 वर्षीय उप सरपंच श्री भैरों सिंह शेखावत ने बताया कि गांव में जब कभी भी किसी बात को लेकर दो पक्षों में लड़ाई हो जाती है तो वे दोनों ही पक्ष गांव में से किन्हीं पांच व्यक्तियों को चुन लेते हैं। ये पांच व्यक्ति या तो गांव में बने हुए कुएं की मुंडेर पर या फिर गांव में बने हनुमान जी के मंदिर के चबूतरे पर बैठ जाते हैं। आस-पास सारा गांव (गांव में लगभग 90 परिवार हैं) इकट्ठा हो जाता है। फिर घटना के बारे में दोनों अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। दोनों की बातों को सुनने के बाद वे पांचों व्यक्ति जो फैसला देते हैं वह दोनों पक्ष मान लेते हैं और झगड़ा खतम हो जाता है।

इस गांव से लगभग 5 किलो मीटर दूर एक गांव है नाहर। इस गांव में तो एक उच्चमाध्यमिक विद्यालय है। मगर इस्माइलपुर में कोई स्कूल नहीं था। बच्चों को इतना दूर भेजना (विशेषकर छोटे बच्चे और लड़कियों को) गांव वालों को सुहाता न था। इस समस्या को भी गांव वालों ने मिलकर सुलझा दिया।

इस गांव के पास ही पत्थर की छतरी बनी हुई है। गांव वालों ने इसे स्कूल मान लिया। यहां दो अध्यापक नियुक्त किए गए जो पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा सकें। अध्यापकों को प्रति विद्यार्थी 15 रुपये प्रतिमाह गांव वालों की तरफ से दिया जाने लगा। अब इस गुरुकुल में गांव के सभी लड़के-लड़कियां जाते हैं और शिक्षा ले रहे हैं।□

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी,
सीकर।

विकलांगता को चुनौती

श्री ऋषि मोहन श्रीवास्तव

राजस्थान के कोटा जिले के ग्राम किशोरपुरा में रहने वाले श्री मोहन लाल जन्म से ही विकलांग हैं पर अपनी विकलांगता या शारीरिक कमी को उन्होंने कभी अभिशाप नहीं माना। वे जीवन में कभी निराश नहीं हुए।

मोहन लाल कहते हैं—"प्रारम्भ में तो मुझे ये लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है किन्तु बाद में मुझे स्वयं ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं जीवन को बड़ी ही सुखद एवं आनन्द सम्मिश्रित-अनुभूतियों के बीच जीने लगा।"

मोहनलाल अपने ग्राम में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए "अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र" का संचालन करते हैं। वे स्वयं कक्षा आठवीं तक पढ़े हैं। इसके आगे गांव में पाठशाला न होने एवं पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ न होने की वजह से पढ़ने के लिए बाहर न जा सके।

मोहन लाल बताते हैं कि "अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने से पूर्व एक दिन जब मैंने स्कूलों में बजने वाला पीतल का घंटा बजाया तो उसकी आवाज सुनकर ढ़ेर-सारे बच्चे मेरे इर्द-गिर्द इकट्ठे हो गए और मैंने उसी समय सोच लिया कि बैठे-बैठे छोटे बच्चों को विद्या-दान जैसा कार्य सम्पन्न करूं। इसके लिए मेरे प्रेरक एक सज्जन श्री दुर्गाशंकर जी रहे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक पढ़े-लिखे व्यक्ति हो और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाकर सार्थक-कार्य कर सकते हो, और बस! मैं जुट गया इस ओर पूरे मनोयोग से। मेरी मेहनत एवं लगन रंग लाई, गांव में साक्षरता का वातावरण निर्मित्र हो गया तथा मेरी आर्थिक समस्या भी एक हद तक सुलझ सकी।"

श्री मोहनलाल सन् 1981 से केन्द्र का संचालन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त उनके केन्द्र में 30 बच्चों के स्थान पर काफी बच्चे विद्याध्ययन के लिए आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत सूचना केन्द्र कोटा द्वारा कर्त्तव्यनिष्ट एवं विशिष्ट सेवा या उल्लेखनीय कार्य करने वाले 54 व्यक्तियों का जब सम्मान किया गया तो उनमें से एक व्यक्ति श्री मोहनलाल भी थे।□

16, वर्मा लेन,
दतिया (म० प्र०)

मधुमक्खी पालन का दोहरा लाभ : अमृत-तुल्य शहद की प्राप्ति और कृषि ऊपज की बढ़ोतरी

कृष्ण शंकर भटनागर

मधुमक्खी पालन एक ऐसा आर्थिक धन्धा है जो बहुत कम लागत से शुरू किया जा सकता है। इसे बहुत छोटे पैमाने पर भी चलाया जा सकता है और बहुत बड़े स्तर पर भी। किन्तु उसमें हानि होने की सम्भावना हर दशा में नगण्य है। इसे बहुत चाव से करने की जरूरत है। अगर इस धन्धे को शौक से किया जाए और मधुमक्खियों के जीवन, उनके पालन-पोषण, रक्षण और विकास के बारे में प्रचुर जानकारी की जाए तो यह बड़ा ही मनोरंजक कृत्य है। मधुमक्खी पालन का धन्धा गांव, शहर दोनों में ही चला कर लाभ उठाया जा सकता है। किन्तु गांव इसके लिए परम् उपयुक्त स्थान है। मधुमक्खी पालने के छत्तों के फ्रेमों के बक्स की लागत मामूली होती है, और इनको दो-चार इकाइयों से लेकर सैकड़ों तक कि संख्या में सामर्थ्य तथा उपलब्ध स्थान के अनुसार रखा जा सकता है। मधुमक्खी पालन के स्थान के आस-पास दूर-दूर तक फूलने-फलने वाली फसलें और बाग-बागीचे जितने ही अधिक होंगे उतना ही अधिक गुणकारी मधु प्राप्त होगा।

मधुमक्खी पालन मानव का मनोरंजन करता है, उसे जीवनदायी प्राकृतिक औषध प्रदान करता है, मधु का विक्रय कर ग्रामीण लोग अपनी आय में काफी वृद्धि कर सकते हैं। इससे प्राप्त आय अनेक असहायों को सहारा दे सकती है। मधुमक्खियां जब फूलों से रस पराग लेने के लिए पौधों और वृक्षों पर इधर नर पुष्प से मादा और मादासे नर तथा पुनः मादा पर जाती हैं तो इस क्रिया की बार-बार आवृत्ति कर ये पेड़-पौधों के संसेचन में बहुत सहायक होती हैं जिससे फसलों की बालियों और फलियों को अनाज भरी बनाने में पूर्ण योग देती हैं और फलों को उत्तम बनाती हैं।

भारतीय गंगा जल को अमृत मानते हैं। भारतीय चिकित्साशास्त्र में शहद अर्थात मधु की तुलना भी अमृत से की गई है। अन्य किसी प्राणी की जूठन खाने से घिन्न आती है, पर मधुमक्खियों की लार को अत्यधिक स्वाद से खाते हैं, औषधि के रूप में हो या डबल रोटी की स्लायस पर लगाकर खाया जाए।

सेब, आड़ू, नाशपाती, लीची, अमरूद, बेर, आदि के बगीचों और प्याज, तरकारियों, सरसों, लाही, बरसीम, सूरजमुखी आदि की फसलों से मधुमक्खियां अपने भोजन के लिए पराग लेती हैं और मधु यानि शहद एकत्रित करती हैं। अपने लिए फूलों में पैदा होने वाले इन पदार्थों को अपने उपयोग के लिए लेने के साथ ही मधुमक्खियां फूलों में संसेचन क्रिया उत्पन्न होने में सहायक होती हैं। फलस्वरूप, हमारी फसलों की उपज बढ़ाती हैं और बीज, खाद, पानी और श्रम की हमारी सम्पूर्ण लागत को साकार करने में बड़ा योग देती हैं।

यदि यह मधुमक्खियां हमारी फलों, तरकारियों और दलहनों की फसलों के फूलों पर न जाएं तो बीज, खाद, पानी, पौधे सुरक्षा के हमारे सारे प्रयत्नों द्वारा तैयार फसलों का पूरा लाभ न मिल पाए।

कीटनाशकों सम्बन्धी सावधानी

फसलनाशी कीड़े फसलों को कुतर कर या उनसे रस चूसकर अनेक प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। इनसे बचाव करने में पराग या मकरन्द एकत्रित कर रही मधुमक्खियां भी कीटनाशकों के छिड़काव से मर जाती हैं। मधुमक्खियों को बचाने के लिए कीटनाशकों का उपयोग सूझबूझ के साथ किया जाना जरूरी है। इसके लिए उद्यान एवं फल उद्योग विभाग, मधुमक्खी पालन का बाकायदा समय-समय पर प्रशिक्षण देता रहता है। इन केन्द्रों पर मधुमक्खी पालन की व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए नियमित सत्रों की आवश्यकता है। इन सत्रों के समय अनुकूल दशाओं के अनुसार रखे जा सकते हैं।

उद्यान एवं फल उद्योग विभाग की ओर से यह प्रशिक्षण जनहित में मधुमक्खी पालन की आधुनिक पद्धति को

विकसित एवं प्रसारित करने के उद्देश्य से है । प्रशिक्षण हेतु आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए विभाग में अथवा अन्यत्र राजकीय सेवा देने की विभाग की कोई बाध्यता एवं गारंटी नहीं दी जाती, किन्तु मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण से निःसन्देह इस उद्योग को विशेष लाभ होता है—इसमें सन्देह नहीं है ।

अल्पकालीन प्रशिक्षण

अल्पकालीन प्रशिक्षण जिसकी अवधि डेढ़ माह की होती है, इसके चार सत्र होते हैं, पहला 2 अप्रैल, से 16 मई तक, दूसरा 1 अक्तूबर से 15 नवम्बर तक, तीसरा 1 दिसम्बर से 15 जनवरी तक, चौथा 1 फरवरी से 16 मार्च तक ।

इस प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए आयु की कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है और कोई भी पुरुष अथवा महिला, जिन्हें न्यूनतम हिन्दी अथवा उर्दू पढ़ने-लिखने का ज्ञान हो, प्रवेश ले सकते हैं । उद्यान-पत्तियों, किसानों, उद्यानिकी एवं कृषि से सम्बद्ध आय वर्ग के लोगों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है ।

घातक फसली कीड़ों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करने में मधु-मक्खियों की सुरक्षा हेतु जिस सूझ-बूझ तथा सावधानी से दोनों लाभ सम्भव हैं, वे सावधानियां इस प्रकार हैं :—

1. प्रायः फसल नाशक कीड़ों का प्रकोप फूल आने से पहले ही होता है । अतः सुरक्षात्मक उपाय के रूप में फूलों के आने से पहले ही ऐसे कीट-नाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए—जिनका प्रभाव पौधों व फसलों में कुछ लम्बी अवधि तक बना रहे ।

2. फूल आने से पहले जब फसल या पौधों पर छिड़काव करें तो यह सावधानी बरतें कि साथ में कोई बोई गई फसल अथवा वृक्षों/पौधों के खरपतवारों आदि पर मधुमक्खी न बैठ रही हों । यदि ऐसा हो तो खरपतवारों को निकाल दें जिससे मक्खियां उड़कर चली जाएं ।

3. यथासम्भव फूलों के दौरान कीट-नाशक दवाओं का छिड़काव फसल पर न करें । मधुमक्खियों के प्रति अपेक्षाकृत सुरक्षित कीटनाशक चुने जाएं :—एन्डोसल्फान, मिनेजान, निकोटीन सल्फेट, पाइरेथ्रम, फोरमोथियान, फोसेलोन, डिमेटान, टोक्से-फीन; डाइसल्फोटोन ग्रेन्यूल, थिमेट ग्रेन्यूल आदि ।

4. मधुमक्खियां पौधों/फसलों विशेषकर फूलों पर, एक निश्चित समय पर ही आती हैं जैसे प्रातः लगभग 9 बजे से सायं लगभग 4 बजे तक । उपरोक्त सुरक्षित कीटनाशक दवाओं में से किसी ऐसे समय छिड़काव किया जाना चाहिए जब मधु-मक्खियां फूलों पर न बैठ रही हों ।

5. इन कीटनाशकों के घुलनशील तरल, तैलीय-घोल (ई० सी०) अथवा दानेदार पदार्थ (ग्रेन्यूल) ही उपयोग किए जाएं । फूल वाले पौधे या फसलों अथवा उनके आसपास कभी भी चूर्ण अथवा घुलनशील चूर्ण कीटनाशक दवाओं का उपयोग न किया जाए ।

6. फूल रहे पौधों या फसलों पर अथवा उनके आसपास कभी भी कार्बरिल एल्ड्रीन, फोस्फेमिजन, थायोमिटान, पैरा-थियोन, मैलाथियोन, बी० एच० सी०, नवान जैसे घातक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव/बुरकाव न करें ।

7. छिड़काव किए जाने वाले कीट-नाशक दवाओं के साथ ऐसे रसायनों का उपयोग भी किया जा सकता है जिनकी गन्ध से मधुमक्खियां फूलों पर नहीं बैठें और इस प्रकार मरने से बच जाएं । इस प्रकार का एक रसायन डिमेदान (सिटोक्स) है जो कीटनाशक प्रभाव भी रखता है ।

सावधानीपूर्वक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके किसान व मधुमक्खी पालक दोनों ही भरपूर लाभ उठा सकते हैं । क्षेत्र के मधु-उत्पादकों, बागवानों तथा किसानों को आपस में पूर्ण सहयोग करना चाहिए ।

कोष शिशु रोग (सेक ब्रूड) से बचाव

उत्तर प्रदेश में हाल ही में वयस्क मधु-मक्खियों की बीमारियों एकरीन, नोसीमा तथा इरिडैस्कैन्ट-वायरस प्रकोप के अलावा एक शिशु बीमारी "सेक ब्रूड" अर्थवा कोष शिशु रोग का प्रकोप गत वर्षों में कुछ क्षेत्रों में मिला है, गत कुछ वर्षों में इस बीमारी से असम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा बिहार में बलरामपुर (गोण्ड) के लाही क्षेत्रों में, लखनऊ, इलाहाबाद तथा वाराणसी के राजकीय मधुमक्खियों के रखे हुए मौनवंशों में काफी क्षति हुई है । इस रोग के प्रकोप की जानकारी हलद्वानी क्षेत्र से भी मिली है ।

उद्यान एवं फल उद्योग निदेशालय, लखनऊ से प्राप्त जानकारी के अनुसार मधुमक्खियों की शिशु (लारवा) अवस्था में क्षति पहुंचाने वाली यह बीमारी एक विषाणु (वायरस) के कारण होती है । शिशुओं को भोजन खिलाने की प्रक्रिया के माध्यम से कमेरी मौनों के द्वारा यह बीमारी शिशुओं में फैलती है । शिशु (लारवा) विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विषाणु से ग्रसित होता है और पूर्ण विकसित होते-होते मरने लगता है । कभी-कभी प्रकोप ग्रस्त शिशु प्यूपा अवस्था में भी मर जता है ।

इस बीमारी से प्रभावित शिशु (लारवा) कोषों में फैल जाते हैं और उनका मुंह बाहर की ओर ऊपर को उठा रहता है । शिशु के सिर के अन्त भाग में भी जीभ जैसा उभार दिखाई देता है और शिशु के मर जाने के बाद धीरे-धीरे यह नुकीला भाग गहरा भूरा और काला होने लगता है । विकसित शिशु की त्वचा ढीली हो जाती है और रोग की तीव्र अवस्था में त्वचा और भीतरी भाग के बीच तरल पदार्थ भर जाने के कारण कोष की सी आकृति बन जाती है । दाब से ग्रसित शिशु के अवशेष कोषों में सिकुड़कर संकुचित हो जाते हैं जिन्हें चिमटी आदि से पकड़कर आसानी से निकाला जा सकता है ।

रोकथाम

यह विषाणु जनित संक्रामक बीमारी है। इसकी कोई औषधि अभी ज्ञात नहीं हो पाई है। इस बीमारी का प्रकोप उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में गत वर्ष जाड़े में देखा गया था । इस हेतु कुछ सावधानियां भी निर्धारित की गई हैं । ग्रसित क्षेत्र से

मौनवंशों को न किसी भी दशा में ऐसे नए क्षेत्रों में न ले जाया जाए जहां यह बीमारी अभी तक नहीं मिली है। रोग ग्रसित क्षेत्रों में मधुमक्खी-वंश बकछुट उनके प्राकृतिक आवासों से कदापि न पकड़े जाएं। ग्रसित क्षेत्रों में हर मौनवंश का निरीक्षण करने के बाद दूसरे मौनवंश को देखने से पहले हाथ तथा उपकरण डिटोल आदि से भली प्रकार धो लिया जाए। किसी मौनवंश में रोग का प्रकोप दिखाई देते ही उसके छत्तों को जला दिया जाए और फ्रेमों, मौन-गृहों तथा उपकरणों को कास्टिक सोडा के उबलते पानी से साफ करके और डिटोल से दूषण रहित करके सुखाने एवं पुनः रंग करने के बाद ही काम में लाया जाए। मौनवंशों में शिशु छत्तों का आदान-प्रदान कदापि न किया जाए।

मधुमक्खियों का प्रमुख शत्रु मोमी पतंगा

मधुमक्खियों को हानि पहुंचाने वाले कम शत्रु नहीं हैं जिनमें मोमी पतंगे सर्व प्रमुख हैं। जहां मधुमक्खियों होंगी, वहां मोमी पतंगा भी अवश्य होगा। मोमी पतंगे दो प्रकार के होते हैं—एक बड़ा मोमी पतंगा और दूसरा छोटा मोमी पतंगा। ये दोनों ही कीट प्रायः समान रूप से क्षति करते हैं, परन्तु छोटा मोमी पतंगा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में तथा बड़ा मोमी पतंगा मैदानी तथा नीचे पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहता है।

क्षति

इन कीड़ों की गिंडारें (लारवा) ही क्षति करते हैं ये गिंडारें पुराने खाली छत्तों में सुरंगें बनाकर खाती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं। यह क्षति प्रायः मौनवंश में लगे खाली छत्तों जिन्हें मौनें न ढक रही हों, और भण्डार में रखे छत्तों में अधिक होती हैं।

छोटी-छोटी गिंडारें छत्तों के बीच घुस जाती हैं और छेदती हुई, मौनों के शिशुओं (लारवाओं तथा प्यूपा) को मार देती हैं। इस क्षति के प्रभाव से शिशु छत्तों (ब्रूड-फ्रेमों) में अनेक प्यूपा कोष खुले मिलते हैं। मोमी पतंगे के तीव्र प्रकोप में कमजोर मौनवंश घर त्याग भी कर जाते हैं।

गिंडारें शुद्ध मोम में अथवा नए बिना पराग आदि प्रोटीन मुक्त पदार्थों के छत्तों में नहीं पनप पाती हैं। अतः इनकी क्षति पुराने छत्तों में ही अधिक होती हैं। मोमी पतंगे सभी मधुमक्खियों, मौन, सारंग तथा छोटी मधुमक्खियों को क्षति पहुंचाते हैं।

जीवन चक्र

गर्भित मादा पंखी (वयस्क) मौन-गृह के तलपट अथवा खाली छत्तों पर अण्डे देती हैं। अण्डे मुख्यतः जोड़ों के सहारे अथवा दरारों में दिए जाते हैं। बड़े मोमी पतंगे की मादा लगभग 400 से 1100 तक अण्डे समूह अथवा गुच्छों में देती है। इन अण्डों के शिशु 8-17 दिन में निकल आते हैं। ये लारवे अथवा गिंडारे 4 से 6 सप्ताह में पूर्ण विकसित होकर लगभग ढाई से० मी० तक लम्बे होकर प्यूपा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्यूपा से, जो लगभग डेढ़-दो से० मी० तक लम्बा होता है, 7-8 दिन में वयस्क पंखी निकलती है। कम तापक्रम की दशाओं में लारवा (गिंडार) अवस्था में 4 महीने तथा प्यूपा अवस्था में 4 सप्ताह तक का समय लग जाता है। सामान्यतः एक जीवन चक्र अर्थात् अण्डे से वयस्क बनने में 8-10 सप्ताह का समय लग जाता है। पंखी लगभग एक सप्ताह से दस दिन तक जीवित रहती है।

छोटे मोमी पतंगे की मादा अपने जीवन काल में 180 से 400 तक अण्डे देती है। इन अण्डों से लगभग 2 से 5 दिनों में शिशु निकल आते हैं। गिंडार अवस्था में लगभग 43 (34 से 48) दिन का समय लगता है और कम तापक्रम की दशाओं में यह अवधि 140 दिन तक हो सकती है पूर्ण विकसित लारवा लगभग 2 से० मी० लम्बा होता है। प्यूपा अवस्था में सामान्यतः एक सप्ताह से 16 दिन तक लगते हैं और वयस्क मादा लगभग 5 से 8 दिन तक जीवित रहती है।

नियंत्रण एवं बचाव

मौन (मधुमक्खी) तथा मोमी पतंगे दोनों ही कीड़े हैं और इतनी घनिष्ठता से रहते हैं कि कोई कीटनाशकों के उपयोग जैसा सरल उपाय नहीं अपनाया जा सकता। अतः सतर्कता एवं सावधानियां ही इस शत्रु की रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय है।

सावधानियां

मोमी पतंगे की मादा रात में चोरी से मौन गृह में घुसकर अण्डे देती है। अतः मौनपाल का प्रथम प्रयास यह होना चाहिए कि मौनगृह में एक ही द्वार रहे और कोई भी अन्य छेद या दरार न हो।

अण्डे प्रायः जोड़ों के सहारे दरारों में अथवा खाली छत्तों पर दिए जाते हैं। अतः मौनगृह के तलपट आदि में कम से कम जोड़ रहें तथा उनमें दरारें न बन पाएं। जोड़ बहुत सख्ती से सटे हुए होने चाहिए। मौनगृह की सभी दरारों आदि को पुटिंग अथवा चिकनी मिट्टी आदि से लेप कर बन्द कर देना चाहिए।

खाली छत्ते तथा मोम अथवा मोमी पदार्थ भली प्रकार बन्द किए हुए बक्सों में रखे जाएं और जब भी इन बक्सों आदि को खोलकर छत्ते रखे या निकाले जाएं उनमें गन्धक जलाकर धूनी दी जाए अथवा 'पी० डी० बी०' नामक गैस छोड़ने वाला रासायनिक पदार्थ रखा जाए।

मौन गृहों के शिशु अथवा मधुखण्ड में कभी भी खाली पुराने छत्ते न छोड़े जाएं। यदि किसी कारणवश मौनवंश घर छोड़ कर रह गया है, तो तुरन्त इन सभी छत्तों को गन्धक की धूनी देकर अथवा 'पी० डी० बी०' रखकर सुरक्षित कर दिया जाए।

विशेषतः गर्मी और बरसात में मौन-गृहों के तलपट तथा अन्य भागों को प्रति सप्ताह साफ करके और धूप दिखाकर गिंडारों से मुक्त रखा जाए।

मौनवंशों को सदैव सुदृढ़ बनाए रखा जाना चाहिए क्योंकि मोमी पतंगे का अधिक प्रकोप कमजोर मौनवंशों में ही होता है। मोमी पतंगे के प्राकृतिक शत्रु एपैन्टेलिस गैलरी को बढ़ावा देने के लिए जाली के

डिब्बों में मोमी पतंगे से ग्रसित छत्तों के टुकड़े तथा मौनगृह कूड़ा गिंडारों सहित रखें। इससे इस डिब्बे में गिंडारों पर यह एपैन्टेलिस कीट पनपता रहेगा और मौनालय में अधिक संख्या हो जाने पर प्राकृतिक नियन्त्रण करने में सहायक होगा।

उपरोक्त सावधानियों को बरतने से मोमी पतंगे नियन्त्रण में रहते हैं। यदि छत्तों अथवा मौनगृहों में इस कीट का प्रकोप हो जाए तो निम्नलिखित उपाय करने चाहिए :—

प्रभावित तलपट को तुरन्त उबलते पानी से धोकर धूप में सुखाकर बदलें और मौनगृह को भी बदलकर गिंडार रहित कर दें।

प्रभावित खाली छत्तों को लगभग पचास डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर 80 मिनट तक रखें। ऐसा एक शिशु खण्ड में बिजली का 100 वाट का बल्ब जलाकर भी किया जा सकता है।

प्रभावित खाली छत्तों को गन्धक से धोएं, कार्बन–डाई–सल्फाइड, कैल्शियम साईनाईड, मिथाइल ब्रोमाइड अथवा पी० डी० बी० आदि रसायनों में से किसी से धूनी देकर गिंडारों को मार दें और फिर इन छत्तों को बिना किसी छेद वाले बक्सों में अथवा शिशु खण्डों में उनके (शिशु खण्डों के) ऊपर नीचे लगाकर उनके जोड़ों पर पट्टी चिपका कर छिद्र रहित करके 'पी० डी० बी०' के कण रख, बन्द कर के रखें। इससे ये सुरक्षित हो जाएंगे।

शिशु सहित छत्तों में मोमी पतंगे के प्रकोप से मरे बन्द शिशुओं (मौनों के मरे हुए प्यूपों) को निकाल कर हल्की धूप के विपरीत करके छत्तों में से मोमी पतंगे की समस्त गिंडारों को एक चिमटी की सहायता से चुनकर नष्ट कर दें, नहीं तो ये घरघुट का कारण बन जाएंगे।

मधुमक्खियां मधु प्रदान करती हैं, मधु, जीवन–रस को बल प्रदान करने वाली संजीवनी है। ईश्वर प्रदत्त इस वरदान को बचाना हमारा नैतिक धर्म है। मधु-मक्खियों के जीवन को बचाने से हमें निरंतर अमृत समान शहद मिलता रहेगा। □

8/321, कम्बोह कटहरा,
सहारनपुर–247001 (उ० प्र०)

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए ग्रामीण रोजगार नीतियां

गृह राज्यमंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने कहा कि अनुसूचित जातियों के विकास की समस्या मानवी संसाधनों के विकास की ऐसी समस्या है जिसे सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास की नीतियों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए नीतियों पर विचार विमर्श हेतु अनुसूचित जाति के संसद सदस्यों की बैठक में श्रीमती सिन्हा ने कहा कि 80 प्रतिशत से भी अधिक अनुसूचित जाति के लोग गांवों में रहते हैं अतः उनके लिए उपयुक्त ग्रामीण रोजगार नीतियां बनाए जाने की आवश्यकता है। इनमें उपलब्ध भूमि एवं भूमि पर आधारित संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग के माध्यम से स्वरोजगार के साथ-साथ दिहाड़ी पर रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल होना चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा कि अनुसूचित जातियों की कुल श्रम शक्ति का 75 प्रतिशत से अधिक भाग अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों पर निर्भर है। इसमें से 28 प्रतिशत से कुछ अधिक सीमांत एवं छोटे किसान हैं तथा काफी खेतिहर श्रमिक हैं। इसलिए विकास की नीतियों में छोटे खेतों में उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही रोजगार के अवसरों में सुधार करने के कार्य को ध्यान में रखना होगा।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाना और एक अधिक गतिशील एवं समानता पर आधारित समाज के गठन के लिए अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करना प्रमुख उद्देश्य रहा है। उन्होंने कहा कि यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब कि अनुसूचित जातियां एवं जन जातियां योजना के कार्यक्रमों से अपना उचित हिस्सा प्राप्त कर सकें।

श्रीमती सिन्हा ने कहा कि अल्पावधि में अनुसूचित जाति परिवारों को गरीबी की रेखा से उपर आने में सक्षम बनाने के विभिन्न कार्यक्रमों के एक अंग के रूप में विशेष संघटक योजनाएं बनाई गई थीं। अनुसूचित जाति और जनजाति विकास के लिए प्रत्येक विभाग एवं विकास के प्रत्येक क्षेत्र से बल दिया जाना है। ये सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के नए 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 20 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संघटक योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा अनुसूचित जाति का विकास इनके सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करना है। □

आदर्श गांव बमोरी, जिला कोटा (राजस्थान)

प्रभात कुमार सिंघल

पोखर लाल, बमोरी गांव का रहने वाला है। एक समय था जब यह परिवार का गुजर-बसर करने के लिए हाली का काम और मेहनत-मजदूरी करता था। कमाई का स्थाई स्रोत नहीं था। भाग्य ने पलटा खाया तो सरकार ने पांच बीघा जमीन का मालिक बना दिया। पिछले वर्ष गेहूं के बीज डाले। सिंचित क्षेत्र को नहर का पानी खेत में उंचेला तो भाग्य चमक उठा। पहली बार जीवन में 50 मन गेहूं का मालिक बना। और यही कहानी है—माधोलाल सहित उन आठ परिवारों की जिन्हें सरकार ने खेती योग्य पांच-पांच बीघा जमीन का मालिक बना दिया।

पोखर जैसे परिवारों से जुड़ी है एक कहानी प्रभु लाल की है। एक समय था जब इनकी पत्नी केलाबाई चूल्हे में लकड़ियां जलाते-जलाते धुएं से अपनी आंखें मसलते-मसलते खीज उठती थी। पर आज विकास की दुहाई देते वह थकती नहीं। जबकि ये अपने परिवार का खाना गोबर गैस के चूल्हे पर पिछले दो साल से पका रही है। "मिट्टी के तेल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। बर्तन काले नहीं होते, कंडे बनाने नहीं पड़ते, खाद मिलती है, सो अलग, क्या यह कम है और सबसे अधिक लाभ की बात मुझे चूल्हा नहीं झोंकना पड़ता"—यह बात स्वयं केलाबाई ने बताई। आज बमोरी में 12 परिवार गोबर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और पांच परिवार शीघ्र करने लगेंगे।

जहां केलाबाई को प्रभुलाल ने चूल्हे की निजात से मुक्ति दिलाई वहीं स्वयं घर की आमदनी बढ़ाने के लिए सिलाई का काम सिखाने लगा। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसने 12 युवकों को सिलाई कार्य में दक्ष किया।

घर की आमदनी बढ़ाने के लिए इसी मार्ग का अनुसरण किया मकबूल बाई ने। उसने 6 महिलाओं को सिलाई का कार्य सिखाया और आज संतोष, मोहनी, जमना, जानकी व प्रेमबाई आदि अपने परिवार के कपड़े स्वयं सीने लगी हैं साथ ही पड़ौस के बच्चों के कपड़े सीकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनी हैं।

बमोरी, कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर का एक गांव है जो सीमलिया और अन्ता के बीच गडेपाण से चार किलोमीटर दूर अपने विकास की कहानी कह रहा है जो वहां आजादी के बाद लिखी गई।

आजादी के समय एक शाला वहां अवश्य थी। एक अध्यापक होता था पर पढ़ने वाले बच्चों में रुचि नहीं के बराबर थी। आजादी के कुछ वर्ष बाद भी विकास की गति धीमी रही। परन्तु एक दशक पश्चात् और पिछले दो दशकों में गांव की काया पलट गई। आवागमन के लिए चार किलोमीटर लिंक रोड़ पक्की हो गई। तीन किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन (भौरा) एवं चार किलोमीटर पर बस सुविधा का लाभ गांव वाले उठाने लगे। गांव में चिट्ठी-पत्री के लिए डाकघर खुला। साथ ही बचत खातों की सुविधा मिली। अधिकांश घरों में बिजली का उजाला है। पेयजल के लिए तीन कुएं एवं 15 घरों में स्वयं के हैंड पंप हैं। शिक्षा के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाएं हैं जहां क्रमशः 55 एवं 480 विद्यार्थी लाभ उठाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के माध्यम से 30 प्रौढ़ों को साक्षर करने का काम गति पर है। दुग्ध विकास कार्यक्रम यहां संचालित है जिसमें 80 सदस्य दो से तीन क्विंटल दूध प्रतिदिन एकत्र करने में योगदान देते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ए० एन० एम० सेंटर है।

विकास के नए आयामों में गांव में पेयजल के लिए सवा तीन लाख रु० की योजना के लिए सर्वेक्षण हो चुका है। हाडोती ग्रामीण बैंक का लाभ भी शीघ्र मिलने लगेगा।

बमोरी गांव में विकास का जो उजाला फैला है उसमें बीस सूत्री कार्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत 10 फुट चौड़ा 800 फुट लंबा खड़ंजा, पंचायत भवन, शाला निर्माण एवं पेयजल कुएं का निर्माण कराया गया। निर्धनतम चयनित 44 परिवारों को पिछले दो वर्षों में लाभान्वित किया गया।

वृक्षारोपण के तहत फार्म फोरेस्ट्री को बढ़ावा दिया गया तथा पांच बीघा जमीन में यूकीलिप्टस, गुलमोहर, सूबबूल व शीशम के तेरह हजार वृक्ष लगाए गए।

परिवार कल्याण के प्रति लोगों के रुझान का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1982–83 में संबंधित पंचायत ने सर्वाधिक नसबंदी आपरेशन कराकर 15 हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

बमोरी गांव पांच सौ घरों का गांव है। 70 घरों की एक ठाणी अलग बन गई है। 1700 की जनसंख्या वाले इस आदर्श गांव में 70 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। यहां करीब दो हजार पशुधन है।

बमोरी के विकास में यहां के कर्मठ सरपंच श्री मांगीलाल का योगदान विशेष उल्लेखनीय है जिनके प्रयासों से पिछले 21 वर्षों से आजादी के पश्चात् विकास की कहानी लिखी गई। □

सहायक जनसम्पर्क अधिकारी,
सूचना केन्द्र,
कोटा,
(राज०)-324001

सिनसिनी गांव

का प्रगतिपथ उत्साहवर्द्धक है

कन्हैयालाल भ्रमर

आजादी के बाद गांवों में चेतना आई है। पहले, जो गांव गरीबी और पिछड़ेपन के अभिशाप से ग्रस्त थे, वे गांव आज विकास योजनाओं में भागीदार हैं, जैसे चहुं ओर विकास की लहर व्याप्त हो गई है। ग्रामीण अंचलों में कृषि, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा, डाकतार एवं दूर संचार और सहकारिता आदि सभी क्षेत्रों में विकास की नई गति दिखाई दे रही है।

भरतपुर जिले का ऐसा ही गांव है: सिनसिनी। इस गांव का सानी दुर्लभ है। यह भरतपुर के महान योद्धा और किसान नेता स्व० महाराजा सूरजमल का गांव कहलाता है। यह गांव पंचायत समिति डीग के क्षेत्र में पड़ता है। कोई साढ़े सात हजार की आबादी वाले इस गांव में अस्सी प्रतिशत मकान पक्के हैं। यह गांव पक्की डामर की सड़क से जुड़ा हुआ है।

सिनसिनी बहुत पुराना गांव है। स्वतंत्रता के बाद इस गांव में बहुत तरक्की हुई है। गांव की अधिकांश जनता ने कृषि व्यवसाय को अपनाया। गांव की जमीन द्विफसली है। खरीब में ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ एवं तिल और रबी की फसल में गेहूं, चना एवं सरसों आदि की पैदावार होती है। विद्युत चालित दस ट्यूब वैल हैं और 50 कुओं पर डीजल इंजन लगे हुए हैं। गांव की आधी भूमि बारानी है, जो बरसात पर निर्भर है। गांव में 50 ट्रेक्टर हैं और 30 थ्रशर मशीनें हैं। गांव के प्रगतिशील किसान राष्ट्रीय बीज उत्पादन निगम द्वारा प्रमाणित बीजों का उपयोग करते हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों का समुचित प्रयोग करते हैं।

खेती बाड़ी के अलावा गांव में कुछ अन्य व्यवसाय जैसे कढ़ाई, बुनाई, बढ़ईगीरी, बांस एवं बैंत आदि कुटीर उद्योग प्रचलित हैं। ग्रामवासियों ने पशु पालन, और मुर्गीपालन का व्यवसाय भी अपना रखा है। गांव में डेयरी पद्धति से दुग्ध संकलन किया जाता है। दूध बाहर भी भेजा जाता है। गांव में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग की 11 इकाइयां कार्यरत हैं। राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदत्त ऋण से बर्फ की फैक्ट्री भी गांव में लगी हुई है।

शिक्षा के प्रति गांव सिनसिनी में काफी उत्साह है। गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अतिरिक्त, आदर्श प्राथमिक पाठशाला एवं कन्या प्राथमिक शाला सुचारू रूप से संचालित हैं। इन स्कूलों से ढाई हजार छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा के दो केन्द्र गांव में चलाए जा रहे हैं। गांव की लगभग साठ प्रतिशत जनता पढ़ी-लिखी है।

चिकित्सा सुविधा की दृष्टि से गांव में एक एलोपैथिक और एक आयुर्वेदिक औषधालय है। परिवार नियोजन की उपयोगिता से गांव के लोग वाकिफ हैं। संतानोत्पत्ति योग्य 40 प्रतिशत दम्पतियों ने नसबंदी आपरेशन अथवा परिवार नियोजन के अन्य साधन स्वेच्छा से अपना रखे हैं। आंगनबाड़ी के 6 केन्द्र इस गांव में खुले हुए हैं जिनके माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषाहार वितरित किया जाता है। 21

पेयजल व्यवस्था में समुचित सुधार के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पानी की टंकी बनाई जा रही है। गांव में पाइप लाइनें बिछाई जा रही हैं। हरिजन बस्ती में भी कुएं का निर्माण कराया गया है।

गांव के अधिकतर मकानों में बिजली की जगमगाहट देखी जा सकती है।

सिनसिनी में एक सहकारी समिति भी है, जिस पर 6 लाख रुपये की राशि विनियोजित है। एक उचित मूल्य की दुकान कार्यरत है, जो यहां के लोगों को दैनिक उपभोक्ता वस्तुएं सुलभ कराती है।

गांव में डाकतार एवं दूर संचार सेवा के लिए एक पोस्ट आफिस कार्यरत है। न्यू बैंक आफ इंडिया की शाखा भी चल रही है, जो अपनी बैंकिंग सेवाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित कर रही है। गांव के लोग जहां दूरदर्शन के शिक्षाप्रद कार्यक्रम देखकर ज्ञान वृद्धि करते हैं, वहां ग्रामीण युवक व्यायाम शालाओं में कसरत करते हुए देखे जा सकते हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत गांव में पिछले वित्तीय वर्ष में 14 भैंसें, एक भैंसा गाड़ी और दो परचूनी की दुकानों के लिए कुल 40 हजार 500 रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने 11 इकाइयों को 22 हजार रुपये के ऋण मुहैया कराए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक कुएं, खड़ंजा और पंचायत भवन की चारदिवारी के निर्माण कार्य किए गए, जिन पर 32 हजार 154 रुपये का व्यय किए गए। इसके अलावा पांच कच्चे तालाब, तीन कुओं के पक्के घाट और एक पुलिया का निर्माण भी हुआ है। चार कुओं को गहरा किया गया है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे 39 निर्धनतम परिवारों का चयन उनको सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

महाराजा सूरज मल पर भारत सरकार के फिल्म्स डिवीजन की तरफ से एक वृत्त चित्र बनाया जा रहा है, जिसमें सिनसिनी गांव के ऐतिहासिक भवनों का फिल्मांकन भी किया गया है।

इस प्रकार सिनसिनी गांव इतिहास और विकास की धाराओं से जुड़ा एक आदर्श गांव कहा जाता है। □

सहायक जनसम्पर्क अधिकारी,
भरतपुर

स्व-रोजगार योजना से 2 लाख 40 हजार लोग लाभान्वित

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के तहत 2 लाख 40 हजार से अधिक लोगों को फायदा हुआ है। सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए 2 लाख 50 हजार लोगों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य का 96.24 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। नवीनतम उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार बैंकों ने इस योजना के तहत अब तक लगभग 400 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

कई राज्य अपने लक्ष्यों से काफी आगे बढ़ गए हैं। राजस्थान अपने लक्ष्य का 150.5 प्रतिशत प्राप्त कर सबसे आगे है। अब तक बैंकों ने 15,054 आवेदन स्वीकृत किए हैं जबकि लक्ष्य केवल 10,000 ही था। हिमाचल प्रदेश ने 2,465 आवेदनों को स्वीकृत करके अपने 2,000 आवेदनों के लक्ष्य का 123.2 प्रतिशत पूरा कर लिया है। पंजाब 8,200 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करके अपने 6,700 आवेदनों के लक्ष्य का 122.4 प्रतिशत पूरा कर चुका है। तमिलनाडु ने 17,500 आवेदनों को स्वीकृत करने के लक्ष्य का 121.4 प्रतिशत पूरा कर लिया है, और 21,247 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अन्य राज्य जहां लक्ष्य से अधिक कार्य हुए हैं वे हैं :—महाराष्ट्र (118.2 प्रतिशत); हरियाणा (116.8 प्रतिशत), असम (109.2 प्रतिशत); मध्य प्रदेश (107.3 प्रतिशत) तथा उत्तर प्रदेश (102.4 प्रतिशत)।

जिन राज्यों में लक्ष्य से कम कार्य हुआ है वे हैं :—मणिपुर (99.1 प्रतिशत); गुजरात (93.7 प्रतिशत); पश्चिम बंगाल (92.9 प्रतिशत); मेघालय (88.2 प्रतिशत); केरल (86.7 प्रतिशत); जम्मू एवं कश्मीर (78.7 प्रतिशत) तथा उड़ीसा (76.2 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश में लक्ष्य का केवल 73.9 प्रतिशत पूरा किया गया है।

उद्योग मंत्रालय द्वारा लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए। उद्योग राज्य मंत्री तथा छोटे दर्जे के उद्योगों के विकास आयुक्त ने कमियों को दूर करने तथा योजना को लागू करने की गति को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर की कई बैठकें आयोजित कीं।

इस योजना के तहत दसवीं पास या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त बेरोजगार लोगों तथा 18–35 वर्ष की आय के लोगों को उद्योग, सेवाएं तथा छोटी व्यापारिक इकाइयां स्थापित करने के लिए 25,000 रुपये तक के संयुक्त ऋण दिए जाते हैं। केन्द्र सरकार ऋण देने वाले बैंकों को कुल स्वीकृत ऋण का 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान के रूप में देती है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस योजना की घोषणा पिछले वर्ष 15 अगस्त को की थी। □

जन-जन के लिए खादी रेशम

हाथ से बुनी रेशम तथा हथकरघे पर बुनी रेशम की साड़ी पारसी लोगों के लिए बड़ा प्रिय उपहार है और उन्माद की तरह इसकी मांग बढ़ती जा रही है। यद्यपि उनकी कीमत 2,500 रु० या उससे भी अधिक है फिर भी हर जगह इनके लिए बाजार उपलब्ध हो जाते हैं। कम धनी क्रेताओं के उपयुक्त भी साड़ियां बनाई जाती हैं जिनकी कीमत प्रति साड़ी केवल 300 रुपये होती है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के 20 प्रतिशत कटौती दिए जाने के प्रस्ताव ने ग्राहकों में नया आकर्षण पैदा किया है। इसकी लोक प्रियता इसी बात से जानी जा सकती है कि मद्रास में उनके एक प्रदर्शन कक्ष ने पिछले वर्ष अक्तूबर में 4 लाख 50 हजार रु० से अधिक की खादी रेशम की साड़ियां बेचीं।

इन साड़ियों में शिल्पियों के द्वारा बने जटिल डिजाइन उनकी कलात्मक कुशलता के परिचायक हैं। कला क्षेत्र किस्म की कांजीवरम साड़ी की कीमत करीब 400 रु० है। 20 प्रतिशत की कटौती पर ग्राहक को यह साड़ी केवल 320 रु० में मिल जाती है इसका भार केवल 470 ग्राम होता है। जरी के काम, गीतोपदेश के दृश्यों से चित्रित साड़ियां महंगी हैं और इनकी कीमत लगभग 2,331 रु० प्रति साड़ी है। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव बालूचर के बुनकर बालूचर साड़ी बनाते हैं। एक साड़ी बुनने में तीन व्यक्ति लगते हैं। इस साड़ी की छटा बिल्कुल त्यौहार जैसी ही होती है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के प्रदर्शन कक्षों में बंगलौर, वाराणसी, उड़ीसा, बिहार तथा तमिलनाडु जैसे स्थानों पर बनने वाली विभिन्न प्रकार की साड़ियां भी उपलब्ध हैं। बिहार की मलमल, बाफ्ता, रेशम, तथा सूती धागों के मिश्रण से बनी है तथा इसकी कीमत 114 रु० है। खादी मोटी ही होती है और 60 काऊन्ट से अधिक नहीं होती। इस संदर्भ में खादी की मलमल और वह भी 100 काऊन्ट श्रेणी की तो एक अचरज ही है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग ने पिछले वर्ष 18 करोड़ रु० से अधिक मूल्य के 42 लाख वर्ग मीटर रेशम वस्त्र का उत्पादन किया। वर्ष 1982 में 35 लाख 30 हजार वर्ग मी० कपड़े का उत्पादन तथा 17 करोड़ 55 लाख रुपये की बिक्री की गई। पूरे भारत में अकेली खादी द्वारा ही 15 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। इनके लिए खादी स्वरोजगार तथा आजीविका का आधार है। □

दलहनी फसलों को राइजोवियम कल्चर का टीका देकर उपज बढ़ाएं

अभय कुमार जैन

आज विकासशील देशों में एक आन्दोलन मुखरित हो रहा है कि यदि हमें भौतिक प्रगति की दौड़ में अन्य मुल्कों के साथ चलना है तो यह आवश्यक है कि हम हर चीज का उत्पादन बढ़ाएं—इस आन्दोलन का विस्तार कृषि क्षेत्र में भी किया जाना आज धीरे-धीरे राष्ट्रीय चिन्तन होता जा रहा है। हमारे देश में छोटी जोत वाले किसान बहुत अधिक हैं। अतः इसका विशेष महत्व है कि कम से कम भूमि क्षेत्र पर कम लागत में अधिक उपज ली जाए।

उन्नत खेती एवं भरपूर उपज होने की सबसे बड़ी प्रथम आवश्यकता है कि बीजों को उपचारित कर बोया जाए। उत्तम किस्म का चुनाव कर लेने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि उसकी बुवाई बीज उपचारित करने के बाद ही की जाए, क्योंकि बीजोपचार से बीज-जनित रोग समाप्त तो हो ही जाते हैं साथ ही भूमि में बीज के सम्पर्क में आने वाले रोग भी बीज पर आक्रमण करने में सफल नहीं हो पाते हैं जिसके कारण फसल शुरू से ही स्वस्थ एवं निरोग रहती है। बीजोपचार करना सुलभ साधन है जिससे उपज में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

राइजोवियम जीवाणु कल्चर एक ऐसा सुलभ नुस्खा है जिससे हम दलहनी फसलें मुख्यतः चने की पैदावार 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। इस कल्चर को टीका भी कहते हैं, जिसको बिजाई के पहले लगाने से पौधों की जड़ों में अधिक ताकतवर जीवाणु और गांठें पैदा हो जाती हैं।

जैसा कि हम सब जानते हैं, दलहनी फसलों की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों का विकास एक प्रकार के जीवाणु से होता है, जिसे राइजोवियम कहते हैं। ये जीवाणु ग्रंथियों में रहते हैं तथा हवा में उपलब्ध नाइट्रोजन को खींचकर ग्रंथियों के भीतर बंधित करते हैं। जो पौधे द्वारा उपयोग कर लिया जाता है तथा जड़ ग्रंथियों की अवशेष नाइट्रोजन भूमि को प्राप्त हो जाती है, जिससे भूमि की उर्वरकता बढ़ जाती है। इसके प्रयोग से जल्द व स्वस्थ अंकुरण होता है। जमाव भी अच्छा होता है, तथा जड़ें मजबूत होती हैं व अधिक फैलती हैं। वैज्ञानिक तरीके के द्वारा राइजोवियम की सक्षम प्रजाति को निकालकर उसे कृत्रिम रसायन माध्यम पर लगाकर तथा अंतिम तौर पर इस सक्षम जाति को कंपोस्ट के माध्यम से एक पैकेट के रूप में किसानों को उपलब्ध कराया जाता है।

एक पैकेट एक एकड़ बीज के लिए पर्याप्त होता है। यह पैकेट ठण्डे स्थान पर रखा जाना चाहिए। इस टीके को उत्पादन की तिथि के चार महीने के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए, अन्यथा इसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं।

उपयोग विधि :

एक छटांक गुड़ को एक लीटर पानी में घोल कर किसी खुले बर्तन में डाल लें। उस बर्तन में एक एकड़ के लिए पर्याप्त बीज डालकर हाथ से इस प्रकार हिलाएं कि यह तैयार किया हुआ घोल सब बीजों पर लग जाए। उन बीजों को छाया में सुखा लें तथा बोते वक्त, इसमें किसी प्रकार का उर्वरक न मिलाएं। बीजों की बुवाई यथा सम्भव शाम के समय करनी चाहिए। यदि बुवाई में विलम्ब हो तो इन्हें तीस डिग्री तापक्रम वाले स्थान में रखें। फफूंद नामक दवा के उपयोग के साथ ही कल्चर का उपयोग किया जा सकता है। फसल विशेष के लिए विशिष्ट प्रकार का कल्चर ही उपयोग में लिया जाना चाहिए। इस प्रकार चने व अन्य दलहनी फसलों की बुवाई कल्चर से उपचारित करने से निश्चित रूप से पैदावार में वृद्धि होगी तथा न्यूनतम लागत से अधिक पैदावार हासिल कर सकेंगी। पैदवार वृद्धि में इस कल्चर की अहम् भूमिका है। कल्चर प्राप्त करने में कृषि विभाग से मदद लें। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हर प्रगतिशील कृषक से अपेक्षा की जानी चाहिए कि दलहनों के विपुल उत्पादन अभियान में इस क्रिया को कृषि कार्य माला में पहला स्थान दें। कृषि विभाग को भी राइजोवियम के प्रयोग के प्रचार-प्रसार को हर स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए। □

तृप्ति बन्दा रोड,
भवानी मण्डी (राज.)

विकसित प्रौद्योगिकी और समुन्नत जानकारी के लाभ

हरि विश्नोई

देश में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं से ग्रामीण पुनर्निर्माण को एक नई दिशा मिली है। इन योजनाओं का उद्देश्य गांव के आर्थिक जीवन को समुन्नत करना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें गरीबी और भूख से लिपटी हुई कोई चीख न हो, निर्बलों के सिर पर विवशताओं की काली छाया न हो और उनका शोषण जीवन के किसी मोड़ पर न किया जा सके। आज भारत के गांव वे नहीं हैं जो आजादी से पहले थे। उनमें तेजी से बदलाव आया है, खुशहाली आयी है।

दो वर्ष पूर्व भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 27 फरवरी 1982 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उसमें लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक यह भी था कि समस्त सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थाएं सघन कृषि एवं ग्राम्य विकास की दृष्टि से कुछ गांवों का चयन करेंगी ताकि उनमें हुई प्रगति देखकर आसपास के गांवों में नव जागृति और चेतना उत्पन्न हो सके। गांवों के बहुमुखी विकास की दिशा में इस कदम को स्वागत योग्य कहा गया। इसी की क्रियान्विति का सुफल अनेक गांवों को इस देश के विभिन्न मार्गों में मिला है। इनमें से एक गांव है जमुनिया मउ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा अपने निकटतम ग्राम जनुनिया मउ का चयन इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 में किया गया था। नरेन्द्र नगर फैजाबाद मार्ग पर स्थित इस गांव में 80 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक तथा भूमिहीन श्रमिक हैं जो विशेषकर अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के हैं। विकास खंड कार्यालय गांव से चार किलोमीटर दूर है। हां इतना अवश्य है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति, सरकारी बीज गोदाम तथा स्कूल गांव में ही हैं।

समृद्धि की लहर आई ऐसे

एक वक्त वह भी था कि जब इस गांव के आसपास खेत खाली पड़े रहते थे और खेत वाले हाथ पर हाथ धरे यह सोचते रहते थे कि क्या मजदूरी करें? कैसे बाल बच्चों का पेट भरें? लेकिन आज वहीं फसल लहलहा रही है। यह किसी जादू की छड़ी या अलादीन के चिराग वाले जिन्न ने नहीं कर दिया बल्कि उन गांव वासियों ने खुद ही किया है। उन्नत खेती की सब जानकारी का उन्होंने लाभ उठाया है। शुष्क खेती को प्रोत्साहन देने हेतु असिंचित क्षेत्र में धान की अवधि वाली प्रजातियों का प्रचलन किया गया और कटाई के तुरंत बाद तोरिया टाइप–9 तथा चने की राधे किस्म को व्यापक रूप से वहां बोया जाता है। परिणामस्वरूप उन असिंचित क्षेत्रों की पैदावार में भी आशातीत वृद्धि हुई है। जहां केवल बरसात में ही जुताई होती थी, वहां अब 9 कुतंल प्रति हैक्टेयर तिलहन तथा 13 कुतंल प्रति हैक्टेयर दर से दलहन का उत्पादन होता है। साथ ही साथ अब वहां उरर्वकों का संतुलित प्रयोग करना एक आम बात हो गई है। जबकि 1981 तक नत्रजन, फास्फोरस एवं कीटनाशक दवाओं के विषय में कोई जानता तक न था, उपयोग करना तो दूर की बात थी। जुलाई 1982 के बाद से 18 मीटरी टन नत्रजन 6.28 मीटरी टन फास्फोरस तथा 5.43 मीटरी टन पोटाश प्रतिवर्ष गांव में प्रयोग हो रहा है।

गांव में कृषि प्रसार शिक्षा के सुपरिणाम और भी अनेक क्षेत्रों में देखने को मिले हैं। वहां के किसान अब बहार टाइप–7, अरहर टाइप–21, चना टाइप–3 तथा राधे मटर 163, मसूर 36, तोरिया टाइप–9, वरुणा राई, नीलम तथा मुक्ता अलसी जैसी उन्नत किस्म बो रहे हैं। फसलों का उत्पादन एक विश्लेषण के अनुसार 315 प्रतिशत तक बढ़ा है। किसानों की आय में 63.39 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। गांव की कृषि योग्य भूमि का 11.75 प्रतिशत तथा सिंचित क्षेत्र को 89 प्रतिशत क्षेत्र दलहनी फसलों के अंतर्गत आ गया है। बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या दो की सफलता का एक उदाहरण यह गांव भी है।

मछली पालन

जमुनिया मउ के निवासियों में अपने हाथों अपनी उन्नति करने की ललक साफ दिखाई देने लगी है। वहां के युवाओं ने जब विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से विविध विषयों पर अपनी जिज्ञासा प्रगट की तो उनकी आर्थिक प्रगति के कई क्षेत्र सामने आए। जल्दी ही इस गांव में सहकारिता के आधार पर मछली पालन शुरू किया जाएगा।

वृक्षों से प्यार

गांव के रास्ते पर दोनों ओर तालाब के किनारे, स्कूल में, घरों के आस पास खाली पड़ी जमीन में पिछले साल साढे तीन हजार वृक्ष लगाए गए। उससे पिछले साल भी 2700

(शेष पृष्ठ 41पर)

जिन्दगी संवारी

स्व-रोजगार कार्यक्रम ने

उड़ीसा में एक स्थान है बारिपद।

वहां सब्जी की एक दुकान है, जिसका नाम है "नील चक्र"। श्रीमती संयुक्ता दास "नील चक्र" की मालकिन हैं। संयुक्त, बारिपद के एक अवकाशप्राप्त ग्राम सेवक के घर "बहू" बन कर आई। वह स्नातक है। उनके और उनके पति के पास कोई रोजगार नहीं था। समूचा परिवार उनके ससुर की मामूली सी पेंशन पर निर्भर था। वे अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ करना चहाते थे।

वह "कुछ" ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक आफ इंडिया की स्थानीय शाखा की ओर से उन्हें एक ऋण के रूप में मिला। इसी धनराशि से नील चक्र की स्थापना हुई। एक गृहिणी होने के नाते संयुक्ता अपने ग्राहकों के मनोविज्ञान से भली-भांति परिचित थी। जल्दी ही उनकी दुकान चल निकली। परिवार के हरेक सदस्य ने इस कार्य में हाथ बंटाया। इस सुकाम से अब इस परिवार को हर महीने 1,200 रु० की आय होती है।

संयुक्ता मयूरभंज जिले की उन 363 शिक्षित युवाओं में से है, जिन्हें अपना रोजगार स्वयं शुरु करने के लिए सहायता दी गई। कुछ और लोगों की भी इसी प्रकार सहायता की जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत बारिपद में सहायता प्राप्त लोगों में से ही एक अन्य है, अक्तियार अली खान। वह मैट्रिक पास था। एक पक्की नौकरी की तलाश में उसने दस साल तक इस शहर की खाक छानी, पर, कोई सफलता नहीं मिली। तब उसके जीवन में भी एसा ही "कुछ" घटित हुआ। बैंक आफ इंडिया व स्थानीय शाखा ने मुख्य बाजार में एक बीडी बनाने की इकाई स्थापित करने के लिए उसे 10,000 रु० का ऋण प्रदान किया। उसका व्यवसाय चल निकला। अब वह हर महीने 800 रु० के लगभग कमा लेता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह रोजाना सात बीड़ी मजदूरों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है।

केवल बारिपद में ही ऐसे 40 व्यक्तियों का पता लगाया जा चुका है जिन्हें अपना रोजगार खुद शुरु करने के लिए मदद दी जाएगी। पच्चीस मामलों में ऋण पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं तथा इकाइयां चालू हो गई हैं। बाकी बचे 15 मामलों के बारे में कार्रवाई जारी है।

मायाधर पुठाल हायर सेकेंडरी पास है। वर्षों से नौकरी की तलाश थी। उसकी चिन्ताओं में उसकी शादी ने और भी वृद्धि कर दी। जो भी दो या तीन काम उसे मिले, वे उसकी जरूरतों को पूरा करने में बिल्कुल अपर्याप्त सिद्ध हुए। वह भी "कुछ" हासिल करने के लिए इधर-उधर दौड़-धूप करने लगा। और इस मामले में भी वह "कुछ" बैंक ऋण के रूप में ही उस तक आया। उसे कपड़े की एक दुकान शुरू करने के लिए 19,000 रु० का ऋण मिला। उसे अपने व्यापार में सफलता मिली। अब उसकी आय कैसी भी हालत में 1,000 रु० प्रतिमाह से कम नहीं होती है। वह अपना ऋण भी नियमित रूप से चुका रहा है। वह शीघ्र ही अपनी दुकान के विस्तार हेतु बैंक से और मदद लेने के लिए आवेदन करेगा। इस बार वह अपनी वर्तमान दुकान के साथ कंट्रोल के कपड़े की एक दूकान भी खोलना चाहता है।

मनोरंजन बारिक हायर सैकंडरी पास एक अन्य बेरोजगार युवक है, जिसने इस योजना से लाभ उठाया है। बैंक ने उसे एक सैलून खोलने के लिए 12,000 रु० का ऋण दिया। चूंकि बारिपत में यह अपने ढंग का अकेला ही सैलून है अतः इसने भारी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। आज मनोरंजन 200 रु० रोजाना कमा लेता है तथा उसकी दुकान में चार और अन्य व्यक्तियों के लिए काम उपलब्ध है। वह अपनी दुकान को और अधिक आधुनिक एवं आरामदायक बनाना चाहता है। उसे आशा है कि बैंक आफ इंडिया उसकी और सहायता करेगा।

दुकानदार, होटल मालिक तथा कई व्यवसायों के लोग मयूरभंज जिले में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं, पर यहां कई अन्य लोग हैं जो बेरोजगार हैं और इस योजना से लाभ उठाकर अपना रोजगार खुद शुरु करना चाहते हैं। बारिपद के अन्य बैंक भी लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण देने के लिए तैयार हैं। वर्ष 1983-84 में मयूरभंज में, इस योजना के अंतर्गत 400 व्यक्तियों की सहायता का लक्ष्य रखा गया था। □

मिर्च-मसाले और स्वास्थ्य

डा० प्रकाशचन्द्र गंगराड़े

महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक 'आरोग्य की कुंजी' में लिखा है—"जिनकी आम तौर से जरूरत नहीं है ऐसे कई मसाले पाचन शक्ति बढ़ाने के ख्याल से इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे हरी या लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया, हल्दी, राई, जीरा, मेथी, हींग आदि। इनके बारे में मेरी राय पचास वर्ष के अनुभव से दृढ़ हुई है कि शरीर को पूरी तरह निरोग रखने के लिए इनमें से एक की भी जरूरत नहीं। जिनकी पाचन शक्ति बिलकुल कमजोर हो गई हो, उन्हें दवा की तरह एक खास वक्त तक खास मात्रा में लेने पड़े तो भले ही लें लेकिन स्वाद के लिए तो उनका आग्रह पूर्वक निषेध मानना चाहिए। सभी मसाले और नमक भी अन्न और तरकारी के स्वाभाविक रस को बर्बाद करते हैं। जिनकी जीभ बिगड़ गई है उन्हें स्वाभाविक रस में स्वाद नहीं आता है वह मसाले या नमक डालकर स्वाद पाते हैं। मिर्च तो मेदे और मुंह दोनों को जलाती है। एक मनुष्य को जिसे मिर्च का बहुत शौक था, मिर्चों के व्यवहार के कारण भरी जवानी में मौत के मुंह पड़ते देखा। दक्षिण अफ्रीका के हब्शी मसालों को तो चख ही नहीं सकते अंग्रेज हमारे मसालों का इस्तेमाल नहीं करते।"

मिर्च-मसाले पाक शास्त्र के विभिन्न अंग रहे हैं। भोजन को जायकेदार व लजीज बनाने में मसालों का सबसे अधिक हाथ रहता है। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में जो स्वाद-मधुर, कटु और तिक्त आदि होते हैं, उनके मूल में मसाले ही हैं। मसालों के द्वारा ही हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव होता है यथा कटु, अम्ल, लवण और कषाय।

कोई भी मसाला हम अकेले खाना अभी पसंद नहीं करते क्योंकि वह न स्वादिष्ट होता है और न ही रुचिकर। मसालों में आमतौर से पांच प्रकार के अवयव सम्मिलित होते हैं—वाष्पशील तेल, विटामिन, खनिज पदार्थ, सक्रिय तत्व तथा अन्य कार्बनिक अवयव। छौंक में मसालों की जो सुगंधि आती है, वह वाष्पशील तेल के कारण है। मसालों को किसी अन्य विलय (तेल या घी) में उच्च ताप तक गरम करने पर तेल निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिन्हें रासायनिक विधि से परिष्कृत करके बेचा जाता है। इनमें भेषजीय गुण विद्यमान होने के कारण आयुर्वेद मतानुसार मसालों की गिनती औषधियों में की जाती है। महर्षि चरक ने भोजन में मसालों की अधिकता को हानिकारक बताया है। अतः हमारे प्रतिदिन के स्वाभाविक भोजन में मिर्च मसालों की अधिकता स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है।

कहा जाता है कि लाल और हरी मिर्च में इतना अधिक तीखापन यह दर्शाता है कि यह हमारे खाने योग्य नहीं है फिर भी मनुष्य है कि अधिक पानी पीकर भी रोटी के साथ मिर्च नमक लगाकर खाता जाता है। इससे तो पशु-पक्षी या अन्य जीव जन्तु अच्छे हैं, जो मिर्च मसालों से सनी चीजें नहीं खाते। तोता इसका अपवाद है। सभी डाक्टरों का मत है कि अधिक मिर्च खाने से आंतों में, अमाशय में घाव हो जाते हैं और शोथ आ जाती है।

मिर्च-मसालों के तेल में बड़ी उत्तेजना उत्पन्न करने की शक्ति होती है। प्रयोग के तौर पर आप अपनी त्वचा पर इनके तेल लगा कर देखेंगे कि वहां सूजन और फफोले पैदा हो गए हैं। जब कहीं तेल शरीर के कोमल त्वचा वाले आंतरिक अवयवों पर अपना असर दिखाते होंगे तब क्या होता होगा, आप स्वयं उसका अनुमान लगाएं।

यकृत और गुर्दों पर भी मिर्च मसालों का सबसे अधिक बुरा असर पड़ता है। ये शरीर के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं, किसी से छुपा नहीं। जब इनके कार्यों में गड़बड़ी पैदा होगी तो शरीर अनेक बीमारियों का घर बन जाएगा। इसके अलावा नेत्र विकार, रक्तविकार अंतर दाह की वृद्धि भी अधिक मिर्च मसालों के सेवन करने से होती है।

क्योंकि मिर्च मसालों का प्रधान गुण, उत्तेजना उत्पन्न करना है। इसी कारण हमें ऐसा लगता है कि भूख बढ़ गई है और हमारी पाचन शक्ति तेज होती जा रही है। यह अस्थाई उत्तेजना शरीर पर बहुत बुरा और गहरा असर डालती है। मसालों से युक्त स्वादी भोजन की जब आदत बन जाती है तो उसके बिना पेट की रसोत्पादन क्रिया मंद पड़ने से प्राकृतिक भूख एकदम नष्ट सी हो जाती है। इस तरह अमाशय और आंतों को निरंतर उत्तेजित करते रहने से एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि पाचन शक्ति दुर्बल होकर मंदाग्नि आदि रोग सताने लगते हैं। खाना पचाने के लिए गोलियों की आवश्यकता पड़ने लगती है।

एक ओर जहां मिर्च मसालों के ज्यादा सेवन करने से शरीर को हानि पहुंचती है, वहीं अल्प मात्रा में ये लाभप्रद भी हैं। स्वाष्टि भोजन मसालों के कारण ही बनता है अतः अधिक मात्रा में खाने की इच्छा होती है। बेस्वादु भोजन अकसर आवश्यकता से भी कम ग्रहण किया जाता है।

हल्दी नष्ट हुए उत्तकों की क्षति को पूरा करती है एवं शरीर को पुनः हराभरा करने में मदद करती है। धनिया सारे शरीर को विशोधित कर प्रत्येक वस्तु को—रसों को और धातुओं को उनके स्थान पर यथावत पहुंचाने में मदद करता है।

औषधियों के रूप में मसाले रेचक, मूत्रल, क्षुधा-वर्धक, पीड़ाहर, उत्तेजक पाए गए हैं। इनमें पाए गए सक्रिय तत्वों के कारण ही ये अपनी विशिष्टता रखते हैं। इनकी समुचित मात्रा ही लाभकारी होती है और उनका अधिक प्रयोग विपरीत असर करता है। किसी का काढ़ा तो, किसी का चूर्ण विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।

मसाले भोजन को परिरक्षित करने के लिए अक्सर प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ हद तक मांस का परिरक्षण भी इनके द्वारा संभव है। लौंग द्वारा वर्षों तक मांस सुरक्षित रखा जा सकता है। यह घर का अनुभव सभी को होगा कि अचार को मसालों से महिनों, वर्षों तक बिना सड़े सुरक्षित रखा जाता है। काली मिर्च को अल्प मात्रा भोजन को सड़ने से बचाती है।

कुछ मसाले ऐसे भी होते हैं, जो विटामिन के स्त्रोत कहे जा सकते हैं। मुख्यतः इनमें ए० सी० तथा ई० विटामिन प्राप्त किए गए हैं। हरी और लाल मिर्च में प्रधानता से विटामिट सी प्राप्त होता है। इनमें पर्याप्त मात्रा में केल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि पाया जाता है।

कुछ प्रमुख मिर्च मसालों के गुण अवगुणों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार रहा है—

हल्दी	पाचक, कफ, प्रमेह, नाशक, नेत्र ज्योतिदा, शोधक, चर्म रोग नाशक, टूटी हड्डी संयोजक, उदर कृमि, तथा वात रोग नाशक है।
अदरक	उद्दीपक, दाह, ज्वर, मूत्र कष्ट, रक्त अशुद्धि व पित्त में हितकर। साग सब्जियों, अचार—मुरब्बों में खाने से हाजमा ठीक होता है।
लाल मिर्च	क्षुधावर्द्धक, रक्त शोधक, कफ—पित्तनाशक, रुचिकर लेकिन नेत्र ज्योति, वीर्य विकारी, मूत्र दाह में कष्ट प्रद है।
हरी मिर्च	लाल मिर्च से कम हानिकारक है फिर भी नेत्र व वीर्य के लिए नुकसानदेय है।
काली मिर्च	रुचिकर क्षुधावर्धक उष्म, भारी, शूल व कृमि नाशक, कष्ठ शोधक, वात पित्त कारक है।
धनिया	सुपाचक, रुचि वर्द्धक, पित्तशमक, तृष्णा व कृमि नाशक, मूत्रल, आंव, अर्श में लिए लाभप्रद है।
नमक	पाचक, स्वाद तथा रुचि वर्द्धक, रक्त शोधक, व कफघ्न है।
लहसुन	रक्तवर्द्धक, वीर्योत्पादक, पाचक, उष्ण, स्निग्ध, कंठ, मेदा व नेत्र के लिए लाभकारी, शीत ज्वर, अरुचि कब्ज, शोथ, अजीर्ण, कृमि में गुणकारी है।
राई	रुचिकर, चरपटी, सुपाचक, तथा बलवर्द्धक है।
लौंग	पाचक, रुचिकर, प्यास, शीत, व क्षय में हितकर। और वात, पित्त, कफ का नाश करता है।
हींग	भूख बढ़ाने और भोजन पचाने में श्रेष्ठ, कफ वात शूल और कृमि नाशक है। नेत्र, लीहा और कान के लिए हितकर।
अजवाइन	सुपाचक, रुचिकारक, पित्तवर्धक, वात पित्त, कफ, शूल और कृमि नाशक है।
सौंफ	नेत्र रोग, शूल, आंव, ज्वर, शोथ, वात कफ, रक्त पित्त, दाह, में लाभप्रद रुचिवर्धक और शुक्रोत्पादक भी है।
बड़ी इलायची	अग्निदीपक, उष्णम, रक्त शोधक; मिचली, तृष्णा। मुख रोग में लाभप्रद है
छोटी इलायची	शोथ, वात नाशक, श्वास, अर्श, कष्टहारी और सुगंधि दायक है।
केसर	उत्तेजक, रुचिकर, वीर्य वर्द्धक, शिर शूल, त्रिदोष, मितली नाशक और रक्त शोधक है।□

डा० प्रकाश चन्द्र गंगराड़े
902, एन—2, हबीब गंज,
भोपाल—462024

विकसित प्रौद्योगिकी और मुन्नतत जानकारी के लाभ

(पृष्ठ 38 का शेषांश)

वृक्ष लगाए गए थे। दो साल में गांव की काया पलट हो गई।

गांव में बायो गैस प्लांट समृद्धि की कहानी कह रहे हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग विषय पर अब तक इस गांव में छोटी बड़ी कुल 14 गोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं जिसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकत्र होते हैं। इसके अलावा कमजोर वर्ग के लोगों ने एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत ऋण लेकर भी अपना दुग्ध व्यवसाय शुरू किया है।

गांव की अनेक समस्याएं स्वतः समाप्त होती जा रही हैं और अब अज्ञान एवं अशिक्षा के अंधकार के स्थान पर समग्र विकास का उजियारा फैलता जा रहा है। अब वहां रहने वाले लोग गांव छोड़कर शहर की ओर भागने की बात नहीं करते। कच्चे मकान धीरे-धीरे पक्कों में तबदील हो रहे हैं। उन घरों में अब अभाव और रुदन के करुण स्वर नहीं हैं वहां है मेहनत से उपजा हुआ खुशहाली का मधुर संगीत। अब जमुनिया मउ पिछड़ा हुआ और घोर नरक की संज्ञा पाने वाला गांव नहीं है अब वह आदर्श ग्राम है। उसकी तस्वीर बदल रही है विकास के आइने में।□

ग्रामीण औद्योगीकरण-गांवों में व्याप्त गरीबी का समाधान

✻ देवेन्द्र कुमार ✻

गांवों में व्याप्त गरीबी की समस्या का एक मात्र हल लाभकारी रोजगार के अलावा और क्या हो सकता है। गांवों में लाभकारी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए दो उपाय अति-आवश्यक हैं। ग्रामीण उद्योगों को बड़े पैमाने पर विकसित करना और भूमि सुधारों को एक ऐसा मोड़ देना कि ग्रामीण भू-स्वामित्व, विकास प्रक्रियाओं में बाधक न बने।

जब केवल कृषि ही एकमात्र धंधा रहा होगा और किसी समाज में गरीबी होगी तो निश्चय ही जो गरीब होंगे उन्हें जबरदस्ती जमीन से वंचित रखा गया होगा या फिर उनसे जबरदस्ती जमीन पर काम तो कराया गया होगा, किन्तु उनके परिश्रम का पूरा लाभ उन्हें नहीं दिया गया होगा। क्योंकि जान बूझकर तो कोई गरीब रहकर भूखा और अभावग्रस्त रहकर अपमानित जीवन बिताना नहीं चाहेगा।

जब उद्योगों का विभिन्न प्रकार से विकास हुआ होगा तब ये लोग भूमि और धन दोनों के ही अभाव में उद्योगों जनित समृद्धि का भी वरण करने में समर्थ नहीं हुए होंगे। ये तो हुई बहुत पुराने काल की बात कि इतने पुराने जमाने में गरीबी क्यों रही होगी।

अंग्रेजों के शासन काल में शासकों ने देश में आर्थिक स्थिति को एक निकृष्ट मोड़ दिया कि ग्रामीण और घरेलू उद्योगों को जान बूझकर योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया गया। जिन लोगों के उद्योग विदेशी शासन की कारगुजारियों से खत्म हुए वे पहले से मौजूद गरीबों की संख्या में जुड़ गए। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के अन्तिम दिनों तक भारतीय लोगों का अधिकांश भाग गरीबी के गर्त में जा पड़ा।

स्वतंत्रता के प्रारम्भ से ही भारत सरकार का प्रयास रहा है कि अंग्रेजों ने जो हानि पहुंचाई उसको दूर किया जाए। इसके लिए ग्रामीण उद्योगों तथा कारीगरों का विभिन्न उपायों द्वारा पुनरोद्धार करके उन्हें प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई गई जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और वे न केवल गरीबी की रेखा से ऊपर ही आएं बल्कि अपने आस पास के लोगों को रोजगार देने में भी सहायक हो सकें।

पिछले तीन दशकों में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसका ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (ट्राइसेम) प्रमुख अंग है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) मात्र ग्रामीण गरीबी निवारण और अधिकाधिक रोजगार सृजन की सरकार की चेष्टा के परिणाम हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप ग्रामीण उद्योगों की स्थापना और प्रोत्साहन से जैसे-जैसे रोजगार सृजन में वृद्धि होगी वैसे-वैसे ग्राम जन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तथा सक्षम होंगे।

ग्रामीण उद्योगों के प्रोत्साहन की भावना यह है कि विकसित ग्रामीण टैक्नोलाजी का उपयोग करके आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाए। इससे गांव के लोग नए विचारों से भी अवगत होंगे। ग्रामीण उद्योगों से न केवल गांवों के लोगों को अधिक काम मिलेगा अपितु इससे ग्रामीण जीवन में आवश्यक परिवर्तन को भी बढ़ावा मिलेगा। अतः उनका बहुत महत्व है। टैक्नोलाजी जीवन-स्तर में सुधार लाने का आधार है और उस पर रोक लगाना असम्भव है, हां उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के इच्छुक सभी लोग इस नजरिए से सहमति प्रकट करेंगे।

ग्रामों के औद्योगीकरण की जो शुरुआत हुई है उसे सफल बनाने के लिए अभी अनेक अपेक्षाएं हैं। अतः इसके विभिन्न पहलुओं पर व्यापक रूप से गहन विचार विमर्श करने के पश्चात् इससे सम्बद्ध आवश्यकताओं के अनुसार शीघ्रता से निर्णयों पर पहुंचने की जरूरत है। जैसे हमारी टैक्नोलाजी ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए कितनी विकसित है? इस संबंध में और क्या किए जाने की जरूरत है? क्या इसके लिए अतिरिक्त भूमि आदि की भी जरूरत होगी और यदि ऐसी आवश्यकता महसूस की जाए तो उसकी व्यवस्था का प्रबन्ध किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है आदि?

औद्योगीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए कच्चे माल की पूर्ति की अच्छी व्यवस्था का होना भी उतना ही लाजमी है जितना कि उद्योगों का विकास। यद्यपि खपत और कच्चे माल के स्थान मुख्य रूप से गांव ही होंगे परन्तु गांवों की सामानार्थिक दशा तथा अन्य खिचाओं को देखते हुए इस पक्ष के भी सुविचारित नियोजन की जरूरत होगी। इसके फलस्वरूप प्रगति की अनुश्रवण व्यवस्था तथा सही जायजा लेने की प्रक्रिया में भी योगदान मिलेगा। □

द्वारा श्री मवासी राम,
ग्राम–सादतपुर,
दिल्ली–110094

केन्द्र के समाचार

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को अब तक 19,062.875 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री, श्रीमती मोहसिना किदवाई ने यह जानकारी लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने यह भी बताया कि इसके अलावा, वर्ष 1984–85 की पहली दो तिमाहियों हेतु आवंटित खाद्यान्नों पर आर्थिक सहायता के रूप में 958.397 लाख रुपये की धनराशि दी गई है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से 3.47 लाख परिवार लाभान्वित

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जून माह के दौरान 3 लाख 47 हजार से अधिक परिवार लाभान्वित हुए। चालू वर्ष के लिए निर्धारित 30 लाख 29 हजार परिवारों के लक्ष्य का 11.5 प्रतिशत जून माह तक प्राप्त किया जा चुका है। नगालैंड में पहली तिमाही में वार्षिक लक्ष्य का 55.6 प्रतिशत, सिक्किम ने 22.5 प्रतिशत, असम ने 22.8 प्रतिशत तथा केरल ने 21 प्रतिशत भाग प्राप्त किया। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश का कार्य-निष्पादन 15 प्रतिशत से अधिक रहा।

ग्रामीणों के लिए आवासीय स्थलों का आबंटन

छठी योजना में निर्धन ग्रामीणों को मकान बनाने हेतु भूमि देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। कई राज्यों ने निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया है। ये राज्य हैं : आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी ने भी लक्ष्य को पार कर लिया है। वर्ष 1985 तक 68 लाख ग्रामीण मजदूरों के परिवारों को मकान बनाने हेतु भूमि देने का प्रस्ताव है। अनुमान है ऐसे परिवारों की संख्या तब तक 145 लाख होगी; इनमें से 77 लाख परिवारों को छठी पंचवर्षीय योजना से पूर्व ही भूमि दी जा चुकी है। इस वर्ष 31 मार्च को समाप्त 4 वर्षों के दौरान 44 लाख परिवारों को आवासीय भूमि दी जा चुकी है। इस योजना में 25 प्रतिशत उन परिवारों को निर्माण सहायता देने का प्रावधान भी है, जिन्हें आवासीय भूमि दी गई है। छठी योजना में 36 लाख परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है। इस वर्ष 31 मार्च को समाप्त चार वर्षों में 14 लाख 80 हजार परिवारों को निर्माण सहायता दी गई है।

रबड़ की खेती के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

केन्द्र सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों में रबड़ की खेती के विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। नए रोपण तथा पुनः रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए रबड़ बागान विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विशेष सहायता दी जा रही है। इसके अन्तर्गत लघु उपजकर्ताओं को 5000 रु० प्रति हैक्टेयर तथा बड़े उपजकर्ताओं को 3000 रु० प्रति हैक्टेयर की दर से नकद उपदान दिया जाता है। छोटे जोतधारियों के कमजोर वर्गों, जो 6 हैक्टयर से अधिक के स्वामी नहीं है, को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस सहायता में इस्तेमाल की गई रोपण सामग्री की लागत की प्रतिपूर्ति करना, अपूर्णता अवधि के दौरान उर्वरकों की आधी लागत तथा मिट्टी संरक्षण कार्य के लिए 150 रु० प्रति हैक्टेयर तक उपदान शामिल है। पुनर्रोपण तथा नए रोपण करने वाले लघु उपजकर्ताओं एवं बड़े उपजकर्ताओं को बोर्ड से प्रदान किए जाने वाले नकद उपदान की अनुपूर्ति के लिए नाबाद से प्राप्त ऋणों पर उपदान उपलब्ध कराया जाता है। रोपण तथा पोषण की सभी अवस्थाओं पर सभी उपजकर्ताओं को मुक्त विस्तार और परामर्शी सहायता भी दी जाती है।

तिलहनों की नई किस्में

प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में खाद्य तेलों में देश को आत्म निर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि इस समय 80 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा हम खाद्य तेलों के आयात पर खर्च करते हैं। तिलहन उगाने वाले किसानों को इस राशि से चौथाई राशि की सुविधाएं भी दी जा सकें तो देश खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का यह सतत प्रयास है कि वह देश को आत्म निर्भर बनाने में और तेल की पैदावार बढ़ाने में नई-नई किस्में जुटाकर किसानों को देती रहेगी। इसी क्रम में पिछले वर्ष परिषद के योग्य वैज्ञानिकों ने तिलहन की कई किस्में निकाली ह। ये किस्में देश के विभिन्न भागों में वर्तमान किस्मों के मुकाबले कई गुना

दावार देंगी और खाद्य तेल संकट घटेगा। ये नई किस्में इस प्रकार हैं :–

मूंगफली—"जे० एन०–24" स्पेन का गुच्छेदार किस्म है। दक्षिणी क्षेत्र गुजरात के लिए उपयोगी है। वरजीनिया रनर किस्म "एम०ए०10" उत्तरी क्षेत्र हेतु और "सी–335" उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र हेतु उपयोगी मानी गई है। वरजीनिया गुच्छेदार किस्म "आर एस–138" उत्तरी क्षेत्र के लिए उपयोगी है। लेकिन वरजीनिया गुच्छेदार किस्में "जी–201" और "रोबोट–33–1" देश के सभी क्षेत्रों के लिए उपयोगी मानी गई है।

सूरजमुखी—व्यापारिक खेती के लिए तमिलनाडु में "सी०ओ०–1" (एस० यू० एफ–2) जारी की गई है। "सूर्या" (पी० के० एस० यू० एफ–72–37) महाराष्ट्र में सामान्य खेती के लिए जारी की गयी है।

तिल—तमिलनाडु में ग्रीष्मकाल और उत्तरी पूर्वी मानसून मौसम की अवधि में खेती के लिए "सी० ओ०–1" की सिफारिश की गई है, जिसमें "टी० एम० वी–3" से 18–34 प्रतिशत पैदावार अधिक होती है।

सस्ते उपायों से अन्न की बरबादी रोकें

प्रति वर्ष भारी मात्रा में अनाज कीडे–मकोडों और चूहों द्वारा काफी मात्रा में बरबाद किया जाता है और कुछ सड़ भी जाता है। लेकिन किसान यदि अनाज को खलिहान या गोदामों में रखने से पहले अनाज को पूरी तरह से सुखा लें तो उस पर तरह-तरह के कीड़े-मकोड़ों का प्रभाव कम पड़ता है और रोगाणु के पनपने का भी डर कम रहता है। गोदाम की दीवारें और फर्श पक्का होना चाहिए और सीलन रहित गोदामें का उपयोग करना चाहिए। चूहों से बचाव के लिए सभी खिड़कियों और रोशनदानों पर तारों की जाली लगा लेनी चाहिए। बरसात के मौसम में दिवारों पर चूने की पुताई की जानी चाहिए और मैलाथियान का 50 प्रतिशत घोल का छिड़काव करना चाहिए। अनाज नई बोरियों में रखकर पालिथीन चढ़े हुए तख्तों पर रखना चाहिए। भंडारण के दौरान अनाज को अल्युमिनियम फास्फाइड का 6 ग्राम प्रति टन या एथोलीन डी ब्रोमाइड का 3 से 5 मि०ली० प्रति क्विंटल धुंआ देना चाहिए।

ज्वार के साथ सोयाबीन उगाएं

ज्वार के साथ सोयाबीन की खेती लेने पर सोयाबीन तथा ज्वार दोनों की अतिरिक्त उपज प्राप्त की जा सकती है। सोयाबीन द्वारा ज्वार को अतिरिक्त नाइट्रोजन मिलने से ज्वार की पैदावर में वृद्धि होती है। इसके साथ ही मिट्टी की उर्वरक शक्ति में वृद्धि होती है जिससे उस खेत में ली जाने वाली बाकी सभी फसलें अच्छी पैदावार देती हैं।□

कृषक हमारे

सजा कर आंचल माटी का, स्वर्ण बरसाते खेतों में।
पतझड़ में लाते मधुमास, सृष्टि करते हैं रेतों में।
तप ये करते रवि-ताप में, कंटक झेलें पावों में।
इनका ही स्वेद, लहू बनकर बह रहा हमारी बाहों में।
आहुति दे सुख वैभव की, दानी शिव, कर्ण, दधीचि से।
देकर भी बने रहे सम्पत, पाकर हम रहे अकिंचन से।
नमन हे कृषिकारो नमन, नमन हे श्रमवीरो नमन।
नमन देश के क्षुधा पूरक नमन अन्नदाता नमन।

डा० एस० मानुमति 'भानु'
एफ–51 ग्रीन पार्क मेन,
नई दिल्ली–110016

(आवरण पृष्ठ 2 का शेषांश)

ब्रिटिश शासन काल से पहले के भारत में ग्रामीण उद्योगों की उपादेयता का भारतीय अनुभव अभी हमें याद है । यद्यपि ग्रामीण लोग उस समय भी सामन्त शाही के अदल में बहुत अधिक थे और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थे लेकिन फिर भी कुछ कर पाना संभव था । आज जबकि सामन्त शाही भी नहीं है, स्वयं सरकार भी ग्रामीण उद्योगीकरण के लिए हर सम्भव सहायता उपलब्ध करा रही है तथा आज हमारे पास ग्रामीण उद्योगीकरण के लिए सम्मुन्नत टेक्नोलोजी भी उपलब्ध है और देश का जनमत तथा आर्थिक दशाएं भी ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं, । उत्पादित व निर्मित माल की खपत के लिए भी पहले तो स्वयं हमारे देशवासियों का ही विशाल मानव समूह उपलब्ध है, इसके अलावा विदेशों में भी हमारे ग्रामों में उत्पादित व निर्मित माल की बिक्री की बहुत गुंजाइश है, ऐसी हालत में बड़े पैमाने पर ग्रामीण औद्योगीकरण हमारे गरीब ग्रामीण जन मानस की गरीबी हटाने में बड़ी सफलता पा सकता है ।

इस संदर्भ में अब तक किए गए गरीबी निवारण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से प्राप्त तजुर्बे का उपयोग करना होगा और अगर इस तजुर्बे की अनदेखी की गई तो पूर्ण सफलता दूर ही रह जाएगी ।

गरीबी निवारण के अब तक के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब जनता के शहरों की ओर पलायन में विशेष कमी नहीं आई है। शहरों की गंदी बस्तियों (स्लमों) की वृद्धि, अनेक पुनर्वास कालोनियां शहरों में बसाने के बाद भी, चिन्ताजनक बनी हुई है । इसका मतलब यह है कि गरीबी निवारण के कार्यक्रमों का परिमाण चाहे बहुत विशाल लगता हो परन्तु यह अभी भी स्वल्प ही है ।

जिस छितरे रूप में चुनींदा आधार पर सहायता दी जा रही है उससे सफलता, विफलता तथा खामी और गुणवत्ता का कोई पता ही नहीं चलता । अतः गांवों के औद्योगीकरण की प्रक्रिया में ऐसे मूलभूत कदम उठाने चाहिए जिनसे इन सब खामियों का निराकरण किया जा सके। गरीबी निवारण के मौजूदा कार्यक्रमों के चलते, यह आजमाइश की जा सकती है कि सहायता के लिए पूरे गांव का चयन इस उद्देश्य से किया जाए कि उस गांव में कोई गरीब बेरोजगार नहीं छोड़ा जाएगा । वित्तीय रूप से सक्षम जोत वाले किसानों और वित्तीय रूप से सक्षम कार-व्यौहार सम्पन्न लोगों को छोड़ अन्य सभी परिवारों को एक समिति या निगम में संगठित किया जाए, संगठित करने से पहले उनको इसका आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए और उनकी रुचि के अनुसार इस संगठन के सदस्य विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों के एककों में कार्यरत किए जाएं । इन एककों को स्थापित करने के लिए विशेषज्ञ सेवा सरकार अपने पास से और गांवों में प्राप्य प्रतिभा से उपलब्ध करे । संस्था के सदस्यों की हिस्सा पूंजी के अलावा सरकार, बैंक और संबद्ध गांव के अमीर किसान तथा अन्य व्यक्ति इसमें अपने धन का विनियोजन रियायती व्याज—दर पर करें, डिबैंचर के रूप में । सरकार जो अनुदान दे सकती हो उससे सदस्यों के शेयर ही खरीद कर दे दे ।

संस्था के संचालन की जिम्मेदारी पूरी तरह सदस्यों की हो, जो इस कार्य के लिए निदेशकमंडल आदि का चयन कर सकते हैं । लेखा परीक्षण का काम सदस्यों को सिखाया जाए जो बारी-बारी से लगातार किया जाता रहे । यद्यपि वर्तमान ग्रामीण सहकारी समितियों का एक लम्बा इतिहास है किन्तु ये ग्रामीण गरीबों के लिए विशेष कुछ अभी कम ही कर पाई हैं । सदस्य कर्ज लेकर अनुत्पादक कार्यों में लगाकर समिति को ठप्प कर बैठते हैं । पूरे गांव की मिली जुली समिति में गरीब लोग दबे-दबे रहते हैं और ऋण का लाभ अपेक्षाकृत अमीर सदस्य ही उठाते हैं ।

नव-स्थापित एककों द्वारा उत्पादित अथवा निर्मित माल के क्रय की अनिवार्य व्यवस्था की जाए और साथ ही पूरे गांव की आपूर्ति तथा रक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह विकसित की जाए । जिसके लिए गरीब लोगों से ही सब कारकुन लिए जाएं ।

उद्योग धंधों, व्यवसायों की स्थापना में पहले स्थानीय साधनों के उपयोग और विकास को प्राथमिकता दी जाए । इसके बाद ऐसे अनेक उद्योगों को गांवों में शुरु किया जा सकता है जिन्हें शहरों में अनेक लोग चलाते हैं किन्तु उनमें वास्तविक काम गांवों से रोजगार तलाशने शहरों में आए हुए व्यक्तियों द्वारा ही कराया जाता है । जहां उन्हें बहुत ही कम पगार पर काम करना पड़ता है और किसी किस्म का कोई लाभ या सुविधा नहीं मिलती ।

ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए भूमि की अनुपलब्धता तथा इसी निमित्त भूमि अधिग्रहण संबंधी विकट समस्याओं पर भी अब बहुत हद तक काबू पा लिया गया है । संसद ने अपने हाल में समाप्त हुए वर्षाकालीन सत्र में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके किसान की अधिग्रहित भूमि के उचित मुआवजे की व्यवस्था कर दी है । अगर किसी सीमान्त या लघु कृषक की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा तो उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी व्यवस्था की गई है । इसके अलावा संविधान के 48वें संशोधन अधिनियम को पारित करके संसद ने विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित 14 भूमि सुधार अधिनियमों को संविधान की 9वीं सूची में स्थान दे दिया है जिससे उन्हें अब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

बड़े पैमाने पर ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए इन सब अनुकूल दशाओं का शीघ्रातिशीघ्र लाभ उठाकर अब उस दिन के अपेक्षाकृत जल्दी आने की आशा की जा सकती है जब ग्रामीण अंचलों में सदियों से व्याप्त विपन्नता की जगह सम्पन्नता और खुशहाली होगी ।

आर०एन०/708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी(डी एन)98
पूर्व भुगतान के बिना सिविल लाइन्स डाकघर, दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण औद्योगीकरण की दिशा में विशेष भूमिका निभा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन 45 अरब रुपये उपदान और ऋण के रूप में आवंटित किए जाएंगे।

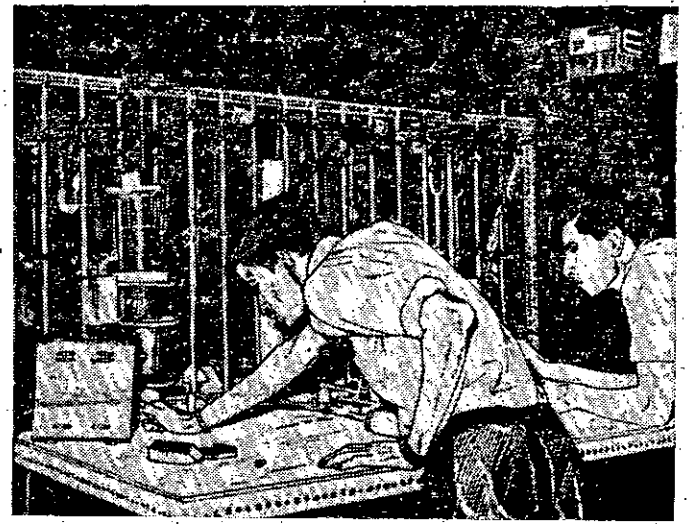

अगले पांच वर्षों में 30 लाख लोगों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्दर लाने का लक्ष्य है।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।